वार्षिक रिपोर्ट
Annual Report
2011-2012

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
Ministry of Minority Affairs

भारत सरकार
Government of India

वार्षिक रिपोर्ट

ANNUAL REPORT 2011-12

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
भारत सरकार
Ministry of Minority Affairs
Government of India

Web-site : www.minorityaffairs.gov.in

विषय सूची

अध्याय सं.	शीर्षक	पृष्ठ सं.
	कार्यकारी सारांश	1–2
1	प्रस्तावना	3–6
2	अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ प्रधानमंत्री का नया 15–सूत्री कार्यक्रम	7–10
3	सच्चर समिति की रिपोर्ट और अनुवर्ती कार्रवाई	11–17
4	अल्पसंख्यक बहुल जिलों (एमसीडी) की पहचान	18–19
5	बहु–क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम की योजना (एमएसडीपी)	20–23
6	मैट्रिक–पूर्व छात्रवृत्ति योजना	24–25
7	मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना	26
8	मेरिट–सह–साधन आधारित छात्रवृत्ति योजना	27–28
9	निःशुल्क कोचिंग एवं सम्बद्ध योजना	29–30
10	प्रचार सहित विकास से जुड़ी योजनाओं के अनुसंधान/अध्ययन, निगरानी और मूल्यांकन	31–32
11	पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम में अल्पसंख्यक कल्याण कार्यक्रमों/स्कीमों का कार्यान्वयन	33–34
12	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम की राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों को सहायता अनुदान की योजना	35
13	आयुक्त भाषायी अल्पसंख्यक	36–37
14	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग	38–40
15	वक्फ प्रशासन और केन्द्रीय वक्फ परिषद	41–44
16	दरगाह ख्वाजा साहेब अधिनियम, 1955	45–46
17	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी)	47–48
18	मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान	49–51
19	जेन्डर विशिष्ट मुद्दे और जेन्डर बजटिंग	52–53
20	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005	54
21	विकलांग व्यक्तियों के लाभार्थ वर्ष के दौरान लिए गए नीतिगत निर्णय और की गई कार्रवाई	55
22	शासकीय लेखापरीक्षा	56
23	परिणाम ढांचा दस्तावेज, नागरिक/सेवार्थियों का चार्टर तथा शिकायत निवारण तंत्र	57
	अनुलग्नक I से X	58–70

कार्यकारी सारांश

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की महत्वपूर्ण उपलब्धियां

1. राष्ट्रीय धार्मिक एवं भाषायी अल्पसंख्यक आयोग (एनसीआरएलएम) की सिफारिशों के अनुपालन में सरकार ने अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) के 27% आरक्षण कोटा में से अल्पसंख्यक समुदायों के पिछड़े वर्गों के लिए दिनांक 1 जनवरी, 2012 से प्रभावी 4.5% का उप–कोटा प्रदान किया है। यह आरक्षण उन अल्पसंख्यक समुदायों को उपलब्ध होगा, जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा समय–समय पर प्रकाशित ओबीसी की केन्द्रीय सूची में शामिल किए जाते हैं। यह आरक्षण केन्द्र सरकार की नौकरियों तथा सेवाओं तथा केन्द्र सरकार के शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश प्राप्त करने के लिए होगा।

2. वर्ष 2011–12 के दौरान मेरिट–सह–साधन आधारित छात्रवृत्तियां प्रदान करने में अत्यधिक पारदर्शिता लाने तथा चयन प्रणाली को तीव्रतर बनाने के संबंध में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने प्रायोगिक आधार पर "आन लाइन स्कालरशिप मैनेजमेंट सिस्टम" नामक एक यूनीक स्कीम शुरू की है। यह पहली बार हुआ है कि सरकार की छात्रवृत्ति योजना में ऐसी प्रणाली शुरू की गयी है।

3. अल्पसंख्यक समुदायों को शैक्षिक दृष्टि से सशक्त बनाने के लिए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने 11वीं पंचवर्षीय योजना में चार वर्षों के अत्यंत अल्प समय में अल्पसंख्यकों को 1 करोड़ से अधिक छात्रवृत्तियां प्रदान की है। इसमें से 50.34% छात्रवृत्तियां छात्राओं को प्रदान की गयी हैं।

वर्ष 2011–12 के दौरान अन्य उपलब्धियां :–

- 29.23 लाख मैट्रिक–पूर्व छात्रवृत्तियां प्रदान की गईं, जिनका 53.80% भाग छात्राओं को प्रदान किया गया।
- 4.38 लाख मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां प्रदान की गईं, जिनका 55.65% भाग छात्राओं को प्रदान किया गया।
- 29579 मेरिट–सह–साधन आधारित छात्रवृत्तियां प्रदान की गईं, जिनका 38.06% भाग छात्राओं को प्रदान किया गया।
- एनएमडीएफसी द्वारा आवधिक ऋण और सूक्ष्म वित्त प्रबंधन के अंतर्गत 33337 लाभार्थियों को 128.23 करोड़ जारी किये गये।
- वक्फ रजिस्ट्रेशन माड्यूल में 76000 वक्फ रिकार्डों की प्रविश्टि की गयी है और 40000 वक्फ रिकॉर्डों के अंकीकरण की तैयारी पूरी कर ली गयी है।
- अल्पसंख्यक बहुल जिलों में बहु–क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों को ₹ 432.32 करोड़ की राशि निर्गत की गयी है।

- समान अवसर आयोग विधेयक, 2011 विचाराधीन है।
- लोक सभा द्वारा वक्फ संशोधन विधेयक, 2010 दिनांक 07 मई, 2011 को पारित कर दिया गया है। राज्य सभा की चयन समिति, जिसे यह विधेयक भेजा गया था, ने दिनांक 16 दिसम्बर, 2011 को राज्य सभा में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। चयन समिति की सिफारिशों की मंत्रालय में जांच की जा रही है।
- 14 और 15 मार्च, 2011 को राज्य सभा में मंत्रालय के कार्यकरण पर विचार–विमर्श किया गया।
- लोक सभा में दिनांक 24 और 25 मार्च, 2011 को अल्पसंख्यकों की सामाजिक आर्थिक और शैक्षिक स्थिति में सुधार हेतु सहायता की आवश्यकता के संबंध में लोक सभा के नियम 193 के अधीन अल्पावधिक विचार–विमर्श आयोजित किया गया। जून, 2011 में अल्पसंख्यकों के सशक्तीकरण संबंधी कार्य दल द्वारा 12वीं पंचवर्षीय योजना तैयार करने की शुरूआत की गयी।
- मंत्रालय द्वारा दूरदर्शन और आलइंडिया रेडियो के माध्यम से सघन जागरूगता अभियान की शुरूआत की गयी।
- मंत्रालय और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी) के बीच वर्ष 2011–12 के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गये और उसे लोक सभा और राज्य सभा में क्रमशः 18 और 29 अगस्त, 2011 को प्रस्तुत किया गया।

अध्याय–1

प्रस्तावना

1.1 अल्पसंख्यकों से संबंधित मामलों पर बल देना सुनिश्चित करने और अल्पसंख्यक समुदायों के लाभ के लिए समग्र नीति तैयार करने और योजना, समन्वयन, मूल्यांकन, विनियामक ढांचे एवं विकास कार्यक्रमों के मूल्यांकन तथा समीक्षा करने के लिए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का गठन 29 जनवरी, 2006 को किया गया था।

1.2 माननीय श्री सलमान खुर्शीद, विधि और न्याय मंत्री के पास अल्पसंख्यक कार्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार है। श्री विन्सेंट पाला, अल्पसंख्यक कार्य राज्य मंत्री के पास भी जल संसाधन राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार है। मंत्रालय के सचिव के कार्य में सहयोग प्रदान करने हेतु एक संयुक्त सचिव एवं वित्त सलाहकार (अतिरिक्त प्रभार) तथा तीन संयुक्त सचिव हैं। मंत्रालय में अधिकारियों/कर्मचारियों की स्वीकृत पद संख्या 93 है। मंत्रालय में स्वीकृत पदों की संख्या और भरे गए पदों को दर्शाने वाला एक विवरण **अनुलग्नक–I** पर है। मंत्रालय का संगठनात्मक चार्ट **अनुलग्नक–II** पर दिया गया है।

कार्यों का आबंटन

1.3 भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियमावली, 1961 की दूसरी अनुसूची के अनुसार इस मंत्रालय को आबंटित किए गए कार्य इस प्रकार हैं :–

(i) अल्पसंख्यक समुदायों के लिए विकास तथा विनियामक ढांचे और कार्यक्रमों पर समग्र नीति तैयार करना, योजना, समन्वय, मूल्यांकन तथा समीक्षा करना।

(ii) कानून और व्यवस्था से संबंधित मामलों को छोड़कर अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित सभी मामले।

(iii) अन्य केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों तथा राज्य सरकार के परामर्श से अल्पसंख्यकों के संरक्षण और उनकी सुरक्षा के लिए नीति की पहलें करना।

(iv) भाषायी अल्पसंख्यकों तथा आयुक्त भाषायी अल्पसंख्यक के कार्यालय से संबंधित मामले।

(v) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम से संबंधित मामले।

(vi) शरणार्थी सम्पत्ति अधिनियम, 1950 (1950 का 31), (जो अब निरस्त हो गया है) के प्रशासन के अंतर्गत शरणार्थी वक्फ सम्पत्तियों से संबंधित कार्य।

(vii) एंगलो–इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व।

(viii) विदेश मंत्रालय के परामर्श से 1955 के पंत–मिर्जा समझौते के अनुसार पाकिस्तान में

गैर–मुस्लिम पूजा स्थलों और भारत में मुस्लिम पूजा स्थलों का संरक्षण और परिरक्षण करना।

(ix) विदेश मंत्रालय के परामर्श से पड़ोसी देशों में अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित प्रश्न।

(x) धार्मिक और धर्मार्थ संस्थान, विभाग में निबटाए जा रहे विषयों से संबंधित धर्मार्थ एवं धार्मिक स्थायी निधि।

(xi) मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान सहित अल्पसंख्यकों, अल्पसंख्यक संगठनों के सामाजिक–आर्थिक, सांस्कृतिक तथा शैक्षिक स्थिति से संबंधित मामले।

(xii) वक्फ अधिनियम, 1995 (1995 का 43) और केन्द्रीय वक्फ परिषद।

(xiii) दरगाह ख्वा़जा साहेब अधिनियम, 1955 (1955 का 36)

(xiv) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम सहित अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए कार्यक्रमों और परियोजनाओं का वित्त प्रबंध।

(xv) अल्पसंख्यकों के लिए केन्द्रीय और राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के साथ–साथ निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर।

(xvi) अन्य संबद्ध केन्द्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों के परामर्शन में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और संरक्षण से संबंधित उपाय करना।

(xvii) धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यकों के मध्य सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग ।

(xviii) अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ प्रधानमंत्री का नया 15–सूत्री कार्यक्रम।

(xix) अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित कोई अन्य विषय।

संविधानिक, सांविधिक और स्वायत्त निकाय

1.4 इस मंत्रालय के निम्नलिखित सांविधानिक / सांविधिक / स्वायत्त निकाय आदि हैं :–

(i) आयुक्त भाषायी अल्पसंख्यक।

(ii) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग।

(iii) केन्द्रीय वक्फ परिषद।

(iv) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम।

(v) मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान।

(vi) दरगाह ख्वाजा साहेब, अजमेर।

अधिनियमों का प्रशासन

1.5 यह मंत्रालय निम्नलिखित अधिनियमों के प्रशासन और कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है :–

(i) दरगाह ख़्वाजा साहेब अधिनियम, 1955

(ii) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992

(iii) वक्फ अधिनियम, 1995

राजभाषा का प्रयोग

1.6 मंत्रालय द्वारा सभी महत्वपूर्ण आदेश व अधिसूचनाएं द्विभाषी रूप में जारी की गई। मंत्रालय में 1 से 15 सितम्बर, 2011 के दौरान हिन्दी पखवाड़े का आयोजन किया गया। पखवाड़े के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं तथा पुरस्कार भी वितरित किए गए। माननीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री की अध्यक्षता में मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति का गठन दिनांक 29.11.2011 को हो गया है।

सतर्कता एकक

1.7 श्री धीरज कुमार, निदेशक को अंशकालिक मुख्य सतर्कता अधिकारी नियुक्त किया गया है। उनके इस कार्य में सहयोग प्रदान करने के लिए एक अवर सचिव हैं, जो अपने नियमित कार्यों के अतिरिक्त इन कार्यों को भी देख रहे हैं। मंत्रालय में सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन 25 अक्तूबर से 01 नवम्बर, 2011 तक किया गया।

राष्ट्रीय एकता सप्ताह

1.8 मंत्रालय में देशभक्ति, सांप्रदायिक सद्भाव और एकता की भावना विकसित करने के लिए 19 से 25 नवम्बर, 2011 तक कौमी एकता सप्ताह (राष्ट्रीय एकता) मनाया गया।

ई–गवर्नेंस

1.9 मंत्रालय की वेबसाइट यूआरएल www.minorityaffairs.gov.in पर है। मंत्रालय के कार्यकलापों और उसके कार्यक्रमों/स्कीमों, अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ प्रधानमंत्री के नये 15–सूत्रीय कार्यक्रम एवं भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति पर उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट से संबंधित सूचना तथा उन पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई, राष्ट्रीय धार्मिक तथा भाषाई अल्पसंख्यक आयोग की रिपोर्ट, असमानता सूचकांक पर विशेषज्ञ दल की रिपोर्ट, समान अवसर आयोग पर विशेषज्ञ दल की रिपोर्ट, भारत में अल्पसंख्यकों के भौगोलिक वितरण में अड़चनों के संबंध में विशेषज्ञ दल की रिपोर्ट, अन्तर–मंत्रालयी कार्य–बल की रिपोर्ट, सम्बद्ध संगठन, निविदा सूचनाएं, रोजगार संबंधी विज्ञापन, प्रेस विज्ञप्तियां, बहु–क्षेत्रीय विकास योजना के अंतर्गत किये गये कार्यों के फोटोग्राफ, प्रगति

रिपोर्टें और आंकड़े आदि से संबंधित आधारिक सूचनाएं उक्त वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। विभिन्न योजनाओं के अधीन जिन छात्रों को छात्रवृत्तियां प्रदान की गयी हैं, उनके नाम भी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। छात्रवृत्ति योजना के विस्तृत ब्यौरे के अतिरिक्त, छात्रों की सहायतार्थ बार–बार पूछे गए विभिन्न प्रश्नों को भी वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया गया है। वेबसाइट की विषय–वस्तु को लगातार अद्यतन किया जाता है।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

1.10 इस अधिनियम के अधीन अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी के रूप में आठ पदनामित अधिकारी हैं तथा तीन संयुक्त सचिवगण पदनामित अपीलीय अधिकारी हैं।

बजट

1.11 ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007–12) में इस मंत्रालय को इसकी विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के लिए ₹ 7000 करोड़ के परिव्यय का आबंटन किया गया था। वर्ष 2011–12 के बजट अनुमान में ₹ 2850 करोड़ के योजनागत बजट का प्रावधान किया गया था, जिसे वर्ष 2011–12 के संशोधित अनुमान में घटा कर ₹ 2750 करोड़ कर दिया गया था। वर्ष 2010–11 के बजट अनुमान में ₹ 16.00 करोड़ के गैर योजनागत बजट का प्रावधान किया गया था, जिसे बाद में 2011–12 के संशोधित अनुमान स्तर पर बढ़ाकर ₹ 16.46 करोड़ कर दिया गया था। ग्यारहवीं योजना की योजना/कार्यक्रमवार परिव्यय, बजट अनुमान, संशोधित अनुमान तथा वर्ष 2011–12 (31 दिसम्बर, 2011 तक) के दौरान वास्तविक व्यय को दर्शाने वाला विवरण **अनुलग्नक–III** में दिया गया है।

फाइल ट्रैकिंग सिस्टम

1.12 मंत्रालय में नवम्बर, 2010 से फाइल ट्रैकिंग सिस्टम कार्यरत है। इस प्रणाली (सिस्टम) के लिए सॉफ्टवेयर राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एनआईसी) द्वारा विकसित किया गया है। इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से मंत्रालय के फाइलों के एक स्तर से दूसरे स्तर तक के संचलन की स्थिति पर निगरानी रखी जा सकती है, मंत्रालय में प्राप्त सभी पत्रों की प्राप्ति और उनके निस्तारण और उन पर की गई कार्रवाई संबंधी विवरण प्राप्त किए जा सकते हैं।

अध्याय–2

अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ प्रधानमंत्री का नया 15–सूत्री कार्यक्रम

2.1 अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ प्रधानमंत्री के नए 15–सूत्री कार्यक्रम की घोषणा जून, 2006 में हुई थी। इसमें निश्चित लक्ष्य सहित कार्यक्रम विशिष्ट क्रियाकलापों का प्रावधान है, जिसे निर्धारित समय–सीमा में प्राप्त किया जाना है। इस कार्यक्रम के उद्देश्य हैं – (क) शिक्षा के अवसरों को बढ़ाना; (ख) वर्तमान तथा नयी योजनाओं के माध्यम से आर्थिक क्रियाकलापों और रोजगार में अल्पसंख्यकों के लिए समुचित भागीदारी, स्वरोजगार के लिए ऋण सहायता में वृद्धि और केन्द्र व राज्य सरकार की नौकरियों में भर्ती सुनिश्चित करना (ग) अवसंरचना विकास योजना से जुड़ी योजनाओं में अल्पसंख्यकों की समुचित भागीदारी सुनिश्चित कर उनके जीवन स्तर में सुधार लाना; और (घ) सांप्रदायिक असामंजस्य और हिंसा का निवारण और नियंत्रण करना।

2.2 इस नए कार्यक्रम का महत्वपूर्ण उद्देश्य यह है कि शोषित वर्गों के लिए विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ अल्पसंख्यक समुदायों के वंचित वर्गों तक पहुंचे। यह सुनिश्चित करने के लिए कि इन योजनाओं के लाभ अल्पसंख्यकों तक समान रूप से पहुंचे, नए कार्यक्रम में इन विकास परियोजनाओं के कुछ भाग को अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में अवस्थित करने की परिकल्पना की गई है। इसमें यह भी प्रावधान है कि जहां कहीं संभव हो, विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लक्ष्यों और परिव्ययों का 15% भाग अल्पसंख्यकों के लिए निर्धारित किया जाए।

2.3 इस कार्यक्रम के लक्षित समूह में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 की धारा 2(ग) के अंतर्गत अधिसूचित अल्पसंख्यकों में पात्र वर्ग हैं– मुस्लिम, इसाई, सिख, बौद्ध और पारसी। राज्यों में जहां राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 की धारा 2(ग) के अंतर्गत अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों में से एक समुदाय वास्तव में, अधिसंख्य है, विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत वास्तविक/वित्तीय लक्ष्य केवल अन्य अधिसूचित समुदायों के लिए निर्धारित होंगे। ये राज्य/संघ राज्य क्षेत्र हैं – जम्मू और कश्मीर, पंजाब, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और लक्षद्वीप।

2.4 इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन की प्रगति की निगरानी मासिक आधार पर प्रत्येक संबंधित मंत्रालय/विभाग द्वारा की जाती है। केन्द्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा इसकी समग्र प्रगति की समीक्षा अन्य मंत्रालयों के नोडल अधिकारियों के साथ तिमाही आधार पर की जाती है। इस कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा सचिवों की समिति द्वारा 6 माह में की जाती है तथा उसके बाद मंत्रिमंडल को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। मंत्रिमंडल द्वारा इस नए कार्यक्रम की जून, 2006 में शुरूआत के बाद से कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा 6 (छह) बार की जा चुकी है। दिशानिर्देशों में की गई परिकल्पना के अनुसार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रगति की निगरानी के लिए राज्य स्तरीय समितियां गठित करनी होती हैं। इसी प्रकार जिला स्तर पर भी ऐसे ही तंत्र की परिकल्पना की गई है।

2.5 नए 15 सूत्रीय कार्यक्रम में शामिल एवं निर्धारण योग्य योजनाओं की सूची इस प्रकार है :–

- समन्वित बाल विकास सेवा योजना जिसके तहत आंगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से सेवाएं प्रदान की जाती हैं (महिला एवं बाल विकास मंत्रालय)
- सर्व शिक्षा अभियान और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना (मानव संसाधन विकास मंत्रालय)
- आजीविका (ग्रामीण विकास मंत्रालय)
- स्वर्णजयंती शहरी रोजगार योजना (आवास एवं शहरी निर्धनता उन्मूलन मंत्रालय)
- औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (श्रम एवं रोजगार मंत्रालय)
- प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के अंतर्गत बैंक ऋण (वित्तीय सेवा विभाग)
- इन्दिरा आवास योजना (ग्रामीण विकास मंत्रालय)

प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्री कार्यक्रम के तहत शामिल योजनाओं तथा वर्ष 2011–12 के दौरान (31 दिसम्बर, 2011 की अवधि तक) निर्धारण योग्य मानी गयी योजनाओं की उपलब्धियां –

क्रम सं0	**योजना का नाम एवं संबद्ध मंत्रालय/विभाग**	**उपलब्धि (वास्तविक)**
1.	सर्व शिक्षा अभियान स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग	
(i)	निर्मित प्राइमरी स्कूलों की संख्या	797
(ii)	निर्मित उच्च प्राइमरी स्कूलों की संख्या	23
(iii)	निर्मित अतिरिक्त कक्षा–कक्षों की संख्या	20150
(iv)	खोले गए नए प्राइमरी स्कूलों की संख्या	733
(v)	खोले गए नए उच्च प्राइमरी स्कूलों की संख्या	272
(vi)	शिक्षकों की स्वीकृत संख्या	2476
(vii)	अल्पसंख्यक बहुल आबादी वाले शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े ब्लॉकों में स्वीकृत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की संख्या	70
2.	आजीविका के तहत सहायता प्रदत्त स्वरोजगारी। ग्रामीण विकास मंत्रालय	55258*
3.	इंदिरा आवास योजना के तहत सहायता प्रदत्त गरीबी रेखा से नीचे के परिवार। ग्रामीण विकास मंत्रालय	330809*

4.	स्वर्ण जंयती शहरी रोजगार योजना के तहत सहायता प्रदत्त लाभार्थी। आवास एवं शहरी निर्धनता उन्मूलन मंत्रालय	
(i)	शहरी स्व–रोजगार कार्यक्रम के तहत इंडिविजुवल एंटरप्राइजेज	3585
(ii)	शहरी निर्धनों में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए कौशल प्रशिक्षण	15642
5.	समन्वित बाल विकास योजना के तहत आंगनवाड़ी केन्द्रों का संचालन। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	2837*
क्रम सं0	**योजना का नाम एवं संबद्ध मंत्रालय/विभाग**	**उपलब्धि (वित्तीय (₹ करोड़ में)**
1.	इंदिरा आवास योजना : ग्रामीण विकास मंत्रालय	996.87
2.	स्वर्ण जंयती शहरी रोजगार योजना : आवास एवं शहरी निर्धनता उन्मूलन मंत्रालय 'अनंतिम	9.90
3.	आईटीआई को उत्कृष्टता केन्द्र के रूप में उन्नत किया जाना : श्रम एवं रोजगार मंत्रालय	
4.	प्राथमिकता श्रेत्र ऋण : वित्तीय सेवा विभाग	154789.90*

*सितम्बर, 2011 तक

वर्ष 2011–12 के दौरान प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्री कार्यक्रम के तहत शामिल की गयी उन योजनाओं की उपलब्धियां, जिनके तहत अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में विकास परियोजनाओं के लिए धनराशि प्रवाह/लाभ की निगरानी रखी जाती है, नीचे दर्शायी गयी हैं :–

क्रम सं0	**योजना का नाम एवं संबद्ध मंत्रालय/विभाग**	**उपलब्धि (वित्तीय)** कवर किए गए अल्पसंख्यक बहुल नगरों/शहरों की संख्या और स्वीकृत परियोजना लागत। (₹ करोड़ में)
1.	शहरी निर्धनों को आधारभूत सेवाः आवास एवं शहरी निर्धनता उन्मूलन मंत्रालय	17 नगरों के लिए 7086.47
2.	समन्वित आवास एवं स्लम विकास कार्यक्रम : आवास एवं शहरी निर्धनता उन्मूलन मंत्रालय	101 नगरों/शहरों के लिए 1897.69
3.	शहरी अवसंरचना और शासनः शहरी विकास मंत्रालय	17 शहरों के लिए 7898.06
4.	लघु एवं मध्यम नगरों के लिए शहरी अवसंरचना विकास की योजना : शहरी विकास मंत्रालय	88 नगरों/शहरों के लिए 2672.34
5.	राष्ट्रीय ग्रामीण पेय जल कार्यक्रमः पेय जल आपूर्ति विभाग	अल्पसंख्यक बहुल जिलों में 11245 परिवारों को कवर करने हेतु कुल स्वीकृति 5143.96

2.6 कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा यह सूचित किया गया है कि वर्ष 2010–11 के दौरान 51 मंत्रालयों/विभागों ने 21,118 अल्पसंख्यक अभ्यर्थियों की भर्ती की हैं, जो की गई कुल भर्ती का 12.2% बनता है।

2.7 प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्रीय कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए निगरानी तंत्र को सुदृढ़ किया गया है। वर्ष 2009 में, सरकार ने, अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्रीय कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए राज्य स्तरीय समिति में लोक सभा से दो सांसद और राज्य सभा से एक सांसद को शामिल करने तथा राज्य सरकार द्वारा विधान सभा के दो विधायकों को नामित करने की मंजूरी दी थी। तथापि, राज्य स्तरीय समिति में शामिल किए गए सदस्यों में लोक सभा के एक तथा विधान सभा के सदस्य को उन राज्यों के किसी भी अल्पसंख्यक बहुल जिले में से चुना हुआ होना चाहिए। प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्रीय कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए जिला स्तरीय समिति के संबंध में, राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले राज्य सभा के एक सदस्य जिसे केन्द्र सरकार द्वारा नामित किया जाएगा, के अलावा उस जिले के सभी संसद सदस्य और विधायक इस जिला स्तरीय समिति में शामिल किए जाएंगे।

अध्याय–3

सच्चर समिति की रिपोर्ट और अनुवर्ती कार्रवाई

भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति के संबंध में प्रधानमंत्री की उच्च स्तरीय समिति की विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से संबंधित अनुशंसाओं पर सरकार द्वारा निर्णय लिया गया था। सच्चर समिति की प्रमुख अनुशंसाओं पर अनुवर्ती कार्रवाई के संबंध में सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों पर कार्यान्वयन की स्थिति इस प्रकार है :–

3.1 वित्तीय सेवा विभाग :

(i) सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंकों को निदेश दिए गए हैं कि वे अल्पसंख्यक बहुल जिलों में अधिक शाखाएं खोलें। वर्ष 2007–08 से ऐसे जिलों में 3276 शाखाएं खोली गईं। वर्ष 2011–12 के दौरान (31 दिसम्बर, 2011 तक) 619 शाखाएं खोली गई हैं।

(ii) भारतीय रिजर्व बैंक ने अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण सुविधा प्रदान करने हेतु प्राथमिकता क्षेत्र ऋण संबंधी अपने मास्टर सर्कुलर को 1 जुलाई, 2007 को संशोधित किया है। दिनांक 31 दिसम्बर, 2011 की स्थिति के अनुसार ₹ 154789.90 करोड़ का ऋण अल्पसंख्यकों को प्रदान किया गया, जो कुल प्राथमिकता क्षेत्र ऋण का 14.83% है।

(iii) प्रमुख बैंकों की जिला परामर्शी समितियां (डीसीसी) अल्पसंख्यकों के ऋण आवेदनों के निस्तारण और उन्हें अस्वीकार किए जाने के कार्य पर नियमित निगरानी रख रही हैं।

(iv) महिलाओं में लघु वित्त ऋण को बढ़ावा देने के लिए अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए 603087 खाते खोले गए तथा वर्ष 2011–12 में सितम्बर, 2011 तक उन्हें ₹ 6611.87 करोड़ का लघु ऋण दिया गया।

(v) सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंकों द्वारा अल्पसंख्यक बहुल ब्लॉकों/जिलों/नगरों में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। वर्ष 2011–12 में सितम्बर 2011 तक ऐसे क्षेत्रों में 1658 जागरूकता अभियानों का आयोजन किया गया।

(vi) प्रमुख बैंकों द्वारा अल्पसंख्यक बहुल ब्लॉकों/जिलों/नगरों में सितम्बर, 2011 तक 618 उद्यमिता विकास कार्यक्रम आयोजित किए गए और लाभार्थियों की संख्या 9065 है।

3.2 मानव संसाधन विकास मंत्रालय :

सच्चर समिति द्वारा यथा इंगित मुस्लिम समुदाय के शैक्षिक पिछड़ेपन की समस्या के समाधान हेतु एक बहु–आयामी कार्यनीति, जैसा नीचे दिया गया है, अपनाई गई है –

(क) कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना के तहत शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों के मानदण्ड को 1 अप्रैल, 2008 से संशोधित किया गया है, ताकि 30% से कम ग्रामीण महिला साक्षरता वाले ब्लॉकों तथा राष्ट्रीय औसत से नीचे के महिला साक्षरता वाले शहरी क्षेत्रों (53.67% : वर्ष 2001 की जनगणना) को योजना में शामिल किया जा सके। योजना के तहत वर्ष 2011–12 के दौरान (दिसम्बर 2011 तक) 107 विद्यालयों की लक्ष्य की तुलना में अल्पसंख्यक बहुल जिलों में 70 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय संचालित किये गये हैं।

(ख) माध्यमिक स्तर पर गुणवत्तापरक शिक्षा सुलभ कराने के लिए राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान को स्वीकृति प्रदान की गई है। योजना के तहत अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में सरकारी स्कूल खोले जाने को वरीयता दी जानी है। राज्य सरकारों को सलाह दी गयी है कि वे योजना के तहत प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान करते समय अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में नए स्कूलों की स्थापना/स्कूलों के उन्नयन को प्राथमिकता दें। वर्ष 2011–12 में अक्टूबर, 2011 तक 158 नए माध्यमिक विद्यालय स्वीकृत किये गये हैं।

(ग) देश के शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े 374 जिलों में एक–एक मॉडल कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े 374 जिलों में से 67 जिले अभिनिर्धारित अल्पसंख्यक बहुल जिलों में हैं। वर्ष 2011–12 के दौरान अल्पसंख्यक जिलों में पांच मॉडल कॉलेज स्वीकृत किये गये हैं और दिनांक 30 सितम्बर, 2011 तक ₹ 2.67 करोड़ की निधि जारी की गयी है।

(घ) सब–मिशन ऑफ पालीटेक्नीक्स योजना के तहत अन–सर्व्ड और अन्डर–सर्व्ड जिलों में पालीटेक्नीक्स स्थापित किए जाने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता दी जाती है। योजना के तहत अल्पसंख्यक बहुल 90 जिलों में से 57 जिले विचारार्थ पात्र हैं। अब तक अल्पसंख्यक बहुल 46 जिलों को पालीटेक्नीक्स की स्थापना के लिए शामिल किया गया है और 30 सितम्बर, 2011 तक ₹ 222.66 करोड़ की राशि अवमुक्त की गयी है।

(ङ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अल्पसंख्यक विशेषकर मुस्लिम बहुल जिलों/ब्लॉकों में कालेजों और विश्वविद्यालयों में और अधिक बालिका छात्रावासों के प्रावधान को वरीयता दी जाती है। यूजीसी ने 11वीं योजना के दौरान अल्पसंख्यक बहुल जिलों/क्षेत्रों में 284 महिला छात्रावासों की स्वीकृति प्रदान की है तथा 30 सितम्बर, 2011 तक ₹ 201.55 करोड़ की राशि अवमुक्त की है।

(च) क्षेत्र उन्मुख और मदरसा आधुनिकीकरण कार्यक्रम को संशोधित कर दो योजनाओं में बांटा गया है। 11वीं पंचवर्षीय योजना के लिए ₹ 325 करोड़ के आवंटन के साथ मदरसों में गुणवत्तापरक शिक्षा उपलब्ध कराने की योजना का शुभारंभ किया गया है। इसमें शिक्षकों को बेहतर वेतन प्रदान करने तथा पुस्तकों, शिक्षण सहायता और कम्प्यूटरों के लिए अधिक सहायता प्रदान करने और व्यावसायिक विषयों की शुरुआत करने जैसे आकर्षक प्रावधान शामिल हैं। कुल ₹ 150 करोड के बजटीय प्रावधान की तुलना में दिनांक 31 दिसम्बर, 2011 तक ₹ 92.77 करोड़ की राशि अवमुक्त की गयी है। दूसरी योजना,

सहायता–प्राप्त/सहायता–रहित निजी अल्पसंख्यकों के संस्थानों में अवसंरचना विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने संबंधी है, जिसे 11वीं पंचवर्षीय योजना के लिए ₹ 125 करोड़ के आवंटन के साथ शुरू किया गया है। वर्ष 2011–12 के दौरान 50.00 करोड़ के बजटीय प्रावधान की तुलना में 31 दिसम्बर, 2011 तक ₹ 21.88 करोड़ की राशि अवमुक्त की गयी हैं।

(छ) उच्चत्तर शिक्षा सुलभ कराने की दृष्टि से राज्य मदरसा बोर्डों द्वारा, जिनके प्रमाण–पत्रों और अर्हताओं को संबद्ध राज्य बोर्डों द्वारा समकक्ष माना गया है, जारी प्रमाण–पत्रों को केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई), कॉउंसिल ऑफ बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन इन इंडिया (सीओबीएसई) अथवा/और किसी अन्य स्कूल परीक्षा बोर्ड द्वारा समकक्ष माना जाएगा।

(ज) तीन केन्द्रीय विश्वविद्यालयों नामतः अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय, नई दिल्ली और मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय, हैदराबाद में उर्दू माध्यम के अध्यापकों के व्यावसायिक उन्नयन हेतु अकादमी खोले गए हैं। वर्ष 2011–12 के दौरान पुनश्चर्या पाठ्यक्रम/कार्यशालाओं में 4718 उर्दू शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया।

(झ) संशोधित योजना के तहत ऐसे किसी क्षेत्र के सरकारी स्कूल में उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति हेतु वित्तीय सहायता दी जाती है, जिस क्षेत्र में उर्दू बोलने वालों की आबादी 25% से अधिक हो। वित्तीय सहायता राज्य सरकार के स्कूलों में नियुक्त उर्दू शिक्षकों के लिए प्रचलित वेतन ढांचे पर आधारित होगी। अंश–कालिक उर्दू शिक्षकों को मानदेय भी स्वीकार्य है।

(ञ) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में समुदाय आधारित जागरूकता अभियान चलाने का सुझाव दिया गया है। 410 पात्र जिलों में से 372 जिलों में, जहां वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार वयस्क महिला साक्षरत दर 50 प्रतिशत या इससे नीचे है। साक्षर भारत के अंतर्गत 88 मुस्लिम बहुल जिलों में से 61 जिलों को शामिल किया गया।

(ट) संशोधित योजनाओं में जन शिक्षण संस्थानों की परिकल्पना की गई है। वर्तमान में देश में मुस्लिम बहुल 88 जिलों में से 33 जिलों में जन शिक्षण संस्थानों के माध्यम से व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

(ठ) वर्ष 2008–09 से देश के सभी क्षेत्रों में मध्याह्न भोजन योजना को विस्तार दिया गया है तथा इसमें उच्चतर प्राइमरी स्कूलों को भी शामिल किया गया है। मुस्लिम बहुल ब्लॉकों को योजना के तहत शामिल किया जा रहा है।

(ड) सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों को विद्यमान स्कूल भवनों और सामुदायिक भवनों को स्कूली बच्चों के लिए अध्ययन केन्द्र के रूप में प्रयोग में लाने की सलाह दी गई है।

(ढ) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) द्वारा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा – 2005 के आलोक में सभी कक्षाओं के लिए पाठ्यपुस्तकें तैयार की गई हैं। 14 राज्यों ने इसके अनुसार अपने पाठ्यक्रमों को संशोधित कर लिया है, जबकि 9 राज्य ऐसा करने की प्रक्रिया में हैं। 10 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र पड़ोसी राज्यों की पाठ्यपुस्तकों अथवा एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकों का प्रयोग करते हैं।

(ण) अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सामाजिक आमेलन और बहिष्कार नीति के अध्ययन हेतु 35 विश्वविद्यालयों ने अध्ययन केन्द्र की शुरूआत की है। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2009–10 के दौरान 51 विश्वविद्यालयों में 1280 समान अवसर केन्द्रों की स्थापना की गई है तथा वर्ष 2010–11 और 2011–12 में क्रमशः 1345 और 1367 केन्द्र खोले जाने प्रस्तावित हैं।

3.3 अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय :

(क) समान अवसर आयोग की कार्य प्रणाली और संरचना संबंधी अध्ययन और अनुशंसा के लिए गठित विशेषज्ञ दल ने अपनी रिपोर्ट 13 मार्च, 2008 को सौंपी। असमानता सूचकांक की अवधारणा को समान अवसर आयोग में शामिल किया गया है। समान अवसर आयोग के प्रारूप विधेयक पर संबंधित अन्य मंत्रालयों/विभागों से परामर्श किया जा रहा है।

(ख) लोक सभा द्वारा पारित वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2010 दिनांक 31.8.2010 को राज्य सभा में चयन समिति को भेजा गया। राज्य सभा की चयन समिति की वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2010 से संबंधित रिपोर्ट राज्य सभा पटल पर दिनांक 16.12.2011 को रखी गयी।

(ग) सरकार ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी) के पुनर्गठन को "सिद्धान्ततः" स्वीकृति प्रदान कर दी है। निगम के पुनर्गठन संबंधी ब्यौरे तैयार करने हेतु एक कंसल्टेन्सी फर्म को नियुक्त किया गया। फर्म ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है, जिसकी मंत्रालय में जांच की जा रही है।

(घ) अल्पसंख्यक बहुल अभिनिर्धारित 338 नगरों के समग्र विकास हेतु उपयुक्त कार्यनीति और कार्ययोजना तैयार करने के लिए गठित अंतरमंत्रालयीन कार्य दल द्वारा 08 नवम्बर, 2007 को रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। संबद्ध मंत्रालयों/विभागों को इन 338 नगरों में अपनी योजनाओं को कार्यान्वित करने को प्राथमिकता देने की सलाह दी गई है।

(ङ) अल्पसंख्यक समुदाय के लिए तीन छात्रवृत्ति योजनाएं नामतः – पहली से दसवीं कक्षा के लिए मैट्रिक–पूर्व छात्रवृत्ति योजना, 11वीं से पीएच0डी तक की शिक्षा के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना और स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर के व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए मेरिट–सह–साधन आधारित छात्रवृत्ति योजना शुरू की गई हैं। इन योजनाओं के तहत दिनांक 31 दिसम्बर, 2011 तक अल्पसंख्यक समुदाय के 33.90 लाख छात्रों को छात्रवृत्तियां प्रदान करने के लिए ₹ 649.21 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई। इसके अतिरिक्त, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा एम0फिल और पीएच0डी के छात्रों के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति नामक योजना भी कार्यान्वयनाधीन रही। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा 756 अध्येतावृत्तियां और 3778 अध्येतावृत्ति नवीकरण के मामले स्वीकृत किए गए हैं और दिनांक 31.12.2011 तक ₹ 51.98 करोड़ की वित्तीय सहायता दी गयी है।

(च) मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान की ₹ 100 करोड़ की संचित निधि को दिसम्बर, 2006 में दूना बढ़ाकर ₹ 200 करोड़ कर दिया गया था। संचित निधि में 11वीं योजना अवधि के दौरान वृद्धि कर ₹ 700 करोड़ कर दिया गया था। प्रतिष्ठान की योजनाओं के तहत वर्ष 2007–08 से अब तक

419 गैर–सरकारी संगठनों को शैक्षिक संस्थानों में अवसंरचना विकास के लिए सहायता–अनुदान प्रदान किया गया तथा 11वीं और 12वीं कक्षा के मेधावी छात्राओं को 48471 छात्रवृत्तियां प्रदान की गईं।

(छ) वर्ष 2006–07 में संशोधित कोचिंग एवं संबद्ध योजना की शुरूआत हुई थी। वर्ष 2011–12 के लिए 6000 अभ्यर्थियों को कोचिंग देने के लक्ष्य की तुलना में अल्पसंख्यक समुदायों से संबद्ध 90 अभ्यर्थियों को कोचिंग देने हेतु वित्तीय सहायता दी गयी। कुल ₹ 16.00 करोड़ के बजटीय प्रावधान की तुलना में दिनांक 31.12.2011 तक ₹ 4.00 करोड़ की राशि अवमुक्त की गयी।

(ज) वर्ष 2008–09 में अल्पसंख्यक बहुल 90 अभिनिर्धारित जिलों में बहु–क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम शुरु किया गया। योजना की शुरूआत से हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम, मणिपुर, बिहार, मेघालय, झारखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, उड़ीसा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, उत्तराखंड, मिजोरम, जम्मू और कश्मीर, दिल्ली, मध्यप्रदेश, सिक्किम और अरूणाचल प्रदेश राज्यों और संघ राज्यों में अल्पसंख्यक बहुल 90 जिलों की योजनाओं को (63 जिलों की योजनाओं को पूर्णतः और 27 जिलों की योजनाओं को आंशिक) स्वीकृति प्रदान की गई तथा योजना की शुरूआत से 31 दिसम्बर, 2011 तक ₹ 2588.34 करोड़ की राशि अवमुक्त की गयी।

3.4 सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय :

सामाजिक–धार्मिक समुदायों के लिए विभिन्न सामाजिक–आर्थिक और आधारभूत सुविधा मानदंडों से संबंधित आंकड़े संकलित करने के लिए सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय में एक राष्ट्रीय डाटा बैंक स्थापित किया गया है।

3.5 योजना आयोग :

(क) उचित एवं सुधारात्मक नीतिगत निर्णय लेने के लिए एकत्र किए गए आंकड़ों के विश्लेषण हेतु योजना आयोग में स्वायत्त आकलन एवं निगरानी प्राधिकरण स्थापित किया गया है। चूंकि दिनांक 15 जनवरी, 2011 को आकलन एवं निगरानी प्राधिकरण का कार्यकाल समाप्त हो गया, इसलिए योजना आयोग ने आकलन एवं निगरानी प्राधिकरण का पुनर्गठन किया और नवपुनर्गठित आकलन एवं निगरानी प्राधिकरण ने कुछ बैठकें आयोजित की हैं।

(ख) योजना आयोग में कौशल विकास कार्य में तेजी लाने के लिए एक विस्तृत सांस्थानिक तंत्र स्थापित किया गया है ताकि अल्पसंख्यकों सहित देश भर के कौशल विकास से जुड़ी आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। इस तंत्र में शामिल हैं – नेशनल कॉउंसिल ऑन स्किल डेवलपमेंट, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन बोर्ड और नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन।

3.6 कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग :

(क) अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए सरकारी कर्मचारियों की जानकारी हेतु कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा एक प्रशिक्षण माड्यूल विकसित किया गया है। ये माड्यूल प्रशिक्षण के लिए केन्द्रीय/राज्य प्रशिक्षण संस्थानों को भेजे गये हैं।

(ख) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने राज्य सरकारों और संघ राज्य–क्षेत्रों को सलाह दी है कि वे मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में थानों में मुस्लिम पुलिस कार्मिक तथा मुस्लिम स्वास्थ्य कार्यकर्ता और शिक्षकों की तैनाती करें। गृह मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालयों ने भी दिशा–निर्देश जारी कर राज्यों/संघ राज्यों से ऐसी ही कार्रवाई करने की सलाह दी है।

3.7 गृह मंत्रालय :

(क) परिसीमन अधिनियम की समीक्षा के लिए गठित उच्च शक्तिप्राप्त समिति ने सच्चर समिति की रिपोर्ट में परिसीमन योजनाओं के तहत सुरक्षित चुनाव क्षेत्रों में खामी के संदर्भ में व्यक्त चिंताओं पर विचार किया है तथा अपनी रिपोर्ट सौंप दी है।

(ख) राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के कार्यबल द्वारा "साम्प्रदायिक एवं लक्षित हिंसा निवारण (न्याय एवं क्षतिपूर्ति) विधेयक, 2011" शीर्षक से विधेयक का प्रारूप तैयार किया है। परिषद द्वारा विधेयक को दिनांक 25.7.2011 को गृह मंत्रालय को भेजा गया है। विधेयक के प्रारूप की समीक्षा गृह मंत्रालय द्वारा की जा रही है।

3.8 शहरी कार्य मंत्रालय और आवास तथा निर्धनता उन्मूलन मंत्रालय :

जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम), लघु एवं मध्यम नगरों में शहरी अवसंरचना विकास की योजना (यूआईडीएसएसएमटी), समेकित आवास एवं स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी) के तहत अल्पसंख्यक बहुल नगरों और शहरों में धनराशि के प्रवाह के आवश्यक उपाय किए गए हैं, ताकि ऐसे नगरों से संबंधित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में अल्पसंख्यकों के लिए पर्याप्त प्रावधान शामिल हों। इन उपायों में शामिल हैं :–

(क) यू आई डी एस एस एम टी के अंतर्गत अल्पसख्यक बहुल 88 नगरों के लिए ₹ 2672.34 करोड़ स्वीकृत किये गये हैं।

(ख) आई०एच०एस०डी०पी० के तहत ₹ 1897.69 करोड़ लागत की परियोजनायें अल्पसख्यक बहुल आबादी वाले 101 नगरों के लिए हैं।

(ग) बी0 एस0 यू0 पी0 के तहत 17 नगरों के लिए ₹ 7086.47 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं।

(घ) उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, लक्षदीप, पुडूचेरी और केरल राज्य सरकारों को वक्फ बोर्ड परिसंपत्तियों पर किराया नियंत्रण अधिनियम से छूट दी गई है, जबकि अरूणाचल प्रदेश और नागालैंड राज्यों ने सूचित किया है कि उनके राज्य में वक्फ परिसंपत्ति नहीं है।

3.9 श्रम और रोजगार मंत्रालय :

असंगठित क्षेत्र में, जिसमें अन्य के साथ–साथ गृह आधारित कामगार शामिल हैं, कामगारों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए संसद द्वारा एक विधेयक पारित किया गया है।

3.10 संस्कृति मंत्रालय :

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन आने वाले वक्फों की सूची की समीक्षा के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के परिमंडलों की राज्य वक्फ बोर्डों के साथ बैठकें आयोजित की गयी हैं।

3.11 स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय :

अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण से जुड़ी योजनाओं से संबंधित सूचनाओं का प्रचार–प्रसार क्षेत्रीय भाषाओं में किया जा रहा है।

3.12 पंचायती राज मंत्रालय :

पंचायती राज मंत्रालय तथा शहरी विकास मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों को स्थानीय निकायों में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व की स्थिति में सुधार लाने की सलाह दी गई है।

पंचायती राज मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत की गयी सूचना के अनुसार उत्तराखंड, केरल, पश्चिम बंगाल और लक्षद्वीप राज्यों/संघ राज्यों में जिला और पंचायत स्तर पर अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के प्रावधान विद्यमान हैं। हिमाचल प्रदेश और ओडिसा राज्य सरकारों ने सूचित किया है कि यह मामला राज्य सरकार में विचाराधीन है।

शहरी विकास मंत्रालय ने सूचित किया है कि केरल, पश्चिम बंगाल और हरियाणा राज्य सरकारों ने दिशा–निर्देशों को क्रियान्वित कर दिया है।

3.13 सूचना और प्रसारण मंत्रालय :

सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा नियमित रूप से अल्पसंख्यक कल्याण से जुड़े विभिन्न विषयों पर फिल्म–चित्र जारी किए जाते रहे हैं। इन फिल्म–चित्रों में छात्रवृत्ति योजनाओं तथा सच्चर समिति रिपोर्ट के अनुसरण में की गई पहलों से संबंधित जानकारी शामिल की गयी है।

अध्याय–4

अल्पसंख्यक बहुल जिलों (एमसीडी) की पहचान

4.1 वर्ष 1987 में वर्ष 1971 की जनगणना के आधार पर किसी जिले में 20 प्रतिशत अथवा इससे अधिक की आबादी मात्र के एकल मानदंड के आधार पर अल्पसंख्यक बहुल 41 जिलों की सूची तैयार की गई थी, ताकि इन जिलों में सरकारी कार्यक्रमों और योजनाओं पर विशेष बल दिया जा सके।

4.2 सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों का लाभ समाज के पिछड़े वर्गों तक पहुंचाया जाना सुनिश्चित करने के लिए यह निर्णय लिया गया था कि वर्ष 2001 की अल्पसंख्यक जनगणना और पिछड़ेपन के मानदंडों के आधार पर जिलों की पहचान की जाय। इसलिए वर्ष 2001 की जनगणना में पिछड़ेपन के मानकों तथा जनसंख्या संबंधी आंकड़ों के आधार पर नए सिरे से कार्य किया गया :

जिला स्तर पर धर्म–विशिष्ट सामाजिक–आर्थिक संकेतक :

(i) साक्षरता दर;

(ii) महिला साक्षरता दर;

(iii) कार्य में भागीदारी दर; और

(iv) महिलाओं द्वारा कार्य में भागीदारी दर

जिला स्तर पर आधारभूत सुविधा संकेतक –

(i) पक्की दीवार वाले मकानों की प्रतिशतता;

(ii) स्वच्छ पेयजल वाले मकानों की प्रतिशतता;

(iii) विद्युत सुविधा वाले मकानों की प्रतिशतता; और

(iv) वाटर क्लोजेट लैट्रीन सुविधा वाले मकानों की प्रतिशतता

4.3 यद्यपि, समग्र साक्षरता और कार्य भागीदारी दर में महिला साक्षरता और कार्य भागीदारी को शामिल किया गया है, फिर भी इन पर अलग–अलग विचार किया जाना महत्त्वपूर्ण होगा, क्योंकि ये विकास स्तर मुख्यतः जेन्डर इक्विटी के स्वतंत्र संकेतक का निर्माण करते हैं।

4.4 अल्पसंख्यक बहुल जिलों की पहचान का कार्य इस प्रकार किया गया है :–

(i) (क) 29 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कुल आबादी के कम से कम 25% अल्पसंख्यक आबादी वाले जिलों की पहचान की गई।

(ख) 29 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 5 लाख से अधिक अल्पसंख्यक आबादी वाले जिलों और 20% से अधिक किन्तु 25% से कम अल्पसंख्यक आबादी वाले जिलों की पहचान की गई।

(ग) अल्पसंख्यक समुदाय की बहुलता वाले 6 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में उन जिलों की पहचान की गई जिनमें अल्पसंख्यक आबादी 15% तक है तथा अल्पसंख्यक समुदाय बहुलता में है, किन्तु वे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अल्पसंख्यक समुदाय की दृष्टि से बहुसंख्यक हैं।

(ii) इसके बाद, "पिछड़ेपन" के संदर्भ में इन जिलों की स्थिति का मूल्यांकन सामाजिक–आर्थिक और आधारभूत सुविधा संकेतकों के दो मानकों को ध्यान में रखकर किया गया। वर्ष 2007 में वर्ष 2001 की जनगणना में पिछड़ेपन के मानकों और जनसंख्या संबंधी आंकड़ों के आधार पर अल्पसंख्यक बहुल 90 जिलों, जहां अल्पसंख्यकों की अच्छी खासी आबादी है तथा जो सामाजिक–आर्थिक और आधारभूत सुविधा संकेतक की दृष्टि से राष्ट्रीय औसत से नीचे और अपेक्षाकृत पिछड़े हैं, की पहचान की गई। अल्पसंख्यक बहुल 90 जिलों में से 53 जिलों को "ए" श्रेणी में रखा गया है। "ए" श्रेणी के जिले सामाजिक–आर्थिक और आधारभूत सुविधा मानक दोनों दृष्टि से पिछड़े हैं। शेष 37 जिले "बी" श्रेणी में हैं जिनमें से 20 जिले सामाजिक–आर्थिक मानदंड की दृष्टि से और 17 जिले आधारभूत सुविधा मानदंड की दृष्टि से पिछड़े हैं। इन्हें क्रमशः उपश्रेणी "बी1" और "बी2" में रखा गया है। इन जिलों की सूची **अनुलग्नक–IV (क), IV (ख) और IV (ग)** में है।

4.5 अल्पसंख्यक बहुल आबादी वाले 90 जिलों की पहचान–कार्य को अनुमोदित करते समय सरकार ने विशेष क्षेत्र विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए निर्देश दिया था।

4.6 इन जिलों में अपर्याप्त विकास के निर्धारण के लिए भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान संस्थान (आईसीएसएसआर), नई दिल्ली को आधारभूत सर्वेक्षण करने का कार्य सौंपा गया था। आईसीएसएसआर, नई दिल्ली से सम्बद्ध अनुसंधान संस्थानों द्वारा सर्वेक्षण कार्य किया गया है।

अध्याय–5

बहु–क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम की योजना (एमएसडीपी)

5.1 इस कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए आधारभूत सुविधा के सामाजिक–आर्थिक मानदंडों में सुधार लाना तथा ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अल्पसंख्यक बहुल जिलों में असंतुलन को कम करना है। अभिनिर्धारित "अपर्याप्त विकास" की समस्या का समाधान जिला विशिष्ट योजनाओं के माध्यम से स्कूल और माध्यमिक शिक्षा, स्वच्छता, पक्के मकानों, पेयजल और विद्युत आपूर्ति के लिए बेहतर अवसंरचना के प्रावधान के साथ–साथ आय सृजक गतिविधियों के लिए लाभार्थी उन्मुख योजनाओं के माध्यम से किया जाएगा। विकास प्रक्रिया को गति देते हुए आय सृजक गतिविधियों और जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए अपेक्षित सम्पर्क सड़क, आधारभूत स्वास्थ्य अवसंरचना, समन्वित बाल विकास सेवा केन्द्र, कौशल विकास और विपणन सुविधा आदि जैसे नितांत आवश्यक और अवसंरचना शृंखला को योजना के तहत शामिल किया गया है। कार्यक्रम के तहत अल्पसंख्यक बहुल 90 जिलों के ग्रामीण और अर्द्धग्रामीण क्षेत्रों पर ध्यान दिया जाता है।

5.2 कार्यक्रम का कार्यान्वयन राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों में अल्पसंख्यक कार्य/कल्याण कार्य से जुड़े विभाग द्वारा लाइन विभागों/एजेंसियों को सौंपी गई परियोजनाओं के माध्यम से किया जाता है। बहुक्षेत्रीय विकास योजना के कार्यान्वयन के लिए जहां कहीं तंत्र स्थापित है, पंचायती राज संस्थाओं/शहरी स्थानीय निकायों को शामिल किया जाएगा। तथापि, राज्य यह निर्णय ले सकता है कि परियोजना का संचालन अर्हता प्राप्त, ख्याति प्राप्त और अनुभव प्राप्त एजेंसी के साथ–साथ विख्यात एवं स्वीकार्य गैर–सरकारी संगठनों के माध्यम से कराए, जिसके औचित्य से संबंधित विवरण का उल्लेख प्रस्ताव में किया जाएगा।

5.3 इस कार्यक्रम के तहत नए पदों के सृजन की कड़ाई से मनाही है। राज्य सरकार/संघ राज्य प्रशासन की यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी होगी कि कार्यक्रम के तहत सृजन हेतु प्रस्तावित परिसंपत्तियों के संचालन के लिए अपेक्षित स्टाफ या तो पहले से उपलब्ध हों या उनके द्वारा उपलब्ध कराए जाएं।

5.4 कथित जिले में कार्यान्वित किसी भी केन्द्रीय अथवा केन्द्र प्रायोजित योजना के दिशा–निर्देशों में कोई बदलाव नहीं होगा, जिसके लिए यह योजना अतिरिक्त धन उपलब्ध कराती है। जहां तक संभव होगा कार्यक्रम के तहत उपयुक्त सामाजिक–आर्थिक अवसंरचना उपलब्ध कराने पर बल दिया जाएगा, न कि व्यक्तिगत लाभार्थी को लक्षित किया जाएगा। यदि कार्यक्रम के तहत व्यक्तिगत लाभार्थियों के लिए योजनाओं को शुरू किया जाता है तो जिले में गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की सूची से लाभार्थियों के चयन हेतु वर्तमान मानकों का कड़ाई से अनुपालन करना होगा ताकि अतिरिक्त धनराशि से गरीबी रेखा से नीचे के सभी परिवारों को लाभ हो, न कि केवल चयनित अल्पसंख्यक समुदाय के परिवारों को।

5.5 इन जिलों में 'अपर्याप्त विकास' के निर्धारण के लिए भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान संस्थान (आईसीएसएसआर) नई दिल्ली को आधारभूत सर्वेक्षण करने का कार्य सौंपा गया है। सर्वेक्षण कार्य आईसीएसएसआर, नई दिल्ली से सम्बद्ध अनुसंधान संस्थानों द्वारा कर लिया गया है।

5.6 सम्बद्ध राज्य सरकार/संघ राज्य प्रशासन को वित्तीय सहायता उपयुक्त किश्तों में 100% अनुदान आधार पर स्वीकृत की जाती है, जो स्वीकृत बहुक्षेत्रीय विकास योजना के अनुसार की गई संतोषजनक प्रगति से जुड़ी होगी। कार्यक्रम के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को धनराशि केवल स्वीकृत जिला विकास योजनाओं के आधार पर जारी की जाती है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा सहायता प्रदान करने हेतु एक बार प्रस्ताव के अनुमोदित हो जाने पर पहली किश्त जारी की जाती है। धनराशि का जारी किया जाना राज्य सरकार/संघ राज्य प्रशासनों से मिली निम्नलिखित प्रतिबद्धताओं पर आधारित होगा :–

(क) अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ प्रधानमंत्री के नए 15–सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए राज्य स्तरीय समिति का गठन किया जाना, यदि गठन नहीं हुआ है तो।

(ख) अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ प्रधानमंत्री के नए 15–सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए जिला स्तरीय समिति का गठन किया जाना, यदि गठन नहीं हुआ है तो।

(ग) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में एक विभाग को अधिसूचित किया जाना जो अल्पसंख्यक कल्याण से जुड़ी योजनाओं की स्पष्ट जिम्मेदारी का निर्वहन कर सके।

(घ) उस विभाग में एक ऐसे प्रकोष्ठ का गठन किया जाना जो विशेषकर इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन, उसकी निगरानी, रिपोर्टिंग और मूल्यांकन कर सके। यह प्रकोष्ठ सूचना प्रोद्योगिकी संबंधी सुविधाओं से सज्जित होगा।

(ङ) यह सुनिश्चित करना कि अल्पसंख्यक बहुल जिलों के लिए उपलब्ध करायी गई निधि इन जिलों के लिए अतिरिक्त संसाधन है जो जिलों में पहले से प्रदत्त राज्य सरकारों की निधियों का स्थान नहीं ले सकती। अल्पसंख्यक बहुल जिलों से निधियों के विचलन को रोकने के लिए सम्बद्ध जिलों में पिछले वर्ष प्रदत्त निधि को बेंचमार्क के तौर पर लिया जाएगा।

(च) इस बात से सहमत होना कि ऐसी केन्द्रीय योजनाओं/कार्यक्रमों में राज्य के हिस्से की धनराशि जिलों की अपेक्षा अनुसार जिलों को उपलब्ध कराना जिन्हें अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध करायी जा रही है।

(छ) इस बात से सहमत होना कि इस कार्यक्रम के तहत सृजित वास्तविक संपत्तियों का संचालन और उनका रख–रखाव किया जाएगा।

निगरानी तंत्र

5.7 अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ प्रधानमंत्री के नए 15–सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय समिति तथा उपायुक्त/क्लेक्टर की अध्यक्षता में गठित

जिला स्तरीय समिति इस कार्यक्रम के लिए समितियों के रूप में कार्य करेगी। जिला स्तरीय समिति अल्पसंख्यक बहुल जिलों के लिए विकास योजना तैयार करेगी। जिला और राज्य स्तरीय दोनों समितियां यह सुनिश्चित करेंगी कि योजनाओं का कोई दोहरीकरण नहीं है, निधि का विचलन नहीं है तथा निधि का स्तर पिछले वर्ष की तुलना में कम नहीं है और इस कार्यक्रम की धनराशि योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए पर्याप्त है।

5.8 अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में 'एमएसडीपी शक्ति प्रदत्त समिति' बहु–क्षेत्रीय विकास योजनाओं के तहत परियोजनाओं का आकलन, उनकी अनुशंसा और उन्हें स्वीकृति प्रदान करती है। शक्तिप्रदत्त समिति केन्द्र स्तर पर निगरानी समिति के रूप में भी कार्य करती है तथा कार्यक्रम के कार्यान्वयन की निगरानी करती है। अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ प्रधानमंत्री के नए 15–सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय समिति भी कार्यक्रम के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर निगरानी समिति का कार्य करती है।

कार्यान्वयन की स्थिति

5.9 बहु–क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम वर्ष 2008–09 में शुरू किया गया था। अल्पसंख्यक बहुल 90 जिलों से संबंधित योजनाओं पर विचार किया गया तथा इनमें से 63 जिलों की योजनाओं को पूर्णतः तथा 27 जिलों की योजनाओं को आंशिक स्वीकृति प्रदान की गई। वर्ष 2008–09 से दिनांक 31 दिसम्बर, 2011 तक ₹ 2588.34 करोड़ की राशि जारी की गयी है। वर्ष 2011–12 के दौरान 31 दिसम्बर, 2011 तक राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को ₹ 432.32 करोड़ की राशि जारी की गई है।

अल्पसंख्यक बहुल जिलों में बहु–क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए अक्तूबर, 2008 से, जब पहली बार धनराशि जारी की गयी थी, बजटीय प्रावधान, जारी की गयी धनराशि और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा संसूचित व्यय के ब्यौरे नीचे की सारणी में दिए गए हैं :–

(करोड़ ₹ में)

वर्ष	बजट अनुमान	मंत्रालय द्वारा वस्तुतः जारी धनराशि	राज्यों/संघ राज्यों द्वारा संसूचित व्यय	मंत्रालय के व्यय का प्रतिशत	राज्यों/संघ राज्यों के व्यय का प्रतिशत
2008–09	280	270.85	268.75	96.73	99.22
2009–10	990	971.94	687.773	98.18	70.76
2010–11	1327.32	913.23	282.02	68.80	30.88
2011–12 (31 दिसम्बर, 2011 तक)	1218.40	432.32	–	35.48	–
योग	**3815.72**	**2588.34**	**1238.54**	**67.83**	**47.85**

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से कार्यक्रम के तहत यह अपेक्षित होता है कि वे पहले जारी धनराशि के माध्यम से पूरा कर चुके और चालू कार्यों के फोटोग्राफ अगली किश्त जारी किए जाने हेतु अनुरोध करते समय मंत्रालय को प्रस्तुत करें। अरूणाचल प्रदेश, असम, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बिहार, हरियाणा, झारखंड, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मणिपुर, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मेघालय, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों के अल्पसंख्यक बहुल जिलों की पूर्ण हो चुकी और चालू परियोजनाओं के फोटोग्राफ प्राप्त हो गए हैं, जिन्हें मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है।

ऑनलाइन स्कालरशिप मैनेजमेंट सिस्टम तथा बहु–क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए सचिव, अल्पसंख्यक कार्य की अध्यक्षता में राज्यों/संघ राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ दिनांक 22 सितम्बर, 2011 को सम्पन्न बैठक।

अध्याय–6

मैट्रिक–पूर्व छात्रवृत्ति योजना

6.1 अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए मैट्रिक–पूर्व छात्रवृत्ति योजना को 30 जनवरी, 2008 को स्वीकृति मिली थी। "मैट्रिक–पूर्व छात्रवृत्ति योजना" का उद्देश्य माता–पिता को अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए शिक्षा पर उनके ऊपर पड़ने वाले वित्तीय बोझ को कम करने के लिए सहायता देने तथा उनके बच्चे अपनी शिक्षा पूरी करें, के संबंध में उन्हें प्रोत्साहित करना है। यह योजना 1 अप्रैल, 2008 से केन्द्र और राज्य के मध्य 75:25 के अनुपात में वित्तीय भागीदारी से एक केन्द्र प्रायोजित योजना के रूप में शुरू की गई थी। इस योजना के अंतर्गत संघ राज्य क्षेत्रों को 100% केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना का कार्यान्वयन राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों के माध्यम से होता है।

6.2 मैट्रिक–पूर्व छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए पात्र छात्रों को पिछली अंतिम परीक्षा में कम से कम 50% अंक प्राप्त किए होने चाहिए तथा उनके माता–पिता/अभिभावक की वार्षिक आय ₹ 1.00 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस योजना के अंतर्गत एक परिवार के केवल दो बच्चे ही छात्रवृत्ति के लिए पात्र होंगे। इस योजना के अंतर्गत छात्रवृत्तियों का 30% भाग छात्राओं के लिए निर्धारित है। यदि पर्याप्त संख्या में छात्राएं उपलब्ध नहीं होती हैं, तो इन छात्रवृत्तियों का उपयोग छात्रों द्वारा किया जा सकता है और निर्धारित शेष छात्रवृत्तियां पात्र छात्रों को प्रदान कर दी जाएंगी। परस्पर चयन की अधिमानता अंकों को न देकर गरीबी को दी जाएगी।

6.3 छात्रवृत्ति सम्पूर्ण पाठ्यक्रम के लिए दी जाती है। तथापि गुजाराभत्ता केवल एक शैक्षिक वर्ष में 10 महीनों के लिए ही प्रदान किया जाता है।

6.4 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पांच अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों नामतः मुस्लिम, इसाई, सिक्ख, बौद्ध, पारसी से संबद्ध छात्रों को वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अल्पसंख्यकों की आबादी के आधार पर वितरित की जाती है।

6.5 ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007–12) के दौरान 25 लाख छात्रवृत्तियां प्रदान करने हेतु ₹ 1400 करोड़ के परिव्यय का प्रावधान किया गया है। इनमें से 30% छात्रवृत्तियां छात्राओं के लिए निर्धारित हैं। वर्ष 2011–12 (31.12.2011 तक) के दौरान ₹ 319.80 करोड़ की राशि जारी की गई तथा 29.23 लाख छात्रवृत्तियां प्रदान की गईं। इनमें से 53.80 प्रतिशत छात्रवृत्तियां छात्राओं के लिए थीं।

6.6 मंत्रालय का यह सतत प्रयास रहा है कि मैट्रिक–पूर्व, मैट्रिकोत्तर और मेरिट–सह–साधन आधारित छात्रवृत्ति योजनाओं में पारदर्शिता की स्थिति में सुधार लाया जाए। इस प्रयोजन से मंत्रालय

की वेबसाइट पर प्रत्येक छात्रवृत्ति योजनाओं के संबंध में बार–बार पूछे जाने वाले प्रश्नों और उनके उत्तरों को अपलोड कर दिया गया है। इसी प्रकार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में प्रदान की गयी छात्रवृत्तियों की सूची को उनकी वेबसाइट पर अपलोड किया जा रहा है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के वेबसाइटों को मंत्रालय की वेबसाइट www.minorityaffairs.gov.in से जोड़ा गया है। मंत्रालय की वेबसाइट पर सूचनाओं को नियमित तौर पर अद्यतन किया जाता है। छात्रों की सहायतार्थ एक हेल्पलाइन (दूरभाष सं0 011–24364282) की व्यवस्था की गयी है, जो कार्य दिवसों के दिन कार्य करता है।

6.7 इस योजना के तहत राज्य–वार एवं समुदाय–वार वास्तविक एवं वित्तीय उपलब्धियों के ब्यौरे **अनुलग्नक–V** में हैं।

अध्याय–7

मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना

7.1 अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना की शुरूआत नवम्बर, 2007 में हुई थी। "मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना" का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदाय के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करना है ताकि उन्हें उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर मिल सके, उनकी उच्च शिक्षा दर में वृद्धि हो सके और उनकी रोजगार प्राप्त करने की क्षमता में बढ़ोत्तरी हो सके। यह 100% केन्द्रीय वित्तीय सहायता वाली केन्द्र प्रायोजित योजना है जिसका कार्यान्वयन राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों के माध्यम से होता है। यह छात्रवृत्ति केवल भारत में सरकारी उच्चतर माध्यमिक स्कूल/कॉलेज तथा आवासीय सरकारी उच्चतर माध्यमिक स्कूल/कॉलेज तथा सम्बद्ध राज्य सरकार/संघ राज्य प्रशासन द्वारा पारदर्शी ढंग से अधिसूचित चुनिंदा एवं पात्र निजी संस्थानों में अध्ययन के लिए दी जाती है।

7.2 पिछली अंतिम परीक्षा में कम से कम 50% अंक प्राप्त किए ऐसे छात्र छात्रवृत्ति के लिए पात्र हैं जिनके माता–पिता/संरक्षकों की वार्षिक आय ₹ 2 लाख से अधिक न हो। यदि पर्याप्त संख्या में छात्राएं उपलब्ध नहीं होती हैं, तो छात्रवृत्तियां पात्र छात्रों को प्रदान कर दी जाती हैं। इस योजना के अंतर्गत छात्रवृत्तियां एक परिवार के केवल 2 बच्चों को ही प्रदान की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत छात्रवृत्तियों का 30% भाग छात्राओं के लिए निर्धारित है। इसका उपयोग छात्रों द्वारा तभी किया जा सकता है, जब पर्याप्त संख्या में छात्राएं उपलब्ध न हों। निर्धारित शेष छात्रवृत्तियां पात्र छात्रों को प्रदान की जा सकती हैं। गरीबी रेखा से नीचे जीवन–यापन करने वाले परिवारों, जिनकी निम्नतम आय हो, से संबद्ध छात्रों को प्राथमिकता आरोही क्रम दी जाएगी।

7.3 छात्रवृत्ति सम्पूर्ण पाठ्यक्रम के लिए दी जाती है। तथापि गुजाराभत्ता केवल एक शैक्षिक वर्ष में 10 महीनों के लिए ही प्रदान किया जाता है।

7.4 मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पांच अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों नामतः मुस्लिम, इसाई, सिक्ख, बौद्ध, पारसी से संबद्ध छात्रों को वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अल्पसंख्यकों की आबादी के आधार पर वितरित की जाती हैं।

7.5 योजनावधि (2007–12) के दौरान 15 लाख छात्रवृत्तियां प्रदान करने के लिए ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना हेतु ₹ 1150 करोड़ के परिव्यय का प्रावधान किया गया है। वर्ष 2011–12 (31.12.2011 तक) के दौरान 4.38 लाख छात्रवृत्तियां प्रदान करने के लिए ₹ 248.12 करोड़ की राशि जारी की गयी। इनमें से 55.65% छात्रवृत्तियां छात्राओं के लिए थीं।

7.6 इस योजना के तहत राज्य–वार एवं समुदाय–वार वास्तविक एवं वित्तीय उपलब्धियों के ब्यौरे **अनुलग्नक– VI** में हैं।

अध्याय–8

मेरिट–सह–साधन आधारित छात्रवृत्ति योजना

8.1 यह योजना केन्द्र प्रायोजित योजना है, जो वर्ष 2007 में शुरू की गयी थी। इसका कार्यान्वयन राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों के माध्यम से किया जा रहा है। इसका सम्पूर्ण व्यय केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है। उपयुक्त प्राधिकरण से मान्यता–प्राप्त संस्थानों में स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर की व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रमों में अध्ययन करने वालों को छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष छात्रवृत्तियों के नवीकरण के अतिरिक्त 20 हजार छात्रवृत्तियां प्रदान करने का प्रस्ताव है।

8.2 छात्रवृत्तियों में से 30 प्रतिशत छात्रवृत्तियां छात्राओं के लिए निर्धारित हैं। पर्याप्त संख्या में पात्र छात्राओं के अनुपलब्ध होने पर इनका उपयोग छात्रों द्वारा किया जा सकता है।

8.3 इस योजना के तहत व्यावसायिक एवं तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए 70 संस्थानों को सूचीबद्ध किया गया है। इन संस्थानों में प्रवेश प्राप्त अल्पसंख्यक समुदाय के पात्र छात्रों को पूरे पाठ्यक्रम शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाती है। अन्य संस्थानों में अध्ययन कर रहे छात्रों को ₹ 20,000 वार्षिक की दर से पाठ्यक्रम शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाती है।

8.4 छात्रवृत्ति प्राप्ति के लिए पात्रता यह है कि छात्र को उपयुक्त प्राधिकरण से मान्यताप्राप्त किसी भी तकनीकी अथवा व्यावसायिक संस्थान में प्रवेश लिया होना चाहिए। यदि छात्रों को प्रतियोगी परीक्षा दिए बिना प्रवेश मिल गया हो तो उन्हें 50 प्रतिशत से कम अंक अर्जित किया हुआ नहीं होना चाहिए। परिवार की सभी स्रोतों से वार्षिक आय ₹ 2.50 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।

ऑनलाइन छात्रवृत्ति प्रबंधन प्रणाली (ओएसएमएस)

8.5 मेरिट–सह–साधन आधारित छात्रवृत्ति योजना के लिए ऑनलाइन छात्रवृत्ति प्रबंधन प्रणाली (ओएसएमएस) की शुरूआत वर्ष 2011–12 से एक पायलेट परियोजना के रूप में की गयी है। इसके सफल होने पर इसका विस्तार अन्य छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए किया जाएगा। इस परियोजना की शुरूआत से पहले राज्यों के साथ कई बैठकें आयोजित की गयीं ताकि योजनाओं को कार्यरूप देने के प्रति सहमति बनायी जा सके। यह कार्य एनआईसी को सौंपा गया था।

ऑनलाइन छात्रवृत्ति के लिए समर्पित वेबसाइट पर यूआरएल www.momascholarship.gov.in के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। इसका संपर्क मंत्रालय की वेबसाइट www.minorityaffairs.gov.in से भी है।

अब तक कुल 1,05,046 आनलाइन छात्रवृत्ति आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें नई छात्रवृत्तियों के लिए 77046 ऑनलाइन आवेदन तथा छात्रवृत्तियों के नवीकरण के लिए 28,000 आवेदन हैं।

ऑनलाइन छात्रवृत्ति प्रबंधन प्रणाली (ओएसएमएस) प्रयोगकर्ता और स्टेकहोल्डर दोनों की दृष्टि से उपयोगी सिद्ध हुई है। प्रयोगकर्ताओं के लिए इस प्रणाली की सहायता का आंकलन इस तथ्य से किया जा सकता है कि विद्यमान ऑनलाइन प्रणाली के तहत देश में कहीं से भी आवेदन भेजे गये हैं। कोई भी आवेदक अपने आवेदन की प्रगति पर निगरानी रख सकता है/सकती है और इस प्रकार इस प्रणाली में पारदर्शिता बनी रह सकती है। इससे जवाबदेही की स्थिति में सुधार आया है, क्योंकि प्रत्येक आवेदन से संबंधित जानकारी प्रणाली पर डालनी होती है तथा किसी निर्णय के कारण का भी स्टेकहोल्डर पता लगा सकते हैं। मैनेजमेंट इंफोरमेंशन सिस्टम वास्तविक समय के आधार पर सृजित होने के कारण ओएसएमएस से निगरानी की प्रक्रिया में भी सुधार लाने में सहायता मिलती है।

उपलब्धि

8.6 इस योजना की शुरूआत के समय से 31 दिसम्बर, 2011 तक की वास्तविक और वित्तीय उपलब्धि इस प्रकार रही –

वर्ष	लक्ष्य	वास्तविक रूप से स्वीकृत छात्रवृत्तियों की संख्या				धनराशि.
		नई	नवीकरण	योग	छात्राओं को दी गई छात्रवृत्तियाँ (%)	(करोड़ ₹ में).
2007–08 (शुरू)	20,000	17258	0	17258	5009 (29.02%)	40.90
2008–09	35,000	17099	9096	26195	8660 (33.06%)	64.73
2009–10	42,000	19285	16697	35982	11684 (32.47%)	97.51
2010–11	55,000	19518	21538	41056	14077 (34.29%)	108.75
2011–12*	55,000	19435	10144	29579	11259 (38.06%)	81.29

* आंकड़े दिनांक 31.12.2011 तक के हैं। राज्य–वार/समुदाय–वार उपलब्धि के ब्यौरे **अनुलग्नक–VII** में हैं।

अध्याय–9

निःशुल्क कोचिंग एवं सम्बद्ध योजना

9.1 अल्पसंख्यक समुदाय के अभ्यर्थियों के लिए "निःशुल्क कोचिंग एवं सम्बद्ध योजना" नामक योजना इस मंत्रालय द्वारा दिनांक 17.7.2007 से शुरू की गयी। इस योजना को और प्रभावी बनाने की दृष्टि से दिनांक 16.10.2008 से संशोधित किया गया था।

9.2 इस योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों और अभ्यर्थियों के ज्ञान और कौशल में वृद्धि करना है ताकि वे सरकारी क्षेत्र/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा निजी क्षेत्र में रोजगार प्राप्त कर सकें तथा स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर के तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में ख्यातिप्राप्त संस्थानों में प्रवेश पा सकें तथा पाठ्यक्रमों को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए इन संस्थानों में सुधारात्मक कोचिंग प्राप्त कर सकें।

9.3 योजना के तहत सरकारी और निजी क्षेत्र के कोचिंग संस्थानों को अल्पसंख्यक समुदाय के अभ्यर्थियों को निःशुल्क कोचिंग/प्रशिक्षण देने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जाती है।

9.4 इस योजना का लाभ प्राप्त करने के इच्छुक छात्रों/अभ्यर्थियों को अल्पसंख्यक समुदाय का होना चाहिए। उनके माता–पिता/अभिभावकों की समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय ₹ 2.50 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। छात्रों/अभ्यर्थियों के पास उस पाठ्यक्रम के लिए अपेक्षित शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए, जिस पाठ्यक्रम की कोचिंग वह लेना चाहता/चाहती है।

9.5 ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007–12) में 20,000 छात्रों को छात्रवृत्ति देने के लिए ₹ 45 करोड़ के परिव्यय का प्रावधान किया गया है। वर्ष 2011–12 (31.12.2011 तक) के दौरान 1 (एक) राज्य में 02 संस्थानों को 90 छात्रों को कोचिंग देने के लिए ₹ 4 करोड़ की राशि जारी की गयी। इस मंत्रालय की चयन समिति ने 61 संस्थानों का चयन वित्त वर्ष 2011–12 में इस योजना के तहत 9350 छात्रों/अभ्यर्थियों को कोचिंग देने के लिए किया है। इन सभी संस्थानों को प्रथम किश्त की राशि अवमुक्त करने की प्रक्रिया चल रही है।

9.6 इस योजना से संबंधित सभी सूचनाएं इस मंत्रालय की वेबसाइट www.minorityaffairs.gov.in पर उपलब्ध है।

9.7 कोचिंग के प्रकार और प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता का ब्यौरा नीचे तालिका में है:–

क्र. सं.	कोचिंग के प्रकार	कोचिंग संस्थानों के लिए कोचिंग शुल्क	छात्रों/अभ्यर्थियों के लिए वृत्तिका राशि प्रतिमाह
1.	ग्रुप 'क' सेवाएं	संस्थान द्वारा यथानिर्धारित, अधिकतम सीमा ₹ 20,000	बाहरी अभ्यर्थियों के लिए ₹ 1500 और स्थानीय अभ्यर्थियों के लिए ₹ 750

2.	ग्रुप 'ख' सेवाएं	संस्थान द्वारा यथानिर्धारित, अधिकतम सीमा ₹ 15,000	–– तदैव ––
3.	ग्रुप 'ग' सेवाएं	संस्थान द्वारा यथानिर्धारित, अधिकतम सीमा ₹ 10,000	–– तदैव ––
4.	तकनीकी/व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश परीक्षा	संस्थान द्वारा यथानिर्धारित, अधिकतम सीमा ₹ 20,000	–– तदैव ––
5.	निजी क्षेत्र में नौकरियों के लिए कोचिंग	संस्थान द्वारा यथानिर्धारित, अधिकतम सीमा ₹ 20,000	–– तदैव –
6.	तकनीकी/व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत छात्रों के लिए सुधारात्मक कोचिंग/शिक्षण	संस्थान द्वारा तकनीकी/व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत छात्रों को अतिरिक्त टयूशन कक्षाओं के लिए यथाप्रभारित	लागू नहीं
7.	रेलवे तथा पुलिस/सुरक्षा बलों में आरक्षी और समकक्ष पदों पर भर्ती के लिए कोचिंग (अधिकतम पाँच दिन की अवधि के लिए)	समिति द्वारा निर्धारित और संस्थान द्वारा यथाप्रस्तावित सामान्य दर पर	बाहरी अभ्यर्थियों के लिए ₹ 100/– प्रतिदिन और स्थानीय अभ्यर्थियों के लिए ₹ 50/– प्रतिदिन

ऑनलाइन स्कालरशिप मैनेजमेंट सिस्टम के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए दिनांक 17 दिसम्बर, 2011 को सम्पन्न बैठक में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के कार्मिकों के साथ राज्यों/संघ राज्यों के भागीदार।

अध्याय–10

प्रचार सहित विकास से जुड़ी योजनाओं के अनुसंधान/अध्ययन, निगरानी और मूल्यांकन की योजना

10.1 प्रचार सहित विकास से जुड़ी योजनाओं के अनुसंधान/अध्ययन, निगरानी और मूल्यांकन की केन्द्रीय क्षेत्र की योजना नवम्बर, 2007 में शुरू की गई थी जिसके तहत संस्थानों/संगठनों को अल्पसंख्यकों की समस्याओं/अपेक्षाओं से संबंधित उद्देश्यपरक अध्ययन करने के साथ–साथ योजना की समवर्ती निगरानी और सर्वेक्षण करने के लिए व्यावसायिक प्रभार प्रदान किया जाता है।

10.2 योजना के तहत अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के संबंध में जागरूकता लाने हेतु सूचनाओं के प्रचार–प्रसार के लिए समाचार–पत्र, आकाशवाणी और टेलीविजन के माध्यम से मल्टीमीडिया अभियान का प्रावधान है।

10.3 राष्ट्रीय स्तर के मॉनीटरों के माध्यम से मंत्रालय की योजनाओं की निगरानी करने के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गये हैं। इसे एन.पी.सी. द्वारा कार्यान्वित किया गया है।

10.4 भारतीय लोक प्रशासन संस्थान को रेल मंत्रालय और डाक विभाग में अल्पसंख्यकों के कम प्रतिनिधित्व के संबंध में विशेष अध्ययन करने का कार्य सौंपा गया था। इसकी फाइनल रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गयी है।

10.5 अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा संचालित स्कालरशिप योजनाओं के संबंध में मूल्यांकन अध्ययन करने का कार्य भारतीय समाज–विज्ञान अनुसंधान परिषद (आई सी एस एस आर) को दिया गया है। 14 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 14 जिलों में यह अध्ययन कराया गया है। 17 राज्यों के 24 जिलों में बहु–क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के संबंध में मूल्यांकन कराया गया है। अन्य मंत्रालयों और विशेषज्ञों की टिप्पणियां प्राप्त होने के पश्चात फाइनल रिपोर्ट मंत्रालय की वेबसाइट पर डाल दी जाएगी।

10.6 मार्च, 2011 से दिसम्बर, 2011 तक मंत्रालय की योजनाओं से संबंधित अंग्रेजी भाषा में 138 विज्ञापन, हिन्दी भाषा में 190, उर्दू भाषा में 455 तथा अन्य भाषाओं में 306 विज्ञापन प्रकाशित कराए गए। इसका उद्देश्य मंत्रालय की योजनाओं/कार्यक्रमों तक लोगों की पहुंच हो और उनके बारे में लोगों को जानकारी हो।

10.7 प्रथम चरण में दिनांक 13.6.2011 से 20.8.2011 तक आकाशवाणी के राष्ट्रीय समाचारों, विविध भारती, एफएम और क्षेत्रीय समाचार चैनलों पर 5 रेडियो जिंगल्स प्रसारित कराए गए। दूसरे चरण का प्रचार अभियान आकाशवाणी के माध्यम से दिनांक 15.12.2011 से शुरू किया गया है। इस चरण में

पूर्वोत्तर क्षेत्र के 27 स्टेशनों को शामिल किया गया है।

10.8 दूरदर्शन द्वारा भी मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के संबंध में राष्ट्रीय नेटवर्क (डीडी–1) और डीडी न्यूज, डीडी भारती, डीडी स्पोर्ट्स और क्षेत्रीय केन्द्रों के माध्यम से हिन्दी और स्थानीय भाषाओं में 5 वीडियो स्पॉट्स का प्रसारण दिनांक 10 फरवरी, 2011 से 22 मार्च, 2011 तक तथा पुनः 15.7.2011 से 07.10.2011 तक कराया गया।

10.9 लोगों में अधिक से अधिक जागरूकता लाने के लिए सघन मीडिया अभियान चलाने हेतु मीडिया के मद में वित्त वर्ष 2010–11 के दौरान आवंटित ₹ 18 करोड़ की राशि को बढ़ाकर ₹ 32 करोड़ कर दिया गया है। बारम्बार पूछे जाने वाले प्रश्नों तथा उनके उत्तरों से युक्त पोस्टर और पुस्तिकाओं को डी ए वी पी के माध्यम से अंग्रेजी, हिन्दी, उर्दू और अन्य भाषाओं में छपवाया गया और उन्हें अल्पसंख्यक बहुल जिलों में चुनिन्दा क्षेत्रों तथा विद्यालयों में 20,000 से अधिक पतों पर भेजा गया।

10.10 इसका उद्देश्य मंत्रालय के क्रियाकलापों का व्यापक प्रचार–प्रसार करना है, ताकि सुदूरवर्ती क्षेत्रों में भी लक्षित वर्गों तक पहुंच बनायी जा सके।

अध्याय–11

पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम में अल्पसंख्यक कल्याण कार्यक्रमों/स्कीमों का कार्यान्वयन

11.1 मंत्रालय को वर्ष 2011–12 के बजट अनुमान में विभिन्न योजनागत स्कीमों के लिए ₹ 2850 करोड़ आबंटित किए गए हैं, जिसे वर्ष 2011–12 के संशोधित अनुमान में घटाकर ₹ 2750 करोड़ कर दिया गया है।

पूर्वोत्तर राज्यों तथा सिक्किम के लिए योजना–वार निर्धारित धनराशि के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :–

क्रम सं.	योजना का नाम	निर्धारित राशि (करोड़ ₹ में)	
		बजट अनुमान 2011–12	संशांधित अनुमान 2011–12
1.	अल्पसंख्यकों के लिए निःशुल्क कोचिंग और सम्बद्ध योजना	1.50	1.50
2.	एनएमडीएफसी के कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में लगी राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों को सहायता–अनुदान	0.20	0.20
3.	प्रचार सहित विकास योजनाओं के अनुसंधान/अध्ययन निगरानी और मूल्यांकन की योजना (व्यावसायिक सेवा)	0.30	0.30
4.	अल्पसंख्यक छात्रों के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	5.00	5.00
5.	राज्य वक्फ बोर्डों के अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण	0.20	0.02
6.	अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व–क्षमता विकास की योजना	1.50	0.01
7.	अल्पसंख्यकों के लिए मैट्रिक–पूर्व छात्रवृत्ति योजना	60.00	60.00
8.	अल्पसंख्यकों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना	45.00	45.00
9.	अल्पसंख्यक बहुल चुनिन्दा जिलों में अल्पसंख्यकों के लिए बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम	140.80	138.00
10.	स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर के व्यावसायिक तथा तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए मैरिट–सह–साधन आधारित छात्रवृत्ति	14.00	14.00
11	एनएमडीएफसी की इक्विटी में अंशदान	11.50	11.50
	योग	**280.00**	**275.53**

11.2 पूर्वोत्तर क्षेत्र में रहने वाले अल्पसंख्यकों को ऋण उपलब्ध कराने पर राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम विशेष ध्यान देता है। अरूणाचल प्रदेश, मेघालय और सिक्किम को छोड़कर पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों में एनएमडीएफसी की योजनाओं का संचालन राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से किया जाता है। आवधिक ऋण और सूक्ष्म ऋण योजनाओं के अंतर्गत दिनांक 31.12.2011 तक समूचे देश में अल्पसंख्यकों को प्रदान किये गए ₹ 1750.07 करोड़ के ऋण में से पूर्वोत्तर क्षेत्र के 41433 लाभार्थियों को ₹ 126.51 करोड़ प्रदान किये गये। इसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र की भागीदारी 7.22% बनती है। वर्तमान वर्ष में समूचे देश के लिए किये गये कुल ₹ 352.52 करोड़ के आवंटन में से ₹ 33.70 करोड़ (9.55%) का आवंटन पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए किया गया है। दिनांक 31 दिसम्बर, 2011 तक ₹ 6.50 करोड़ की राशि जारी की जा चुकी है।

अध्याय–12

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम की राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों को सहायता–अनुदान की योजना

12.1 राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी) अपनी योजनाओं का कार्यान्वयन राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों (एससीए) के माध्यम से करता है। ये एजेंसियां सम्बद्ध राज्य सरकारों द्वारा पदनामित हैं, जो लाभार्थियों की पहचान, ऋणों को सूत्रबद्ध और लाभार्थियों से वसूली का कार्य करती हैं। तथापि, अधिकांश राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों की अवसंरचना बहुत कमजोर है, जिस कारण उनकी वितरण प्रणाली भी कमजोर है। फलस्वरूप, एनएमडीएफसी के कार्य का विस्तार और कार्य निष्पादन में सुधार तब तक नहीं हो सकता जब तक इन एजेंसियों की अवसंरचना में सुधार न लाया जाए।

12.2 मंत्रालय ने वर्ष 2007–08 के दौरान राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों की अवसंरचना की स्थिति में सुधार के लिए उन्हें सहायता अनुदान देने की योजना शुरू की थी। योजना के तहत 90% व्यय का वहन केन्द्र सरकार द्वारा और 10% व्यय का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जाना होता है। वित्त वर्ष 2010–11 के लिए इस योजना हेतु स्वीकृत ₹ 4.00 करोड़ की राशि में से ₹ 3.83 करोड़ की राशि जारी की जा चुकी है। वर्ष 2011–12 के दौरान इस योजना के तहत ₹ 2.00 करोड़ की राशि स्वीकृत की गयी है और धनराशि जारी करने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।

अध्याय–13

आयुक्त भाषायी अल्पसंख्यक

13.1 राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के अनुसार संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 के परिणामस्वरूप, सविधान के अनुच्छेद 350–ख के प्रावधानों के अनुसरण में भाषायी अल्पसंख्यक आयुक्त के कार्यालय का गठन जुलाई, 1957 में हुआ था। अनुच्छेद 350–ख के अनुसार भाषायी अल्पसंख्यक आयुक्त का यह कर्तव्य होगा कि वे भारत में संविधान के अंतर्गत भाषायी अल्पसंख्यकों को प्रदत्त रक्षोपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच करें और ऐसे अंतराल पर राष्ट्रपति को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करें जैसा कि राष्ट्रपति निर्देश दें और राष्ट्रपति ऐसी सभी रिपोर्टों को संसद के प्रत्येक सदन में रखवाएंगे और इन्हें संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, सरकारों/प्रशासनों को भी भिजवाएंगे। भाषायी अल्पसंख्यक आयुक्त का मुख्यालय इलाहाबाद में है, जिसके तीन क्षेत्रीय कार्यालय बेलगांव, चेन्नई और कोलकाता में हैं। भाषायी अल्पसंख्यक आयुक्त, इन अल्पसंख्यकों से संबंधित संवैधानिक उपबंधों और राष्ट्रीय स्तर पर तय सुरक्षापायों के क्रियान्वयन के संबंध में आयी शिकायतों के मामलों को निपटाते हैं और इन्हें राज्य सरकारों और संघ राज्य प्रशासनों के उच्चतम स्तर के राजनैतिक और प्रशासनिक समूहों की जानकारी में लातें हैं और उन पर सुधारात्मक कार्रवाई की सिफारिश करतें हैं। अभी तक भाषाई अल्पसंख्यक आयुक्त की 47 रिपोर्टों को संसद में पेश किया गया है तथा 48वीं रिपोर्ट तैयार की जा रही है।

13.2 भारत के संविधान के अंतर्गत धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यकों को कुछ रक्षोपाय प्रदान किए गए हैं। संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 में अल्पसंख्यकों को उनके हितों की रक्षा करने और उनकी भाषा, संस्कृति का संरक्षण करने का अधिकार तथा अपनी पसंद के शैक्षिक संस्थानों की स्थापना करने व उन्हें चलाने के अधिकार का प्रावधान है। अनुच्छेद 347 में किसी राज्य की जनसंख्या के एक वर्ग द्वारा बोली जाने वाली भाषा को उस राज्य में या उसके किसी भाग में ऐसे प्रयोजन के लिए शासकीय मान्यता देने हेतु राष्ट्रपति निदेश दे सकते हैं, जैसा वे निर्दिष्ट करें। अनुच्छेद 350, सरकार के किसी भी प्राधिकारी के समक्ष अपनी शिकायत निवारण के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में प्रयोग की जानी वाली किसी भी भाषा में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 350–क में भाषायी अल्पसंख्यकों से संबंधित बच्चों को प्राथमिक स्तर की शिक्षा मातृ भाषा में देने के लिए प्रावधान है। अनुच्छेद 350–ख में संविधान के तहत भाषायी अल्पसंख्यकों को प्रदान किए गए रक्षोपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच पड़ताल करने के लिए आयुक्त, भाषायी अल्पसंख्यक के रूप में एक विशेष अधिकारी पदनामित करने का प्रावधान है।

13.3 वर्तमान आयुक्त भाषायी अल्पसंख्यक श्री नन्दलाल जोटवानी, विंग कमॉन्डर (सेवानिवृत्त) हैं।

13.4 आयुक्त भाषायी अल्पसंख्यक की 47वीं रिपोर्ट संसद के मानसून सत्र के दौरान लोक सभा पटल पर दिनांक 18.8.2011 को तथा राज्य सभा पटल पर दिनांक 29.8.2011 को प्रस्तुत की जा चुकी है।

13.5 भाषायी अल्पसंख्यक समूहों को बढ़ावा देने तथा उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने भाषायी अल्पसंख्यकों को प्रदत्त संवैधानिक रक्षोपायों का व्यापक प्रचार–प्रसार करने तथा आवश्यक प्रशासनिक उपाय करने के संबंध में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों से अनुरोध किया है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों से आग्रह किया गया है कि वे भाषायी अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों से संबंधित योजनाओं के कार्यान्वयन में प्राथमिकता दें। आयुक्त भाषायी अल्पसंख्यक ने भाषा और

संस्कृति के परिरक्षण के लिए सरकारी प्रयासों पर जोर देने के लिए 10 सूत्री कार्यक्रम आरम्भ किया।

13.6 आयुक्त, भाषायी अल्पसंख्यक ने दिनांक 21 फरवरी, 2011 को गोविन्द बल्लभ पंत सोशल साइंस इंस्टीट्यूट, इलाहाबाद में नोडल अधिकारियों के लिए "राष्ट्रीय सम्मेलन–सह–कार्यशाला" का आयोजन किया। आयोजन के दौरान शिक्षा प्रदान करने में मातृभाषा की महत्ता तथा भारत में अल्पसंख्यक भाषाओं के संवर्धन पर विधिवत जोर दिया गया।

13.7 आयुक्त, भाषायी अल्पसंख्यक के कार्यालय से दिनांक 14 सितम्बर, 2011 को हिन्दी दिवस भी मनाया गया।

13.8 आयुक्त, भाषायी अल्पसंख्यक ने दिनांक 3 अक्तूबर, 2011 को इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, नई दिल्ली में आयोजित नेशनल काउंसिल फार प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेजेज की उन्नीसवीं वार्षिक आम सभा में भी भाग लिया।

13.9 आयुक्त, भाषायी अल्पसंख्यक ने दिनांक 18.10.2011 को दिल्ली सचिवालय में माइनारिटी लैंग्वेजेज अकेडमीज के पदाधिकारियों को सम्बोधित किया।

13.10 दिनांक 23 अक्तूबर, 2011 को नई दिल्ली में मथरू भूमि फाउण्डेशन द्वारा आयोजित तथा संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित "रीविजिटिंग एंड एम्फसाइजिंग टैगोर्स पायोनियरिंग कांट्रिब्यूशन ऑन जेंडर इनइक्वलिटी" विषय पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रमुख सम्बोधन किया।

13.11 अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के लिए 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012–17) की तैयारी के लिए 'एम्पावरमेंट ऑफ माइनारिटीज' विषय पर योजना आयोग, भारत सरकार द्वारा गठित स्टियरिंग कमेटी, सबग्रुप तथा वर्किंग ग्रुप की बैठकों में भी आयुक्त, भाषायी अल्पसंख्यक ने भाग लिया।

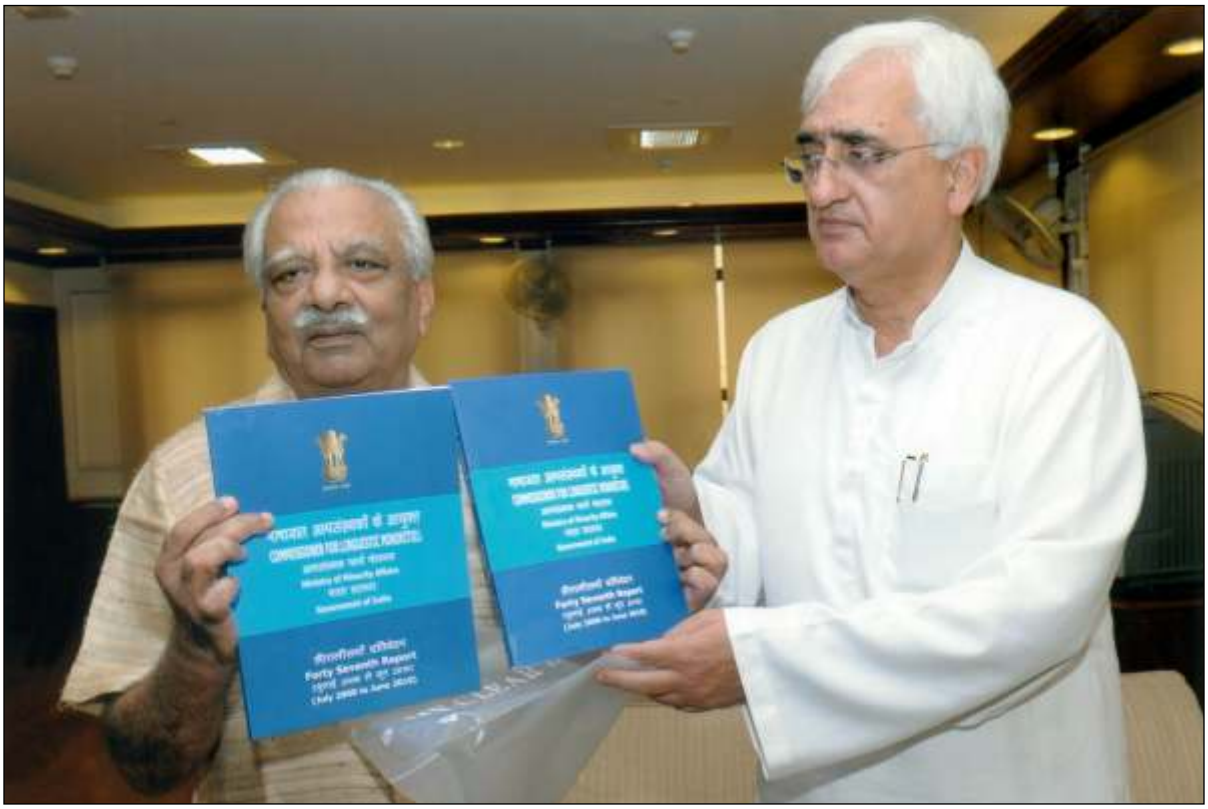

आयुक्त, भाषायी अल्पसंख्यक द्वारा दिनांक 7 मई, 2011 को आयुक्त, भाषायी अल्पसंख्यक की 47वीं रिपोर्ट माननीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री, श्री सलमान खुर्शीद को प्रस्तुत किया जाना।

अध्याय–14

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग

14.1 भारत सरकार ने जनवरी, 1978 में, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा के लिए विशेष आदेश के माध्यम से ''अल्पसंख्यक आयोग'' गठित किया था। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 के अधिनियमन के साथ ही अल्पसंख्यक आयोग एक सांविधिक निकाय बन गया और इसे ''राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग'' का नाम दिया गया।

14.2 पहले सांविधिक आयोग का गठन 17 मई 1993 को किया गया था। भारत सरकार ने 23 अक्तूबर 1993 की अधिसूचना के माध्यम से राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 की धारा 2 (ग) के तहत पाँच धार्मिक समुदायों अर्थात मुसलमानों, इसाईयों, सिक्खों, बौद्धों तथा पारसियों को अल्पसंख्यक समुदायों के रूप में अधिसूचित किया था।

14.3 राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 की धारा 3(2) के अनुसार आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और ख्यातिप्राप्त और सामर्थ्यवान और सत्यनिष्ठा वाले व्यक्तियों में से केन्द्र सरकार द्वारा नामित 5 सदस्य होंगे। परन्तु अध्यक्ष सहित सभी 5 सदस्य अल्पसंख्यक समुदाय से होंगे। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 की धारा 4(1) के अनुसार अध्यक्ष सहित सभी सदस्य कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 3 वर्ष की अवधि तक पद पर बने रहेंगे।

14.4 आयोग का मुख्य कार्य अल्पसंख्यक वर्ग के विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा के लिए संविधान में उपबंधित और केन्द्र सरकार/राज्य सरकारों द्वारा अधिनियमित विधियों में दिए गए रक्षोपायों के कार्यकरण को मानीटर करना और अल्पसंख्यकों को उनके अधिकारों और रक्षोपायों से वंचित करने के संबंध में प्राप्त विशेष शिकायतों की जांच करना है। यह आयोग अल्पसंख्यक वर्ग के सामाजिक–आर्थिक और शैक्षिक विकास से संबंधित मुद्दों पर अध्ययन, अनुसंधान और विश्लेषण भी करता है और अल्पसंख्यकों के हितों के रक्षोपायों के प्रभावी कार्यान्वयन की अनुशंसा भी करता है।

14.5 वर्तमान आयोग का गठन निम्नलिखित व्यक्तियों को शामिल करके किया गया हैः–

1.	श्री वजाहत हबीबुल्लाह	अध्यक्ष
2.	डॉ एच टी संगलियाना	उपाध्यक्ष
3.	श्रीमती स्पालजेस ऐंग्मों	सदस्य (कार्यकाल दिनांक 05.3.2012 को समाप्त हुआ)
4.	श्री हरवेन्द्र सिंह हंसपाल	सदस्य (कार्यकाल दिनांक 05.3.2012 को समाप्त हुआ)
5.	श्री विनोद शर्मा	सदस्य
6.	सुश्री सईदा बिलग्रामी इमाम	सदस्य
7.	श्री केकी एन. दारूवाला	सदस्य

14.6 राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 की धारा 12 के अनुसार, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करता है और मंत्रालय को प्रस्तुत करता है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 की धारा 13 के अनुसार, आयोग की वार्षिक रिपोर्ट और इसमें उल्लिखित केन्द्र सरकार से संबंधित सिफारिशों पर की गई कार्रवाई का ज्ञापन, इन सिफारिशों में से किसी सिफारिश को स्वीकार न किए जाने के कारणों सहित, यदि कोई हो, संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत की जानी होती है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 की धारा 9 (3) के अनुसार विभिन्न राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों से संबंधित सिफारिशों को उन्हें आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजा जाता है।

14.7 दिनांक 31 दिसम्बर, 2011 तक तत्कालीन अल्पसंख्यक आयोग की 1978–79 से 1992–93 तक की चौदह (14) वार्षिक रिपोर्टें और सांविधिक आयोग की वर्ष 1993–94 से 2009–10 तक की (17) रिपोर्टें संसद में प्रस्तुत की जा चुकी हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की प्रथम तीन वार्षिक रिपोर्टों को इस मंत्रालय के गठन से पहले ही अनुवर्ती कार्रवाई ज्ञापन के साथ संसद के दोनों सदनों में रख दिया गया था। इस मंत्रालय के गठन के बाद की गई कार्रवाई ज्ञापन सहित 13 वार्षिक रिपोर्टों को उनमें की गई अनुशंसाओं के साथ संसद में रखा गया था।

14.8 आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तामिलनाडु और पश्चिम बंगाल राज्य सरकारों ने सांविधिक राज्य अल्पसंख्यक आयोगों का गठन कर लिया है। मणिपुर और उत्तराखंड की राज्य सरकारों ने असांविधिक आयोगों का गठन किया है। मंत्रालय ने शेष राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों से इन आयोगों का गठन करने का अनुरोध किया है।

14.9 राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को संवैधानिक दर्जा देने के लिए दिसम्बर, 2004 में संविधान (एक सौ तीसरा संशोधन) विधेयक, 2004 और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (निरसन) विधेयक, 2004 लोक सभा में प्रस्तुत किये गये। इसे संसदीय स्थायी समिति को भेज दिया गया। समिति ने अपनी रिपोर्ट में यह सिफारिश की है कि बाल पाटिल बनाम संघ सरकार के मामले में उच्चम न्यायालय द्वारा की गयी समग्र टिप्पणियों को सरकार संविधान एक सौ तीसरा (संशोधन) विधेयक, 2004 को अंतिम रूप देते समय ध्यान में रखे।

14.10 भारत के उच्चतम न्यायालय ने इस मामले के संबंध में दिनांक 08.08.2005 के अपने निर्णय में अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित निर्णय दिया है :–

"अधिनियम की धारा 2(ग) के अधीन 'अल्पसंख्यक' होने के जैनों के दावों के संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा निर्णय लिये जाने से पूर्व अब इसकी पहचान राज्य आधार पर करनी है।"

उपर्युक्त निर्णय के परिप्रेक्ष्य में स्थायी समिति की रिपोर्ट की जांच विधि और न्याय मंत्रालय सहित विभिन्न मंत्रालयों के परामर्श से की गयी। तत्पश्चात विधेयक में आधिकारिक संशोधन किया गया। आधिकारिक संशोधनों को प्रस्तुत करने तथा इन विधेयकों पर विचार करने तथा उन्हें पारित करने की नोटिस प्रारंभिक तौर पर दिनांक 11.05.2007 को लोक सभा में दी गयी। बजट सत्र, 2007 के समापन हो जाने से यह रद्द हो गया।

इसी बीच संविधान (एक सौ तीसरा संशोधन) विधेयक, 2004 के संबंध में प्रस्तावित आधिकारिक संशोधनों के संबंध में कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए, जिसमें संशोधनों के प्रति चिंता व्यक्त की गयी थी। इन अभ्यावेदनों की जांच विधि और न्याय मंत्रालय के परामर्श में की गयी। इन अभ्यावेदनों पर विचार करने तथा उन्हें पारित करने के लिए लोक सभा को दिनांक 05.2.2009 को पुनः नोटिस दी गयी। तथापि, 14वीं लोक सभा भंग हो जाने से इस नोटिस पर कार्रवाई नहीं हो पायी और आधिकारिक संशोधनों सहित ये दोनों विधेयक रद्द हो गये।

बाल पाटिल मामले में याचिकाकर्ताओं ने उच्चतम न्यायालय में पुनरीक्षण याचिका दायर की थी। इसी बीच सितम्बर, 2010 में यह मामला उच्चतम न्यायालय के तीन जजों की खंडपीठ के समक्ष भेज दिया गया है। इन सभी वैधानिक मुद्दों की इस समय जांच की जा रही है।

अध्याय–15

वक्फ प्रशासन और केन्द्रीय वक्फ परिषद

15.1 यह मंत्रालय वक्फ अधिनियम, 1995 (पहले वक्फ अधिनियम, 1954) के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी है, जो 01 जनवरी, 1996 से लागू है। यह अधिनियम जम्मू व कश्मीर राज्य को छोड़कर पूरे भारत में लागू है। अधिनियम के अंतर्गत जम्मू–कश्मीर को छोड़कर जिसका अपना अधिनियम है, 30 राज्यों ने वक्फ बोर्ड स्थापित कर लिए हैं। राज्य वक्फ बोर्डों की सूची **अनुलग्नक–VIII** पर है।

राज्य वक्फ बोर्डों के अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण की योजना

15.2 वक्फ परिसंपत्ति पूरे देश में फैली है, किन्तु अधिकांश राज्यों में वक्फ परिसंपत्तियों का प्रभावी सर्वेक्षण नहीं कराया गया है। अल्पसंख्यक समुदाय के कल्याणार्थ योजनाओं के लिए पर्याप्त आय सुनिश्चित करने हेतु वक्फ परिसंपत्तियों को व्यापक रूप से विकसित करने की संभावनाएं हैं।

15.3 वक्फ से संबद्ध संयुक्त संसदीय समिति ने अपने नौवें प्रतिवेदन में राज्य वक्फ बोर्डों के रिकार्डों के कम्प्यूटरीकण की अनुशंसा की थी।

15.4 वक्फ भूमि के रिकार्डों के रख–रखाव को कारगर बनाने, सामाजिक लेखा–परीक्षा शुरू करने और पारदर्शिता लाने तथा वक्फ बोर्डों के विभिन्न कार्यों/प्रक्रियाओं के कम्प्यूटरीकरण तथा वेबआधारित सिंगल सेन्ट्रलाज्ड एप्लीकेशन विकसित करने की दृष्टि से केन्द्रीय वित्तीय सहायता से राज्य वक्फ बोर्डों, जम्मू कश्मीर सहित, के अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण की अनुशंसा वक्फ से संबद्ध संयुक्त संसदीय समिति द्वारा की गई थी। इस प्रस्ताव को 25 नवम्बर, 2009 को स्वीकृति मिली थी।

15.5 वक्फ परिसंपत्तियों के कम्प्यूटरीकरण और प्रबंधन की योजना के व्यापक उद्देश्य हैं, जो इस प्रकार हैं –

- परिसंपत्ति पंजीकरण प्रबंध;
- मुतावली रिटर्न्स मैनेजमेंट;
- परिसंपत्तियों को पट्टे पर दिए जाने संबंधी प्रबंध;
- वाद निस्तारण प्रबंध;
- प्रलेख आदान–प्रदान प्रबंध;
- वक्फ परिसंपत्तियों की भौगोलिक सूचना प्रणाली संबंधी प्रबंध;
- मस्जिदों, दरगाहों, कब्रिस्तानों, इमामों, मुआज्जिनों, विधवाओं, बालिका विवाहों, छात्रवृत्तियों, स्कूलों, अस्पतालों, औषधालयों, मुसाफिरखानों, कौशल विकास केन्द्रों आदि से संबंधित निधि प्रबंध; और
- शहरी वक्फ परिसंपत्तियों के विकास के लिए ऋण प्रबंध।

15.6 कम्प्यूटरीकरण की योजना एक समान रूप से सभी 29 राज्य वक्फ बोर्डों तथा जम्मू कश्मीर जैसे अन्य वक्फ बोर्ड के लिए लागू होगी, जिसके लिए निधि की उपलब्धता के अध्यधीन वित्तपोषण के लिए विशेष अनुरोध किया जाएगा। दो वर्षों की अवधि के लिए इस परियोजना के कार्यों को वास्तविक रूप से संभालने के लिए राज्य वक्फ बोर्डों द्वारा कुछ कम्प्यूटर कार्मिकों को भाड़े पर लेने तथा नई प्रणाली को स्थिर करने और वक्फ बोर्डों के कार्मिकों को प्रशिक्षित करने के लिए उन्हें न्यूनतम वित्तीय सहायता दी जाएगी। योजना के तहत 26 राज्य वक्फ बोर्डों, केन्द्रीय वक्फ परिषद और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र को ₹ 12.03 करोड की राशि अवमुक्त की जा चुकी है। केन्द्रीय गणक सुविधा (सीसीएफ) की व्यवस्था 19 राज्य वक्फ बोर्डों में की गयी है तथा वामसी माड्युल में डाटा प्रविष्टि का कार्य भी प्रगति पर है। वक्फ रजिस्ट्रेशन माड्यूल में लगभग 76000 वक्फ रिकॉर्डों की प्रविष्टि की गयी है। लगभग 40000 वक्फ रिकार्डों का अंकीकरण कार्य पूरा कर लिया गया है। शेष 7 राज्य वक्फ बोर्डों में सीसीएफ स्थापित करने का कार्य पूरा होने वाला है।

केन्द्रीय वक्फ परिषद

15.7 देश में औकफ के समुचित प्रशासन और राज्य वक्फ बोर्डों की कार्यप्रणाली से जुड़े मुददों पर भारत सरकार को सलाह देने के प्रयोजन से वक्फ अधिनियम, 1954 की धारा 8–क (अब वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा–9 की उपधारा–1) के तहत दिसम्बर, 1964 में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय (भारत सरकार) के अधीन स्थापित केन्द्रीय वक्फ परिषद एक सांविधिक निकाय है। केन्द्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री केन्द्रीय वक्फ परिषद के पदेन अध्यक्ष हैं। परिषद का दिनांक 12.2.2011 और 01.11.2011 को पुनर्गठन कर सदस्यों की संख्या 20 कर दी गयी है।

15.8 परिषद अपने उद्देश्यों के अनुसार मुददों को उठाने के साथ–साथ निम्नलिखित योजनाओं के कार्यान्वयन के माध्यम से समाज की विकास प्रक्रिया में भाग लेता आ रहा है :–

(i) शहरी वक्फ परिसंपत्तियों के विकास की योजनाः

खाली पड़ी वक्फ भूमि को अतिक्रमणों से बचाने तथा इसके विकास के लिए अधिक से अधिक आय प्राप्त करने, ताकि वक्फ के कल्याण संबंधी कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जा सके, को ध्यान में रखते हुए, परिषद इस योजना को 1974–75 से चला रही है और केन्द्र सरकार इसके लिए वार्षिक सहायता अनुदान प्रदान करती है। इस योजना के अंतर्गत देश के विभिन्न वक्फ संस्थानों को वक्फ भूमि पर आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य परियोजनाएं यथा वाणिज्यिक परिसर, मैरिज हॉल, अस्पताल, शीत भंडार आदि शुरू करने के लिए ऋण प्रदान किए जाते हैं। योजना के तहत भारत सरकार ने मंत्रालय के गठन के समय से दिसम्बर, 2011 तक कुल ₹ 35.84 करोड़ राशि का सहायता अनुदान जारी किया है। इस योजना के अंतर्गत 2011–12 के दौरान ₹ 1.19 करोड़ की राशि निर्धारित की गयी थी, जिसमें से ₹ 1.18 करोड़ केन्द्रीय वक्फ परिषद को अवमुक्त किया जा चुका है।

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा अवमुक्त अनुदान राशि केन्द्रीय वक्फ परिषद द्वारा आठ विकास परियोजनाओं के लिए ऋण स्वीकृत करने के लिए उपयोग में लायी गयी।

(ii) लघु परियोजनाएं:

परिषद द्वारा वक्फ संस्थानों को संवितरित राशि का पुनर्भुगतान 2 वर्ष के स्थगन के बाद 20 अर्धवार्षिक किश्तों में किया जाना होता है। ऋण प्राप्तकर्ता संस्थानों द्वारा परिषद को वापस चुकाई गई ऋण राशि से परिषद के रिवाल्विंग फंड का निर्माण होता है जिसे पुनः वक्फ सम्पत्तियों पर लघु परियोजनाओं के लिए उपयोग में लाया जाता है। इस योजना के तहत परिषद ने वर्ष 1986–87 से 90 परियोजानाओं के लिए ₹ 4.97 करोड़ राशि का ऋण दिया है जिनमें 68 परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं और 22 परियोजनाओं का कार्य प्रगति पर है।

(iii) शैक्षिक योजनाएं:

परिषद द्वारा प्राप्त सहायता–अनुदान को ऋण प्राप्तकर्ता वक्फों को ब्याजमुक्त ऋण के रूप में शहरी वक्फ परिसंपत्तियों के विकास के लिए जारी किया जाता है, जबकि परिषद योजना के तहत कार्यरत कार्मिकों पर होने वाले समस्त व्यय को वहन करता है। परिषद ऋण लेने वाले वक्फों से ऋण का पुनर्भुगतान हो जाने तक घटते शेष पर अपनी शैक्षिक निधि के लिए 4% की दर से दान प्राप्त करता है (31 दिसम्बर, 2009 तक दान का दर 6% था)। परिषद की शैक्षिक निधि इसी दान से तैयार होती है। इसके अतिरिक्त, रिवाल्विंग फंड (अर्थात लघु स्कीमों के वित्तपोषण के लिए) की बैंक जमा राशियों पर मिलने वाला ब्याज भी शैक्षिक निधि में जमा हो जाता है। इस प्रकार, परिषद इसी शैक्षिक निधि से विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमों, जिनमें आई टी आई की स्थापना आदि भी शामिल हैं, का संचालन करती है। परिषद की शैक्षिक और महिला कल्याण समिति योजना के अंतर्गत प्राप्त सभी मामलों की जांच करती है और तदनुसार संस्तुतियां करती है।

वर्ष 2011–12 के दौरान (दिसम्बर, 2011 तक) आईटीआई, व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों, बुक बैंक/पुस्तकालयों तथा छात्रवृत्तियों के लिए राज्य वक्फ बोर्डों को मैचिंग अनुदान प्रदान करने के लिए ₹ 41.60 लाख अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता जारी की गयी है।

(iv) राज्य वक्फ बोर्डों के कार्मिकों को सेवा–कालीन प्रशिक्षण :

राज्य वक्फ बोर्डों के कार्मिकों को सेवा–कालीन प्रशिक्षण देने की जरूरत सदैव महसूस की जाती थी। ऐसे प्रशिक्षण की महत्ता समझने के बाद केन्द्रीय वक्फ परिषद ने आर सी वी पी नरोनहा एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, भोपाल के साथ मिलकर; जो मध्य प्रदेश राज्य में सभी तरह के प्रशिक्षण के कार्य में वर्ष 1966 से एक फोकल प्वाइंट के रूप में कार्य कर रहा है तथा जिसके पास इस प्रयोजन हेतु अपेक्षित कार्मिक, अवसंरचना तथा अन्य सुविधाएं भी मौजूद हैं; इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने का

निर्णय लिया था। यह कार्यक्रम वक्फ प्रबंधन से जुड़े विभिन्न पहलुओं तथा बोर्ड के कार्मिकों द्वारा अपने दैनिक कार्यों के निपटान के क्रम में महसूस की जा रही समस्याओं से जुड़ा नियमित कार्यक्रम होगा, जिसका आयोजन प्रतिवर्ष किया जाएगा।

तद्नुसार, परिषद द्वारा आर सी वी पी नरोनहा एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, भोपाल में दिनांक 26 से 28 सितम्बर, 2011 को, प्रत्येक तीनों दिनांक के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया और वित्त–पोषण किया गया।

अध्याय–16

दरगाह ख्वाजा साहेब अधिनियम, 1955

16.1 राजस्थान के अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह एक विश्व प्रसिद्ध वक्फ है। दरगाह ख्वाजा साहेब अधिनियम, 1955 में दरगाह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती (आर.ए.) को प्राप्त धर्मार्थ दान के प्रशासन, नियंत्रण और प्रबंधन की व्यवस्था है। इस केन्द्रीय अधिनियम के अंतर्गत दरगाह के स्थायी निधि के प्रशासन, नियंत्रण और प्रबंधन का काम केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त दरगाह समिति को सौंपा गया है। उक्त अधिनियम और उसके उपनियम वेबसाइट www.gharibnawaz.in पर उपलब्ध हैं।

दरगाह ख्वाजा साहेब अधिनियम, 1955 का प्रशासन

16.2 राजस्थान के अजमेर शहर में ख्वाज़ा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह एक विश्व प्रसिद्ध वक्फ है। दरगाह का प्रशासन दरगाह ख्वाजा साहेब अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत है। दरगाह को प्राप्त धमार्थ दान का प्रशासन, नियंत्रण और प्रबंधन की शक्ति दरगाह समिति को दी गई है। दरगाह को प्राप्त धर्मार्थ दान का प्रशासन, नियंत्रण और प्रबंधन की शक्ति भी दरगाह समिति को दी गयी है। नई दरगाह समिति का गठन 24 अगस्त, 2007 को किया गया था। इस समय समिति के निम्नलिखित सदस्य हैं :–

1.	जनाब प्रो0 सोहेल अहमद खान	अध्यक्ष
2.	जनाब बदरूद्दीन गुलाम मोईउद्दीन शेख,	उपाध्यक्ष
3.	जनाब ए0 एच0 खान चौधरी,	सदस्य
4.	जनाब घोले इस्माइल मुअल्लिम,	सदस्य
5.	जनाब प्रो0 (डॉ0) इब्राहिम,	सदस्य
6.	जनाब हाफिज वकील अहमद साहेब,	सदस्य
7.	जनाब मोहम्मद इलयास कादरी,	सदस्य
8.	जनाब नवाब मोहम्मद अब्दुल अली,	सदस्य
9.	जनाब मोहम्मद सुहेल मोईउद्दीन तिरमीजी,	सदस्य

16.3 दरगाह समिति के कार्य और शक्तियां

- दरगाह को प्राप्त धर्मार्थ दान का प्रशासन, नियंत्रण और प्रबंधन।
- दरगाह शरीफ की चार दीवारी के भीतर के भवनों तथा सभी मकानों, दुकानों की उचित देखभाल तथा उन्हें अच्छी हालत में रखना।
- दरगाह को प्राप्त धर्मार्थ दान की समस्त राशि और अन्य आय प्राप्त करना।

- यह देखना कि धर्मार्थ प्राप्त दान की राशि दानदाताओं की इच्छा के अनुरूप खर्च की जाती हैं।
- दरगाह को प्राप्त धर्मार्थ दान की आय अथवा राजस्व की ओर से देय या उस पर प्रभारित सभी अन्य का भुगतान करना और वेतन भत्ते तथा अनुलाभ का भुगतान करना।
- खादिमों के विशेषाधिकारों को निर्धारित करना तथा यदि समिति इसे आवश्यक मानती है तो उन्हें उनकी ओर से लाईसेंस प्रदान कर दरगाह में उनकी उपस्थिति नियमित करना।
- सलाहकार समिति की शक्तियों और कर्त्तव्यों को निर्धारित करना।
- दरगाह के साथ मिलकर सजदानशीन द्वारा प्रयोग की जानी वाली शक्तियों और कार्यप्रणाली का निर्धारण।
- दरगाह के कर्मचारियों की नियुक्ति, उनका निलंबन तथा उनकी बर्खास्तगी।
- ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के गरीब वंशजों और उनके परिवारों तथा भारत में रह रहे गरीब खादिमों और उनके परिवारों को शिक्षा और गुजारा के लिए वे प्रावधान करना जिन्हें समिति दरगाह की वित्तीय स्थिति के अनुरूप सुसंगत समझे।
- जैसा समिति उचित समझे, नाजिम को कार्य और शक्तियां प्रदान करना।
- अन्य सभी कार्य करना जो दरगाह के दक्ष प्रशासन के लिए अनुषंगी अथवा सहायक हों।

16.4 उर्स तथा धर्म संघों का प्रबंधन :

जून, 2011 के वार्षिक उर्स और दिसम्बर, 2011 के लघु उर्स (मुहर्रम) का सफलतापूर्वक प्रबंध किया गया। दरगाह समिति, राजस्थान सरकार और जिला प्रशासन, अजमेर द्वारा अवसंरचनात्मक प्रबंध किया गया था।

मई, 2012 में आयोजित किये जाने वाले संभावित 800वां उर्स समारोह के लिए दरगाह, अजमेर को विकसित करने हेतु मंत्रालय ने राजस्थान सरकार तथा भारत सरकार के पर्यटन और शहरी विकास मंत्रालयों के संपर्क में कार्य कर रहा है।

अध्याय–17

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी)

17.1 राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी) का गठन अल्पसंख्यकों के पिछड़े वर्गों में आर्थिक तथा विकासात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 30 सितम्बर, 1994 को किया गया था। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए यह निगम दोगुनी गरीबी रेखा से नीचे की पारिवारिक आय, जो इस समय शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए क्रमशः ₹ 55000 वार्षिक और ₹ 40000 वार्षिक है, वाले अल्पसंख्यक समुदायों के पात्र लाभग्राहियों को स्वरोजगार क्रियाकलापों के लिए रियायती वित्त प्रदान करता है।

17.2 लाभग्राहियों तक पहुँच के लिए एनएमडीएफसी के दो चैनल हैं अर्थात् (i) संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा नामित राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों (एससीए) के माध्यम से और (ii) गैर–सरकारी संगठनों (एनजीओ) के माध्यम से। वैयक्तिक लाभग्राही को एससीए कार्यक्रमों के तहत ₹ 5.00 लाख तक की लागत की परियोजनाओं को वित्तीय सहायता दी जाती है। इसके लिए 3% की ब्याज दर पर एससीए को निधि उपलब्ध कराई जाती है, ताकि लाभार्थियों को 6% की दर से और ऋण दिया जा सके। निगम स्व–रोजगार तथा दैनिक रोजगार के लिए लक्षित समूहों की क्षमता निर्माण हेतु एससीए के माध्यम से व्यावसायिक प्रशिक्षण और शैक्षिक ऋण की योजना भी कार्यान्वित कर रहा है।

17.3 माइक्रो फाइनेंसिंग स्कीम के अंतर्गत ₹ 25,000 तक के माइक्रो ऋण, एनजीओ के माध्यम से अल्पसंख्यक स्व–सहायता समूहों के प्रत्येक सदस्य को दिए जा रहे हैं। इस उद्देश्य के लिए एनजीओ को 1% की दर से निधि उपलब्ध कराई जाती है, जिसे 5% प्रतिवर्ष की ब्याज दर से आगे ऋण के रूप में दिया जाता हैं। ऋण देने के कार्यकलापों के अलावा, एनएमडीएफसी, कौशल उन्नयन और विपणन सहायता हेतु प्रशिक्षण में लक्ष्यगत समूहों को सहायता प्रदान करता है। एनजीओ कार्यक्रम के अंतर्गत स्व–सहायता समूहों के उन्नयन और स्थायित्व के लिए ब्याज रहित ऋण (अनुदान के रूप में समायोज्य) का भी प्रावधान है।

17.4 एनएमडीएफसी द्वारा राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से शैक्षिक ऋण योजना कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना के तहत एनएमडीएफसी व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा जारी रखने के लिए योग्य अल्पसंख्यक अभ्यर्थियों को 3% वार्षिक की रियायती ब्याज दर पर ₹ 2,50,000 उपलब्ध कराता है।

17.5 अपने कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए एनएमडीएफसी के पास ₹ 1500 करोड़ की प्राधिकृत अंशपूंजी है, जिसमें से भारत सरकार का हिस्सा ₹ 975.00 करोड़ है (65%) और राज्य सरकारों का हिस्सा ₹ 390.00 करोड़ (26%) है, जबकि शेष ₹ 135.00 करोड़ (9%) अल्पसंख्यकों में रूचि रखने वाले व्यक्तियों/संस्थानों द्वारा अंशदान दिया जाना होता है। भारत सरकार ने अभी तक

एनएमडीएफसी की इक्विटी में ₹ 875.36 करोड़ (89.78%) का अंशदान दिया है, जबकि ₹ 193.79 करोड़ (49.69%) विभिन्न राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दिया गया है। अल्पसंख्यकों में रूचि रखने वाले संस्थानों/व्यक्तियों द्वारा ₹ 55000 की राशि दी गई है।

17.6 एससीए कार्यक्रम के तहत दिनांक 31.12.2011 तक एनएमडीएफसी ने पच्चीस राज्यों और तीन संघ राज्य क्षेत्रों में 3,65,111 लाभार्थियों को ₹ 1478.91 करोड़ की लघु ऋण सहायता दी है। वर्ष 2011–12 में (31.12.2011 तक) 14445 लाभार्थियों को ₹ 194.23 करोड़ की राशि संवितरित की गयी है।

17.7 प्रारंभ में वर्ष 1998–99 से माइक्रो वित्त प्रबंध नामक योजना का एनएमडीएफसी द्वारा कार्यान्वयन एनजीओ के माध्यम से किया गया। बाद में इसके कार्यान्वयन में एससीए को शामिल किया गया। इसके गठन से दिनांक 31.12.2011 तक 3,65,656 लाभार्थियों को माइक्रो वित्त योजना के अंतर्गत कुल ₹ 275.91 करोड़ संवितरित किए जा चुके हैं। चालू वित्त वर्ष (2011–12) में दिनांक 31 दिसम्बर, 2011 तक 18,889 लाभार्थियों के लिए एनजीओ/एससीए को ₹ 34.00 करोड़ का माइक्रो ऋण संवितरित किया जा चुका है।

17.8 अपने गठन से लेकर 31 दिसम्बर, 2011 तक निगम द्वारा उक्त दोनों कार्यक्रमों के तहत 7,30,767 लाभार्थियों को ₹ 1750.109 करोड़ की राशि संवितरित की गई है। चालू वित्त वर्ष में दिनांक 31.12.2011 तक 33,337 लाभार्थियों की सहायता के लिए ₹ 128.239 करोड़ की समेकित राशि वितरित की गई है।

17.9 वर्ष 2007–08 के दौरान अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा राज्य चैलाइजिंग एजेंसियों को उनकी अवसंरचना सुदृढ़ करने के लिए सहायता अनुदान देने की एक योजना शुरू की गई थी। सहायता जागरूकता अभियानों, वितरण प्रणाली में सुधार, मानव शक्ति को प्रशिक्षण, ऋण वसूली आदि के लिए प्रदान की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत खर्च का 90 प्रतिशत केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जाता है और राज्य सरकारों को 10 प्रतिशत का अंशदान करना होता है। वित्तीय वर्ष 2010–11 के लिए इस योजना हेतु स्वीकृत ₹ 4.00 करोड़ में से ₹ 3.83 करोड़ की राशि जारी की जा चुकी है। वर्ष 2011–12 के लिए इस योजना हेतु ₹ 2.00 करोड़ की राशि स्वीकृत की गयी है।

17.10 राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम की वर्ष 2010–11 की वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षित लेखाओं को लोक सभा में 21 दिसम्बर, 2011 को और राज्य सभा में 19 दिसम्बर, 2011 को प्रस्तुत किया गया था।

17.11 राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम के पुनर्गठन के लिए विस्तृत ब्यौरा तैयार करने और अध्ययन के लिए जिस परामर्शी फर्म को नियुक्त किया गया था, उसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। इस रिपोर्ट की मंत्रालय में जांच की जा रही है।

अध्याय–18

मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान

18.1 मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान की स्थापना वर्ष 1989 में, सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन एक स्वैच्छिक, गैर–राजनैतिक, गैर–लाभकारी सोसायटी के रूप में पंजीकृत करके की गई थी।

18.2 इस प्रतिष्ठान का मुख्य उद्देश्य विशेषतः शैक्षिक तौर पर पिछड़े अल्पसंख्यकों और सामान्यतः कमजोर वर्गों के लाभ के लिए शैक्षिक योजनाएं तैयार करना और उन्हें लागू करना, बालिकाओं को आधुनिक शिक्षा दिलाने के उद्देश्य से उनके लिए विशेष आवासीय स्कूलों की स्थापना करना तथा अनुसंधान को बढ़ावा देना और शैक्षिक तौर पर पिछड़े अल्पसंख्यकों के लाभ के लिए अन्य प्रयासों को प्रोत्साहित करना है।

18.3 प्रतिष्ठान की आम सभा में 15 सदस्य हैं, जिनमें 6 पदेन सदस्य और 9 नामित सदस्य होते हैं। नामित सदस्यों को प्रतिष्ठान के अध्यक्ष द्वारा तीन वर्ष के लिए नामित किया जाता है। अल्पसंख्यक कार्य मामलों के केन्द्रीय मंत्री इस प्रतिष्ठान के पदेन अध्यक्ष हैं।

18.4 इस प्रतिष्ठान की योजनाएं मुख्यतः दो प्रकार की हैं अर्थात् छात्राओं की शिक्षा पर बल देते हुए स्कूलों/हॉस्टलों का निर्माण एंव विस्तार, तकनीकी/व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों के लिए गैर–सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान, और मेधावी छात्राओं को छात्रवृत्ति। इस प्रतिष्ठान द्वारा चलाई जाने वाली विभिन्न स्कीमें निम्नलिखित हैं :–

(क) स्कूलों/आवासीय स्कूलों/कालिजों की स्थापना और विस्तार के लिए वित्तीय सहायता।

(ख) प्रयोगशाला उपकरण और फर्नीचर आदि की खरीद के लिए वित्तीय सहायता।

(ग) व्यावसायिक/तकनीकी प्रशिक्षण केन्द्र/संस्थानों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता।

(घ) छात्रावास भवनों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता।

(ड.) मेधावी छात्राओं के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय छात्रवृत्ति

(च) मौलाना अबुल कलाम आजाद साक्षरता पुरस्कार।

18.5 प्रतिष्ठान अपनी संचित निधि पर मिले ब्याज से योजनाओं को कार्यान्वित कर रहा है, जो इसकी आय का एक मात्र स्रोत है। संचित निधि प्रतिष्ठान को योजनागत सहायता के भाग के रूप में सरकार द्वारा प्रदान की गई है। यह संचित निधि जो वर्ष 2006–07 में ₹ 100 करोड़ थी, अब ₹ 700 करोड़ है।

18.6 ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान प्रतिष्ठान की संचित निधि को बढ़ाने के लिए ₹ 500 करोड़ के कुल अनुमोदित योजनागत परिव्यय की राशि जारी कर दी गयी है। वर्ष 2011–12 के बजट अनुमान में ₹ 50 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया था। इससे संचित निधि ₹ 750 करोड़ हो जायेगी।

18.7 प्रतिष्ठान ने आरम्भ होने के समय से स्कूलों/कालेजों/लड़कियों के छात्रावासों/पोलिटेक्निकों/आईटीआई के निर्माण और विस्तार के लिए तथा उपकरण, मशीनरी और फर्नीचर की खरीद के लिए देश भर में 1137 गैर–सरकारी संगठनों को ₹ 148.31 करोड़ मंजूर किए हैं, और 59303 छात्राओं को ₹ 68.99 करोड़ की छात्रवृत्तियां प्रदान की हैं। गैर–सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान संबंधी उपलब्धियों के राज्य–वार ब्यौरे **अनुलग्नक–IX** में और छात्रवृत्ति योजनाओं से संबन्धित ब्यौरे **अनुलग्नक–X** में दिए गए हैं।

18.8 वर्ष 2011–12 (31 दिसम्बर, 2011 तक) मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान ने 139 गैर–सरकारी संगठनों को ₹ 17.64 करोड़ की अनुदान सहायता मंजूर किये हैं। मेधावी छात्राओं को छात्रवृत्तियां प्रदान करने के आवेदन पत्रों पर कार्रवाई की जा रही है।

संगठन को दुरूस्त रखने के लिए किये गये उपाय

18.9 सहज कार्यकरण, वर्धित जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने तथा सिस्टम को दुरूस्त रखने के लिए निम्नलिखित उपाय किये गये हैं :–

(i) सभी विद्यमान पदों से संबंधित भर्ती नियमावली को अंतिम रूप दिया गया हैं तथा अप्रैल, 2011 के दौरान अधिसूचित कर दिया गया है।

(ii) बेहतर प्रबंधन और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए केन्द्र सरकार के वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (एसएजी) स्तर के अधिकारी को प्रतिष्ठान के सचिव के पद पर प्रतिनियुक्ति पर तैनात किया गया है।

(iii) गैर–सरकारी संगठनों को सहायता–अनुदान तथा छात्रा को स्कालरशिप के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान की वेबसाइट www.maef.nic पर उपलब्ध है।

(iv) यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रतिष्ठान के स्कीम और कार्यक्रम में प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कवर हो जाएं, एम ए ई एफ के संसाधनों को राज्य–वार तरीके से वितरित किया गया है। वर्ष 2008–09 के पूर्व एम ए ई एफ द्वारा गैर–सरकारी संगठनों को अपनी सहायता–अनुदान के लिए कोई वास्तविक और वित्तीय लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था। मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान ने वर्ष 2008–09 से अपनी योजना के लिए लक्ष्य निर्धारित करना शुरू कर दिया है।

(v) मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान की स्कीमों और कार्यक्रमों के संबंध में सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय स्तर पर आवधिक अंतराल पर पुनरीक्षा बैठकों का आयोजन किया जा रहा है।

18.10 प्रतिष्ठान के कार्यक्रमों और स्कीमों के संबंध में इण्डियन सोसल इंस्टीच्यूट द्वारा 2009–10 में मूल्यांकन–सह–परिसंपत्ति सत्यापन अध्ययन किया गया था। मोटे तौर पर एजेंसी ने अन्य बातों के साथ–साथ मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान की संचित निधि में वृद्धि करने, अनिवार्य आकड़ों का कम्प्यूटरीकरण, निधियों का समुचित उपयोग करने आदि की अनुशंसा की है।

18.11 इन्हीं सिफारिशों के आधार पर प्रतिष्ठान की संचित निधि में वृद्धि की गयी है, प्रतिष्ठान के प्रमुख कार्यों का कम्प्यूटरीकरण किया गया है और निगरानी तथा निरीक्षण प्रक्रिया कारगर बनायी गयी है।

अध्याय–19

जेन्डर विशिष्ट मुद्दे और जेन्डर बजटिंग

19.1 माननीय उच्चतम न्यायालय ने विशाखा बनाम राजस्थान के मामले में (एआईआर 1997 उच्चतम न्यायालय 3011) अपने निर्णय के अंतर्गत कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न विरोधी नीति बनाने संबंधी दिशानिर्देश तय किए हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में कार्य स्थल के सभी प्रभारी व्यक्तियों और नियोक्ताओं द्वारा बिना किसी भेदभाव के सार्वजनिक और निजी संगठनों में यौन उत्पीड़न को रोकने संबंधी उचित उपाय किए जाएंगे तथा मंत्रालय/विभाग/संगठन में कार्यस्थल पर किसी महिला से प्राप्त यौन उत्पीड़न संबंधी शिकायत की जांच हेतु कदम उठाए जाएंगे।

19.2 माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसरण में मंत्रालय में दिनांक 31.8.2009 को एक आंतरिक शिकायत समिति गठित की गई है। वर्तमान में समिति का पुनर्गठन कार्य चल रहा है।

19.3 मंत्रालय के जेंडर बजटिंग सेल का पुनर्गठन दिसम्बर, 2010 में कर दिया गया है। इस सेल में दो पुरूष और दो महिला अधिकारी हैं। इस सेल का इरादा मंत्रालय में जेंडर सापेक्ष बजट प्रस्तुत करने का है। इस सेल की महिलाओं और बालिका लाभार्थियों को लाभ प्रदान कना सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय के स्कीमों/कार्यक्रमों की समीक्षा करने के लिए बैठकों का आयोजन किया गया है। इस सेल का पर्यवेक्षण मंत्रालय के संयुक्त सचिव (प्रशा0) द्वारा किया जाता है।

19.4 अल्पसंख्यक छात्रों के लिए 3 विशेष छात्रवृत्ति योजनाओं को अनुमोदन प्रदान किया गया है, यथा मेरिट–सह–साधन आधारित छात्रवृत्ति योजना, मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना और मैट्रिक–पूर्व छात्रवृत्ति योजना। इन तीनों योजनाओं के तहत कुल छात्रवृत्तियों में से 30% छात्रवृत्तियां अल्पसंख्यक छात्राओं के लिए निर्धारित हैं। मेरिट–सह–साधन आधारित छात्रवृत्ति योजना के तहत वर्ष 2009–10 और 2010–11 में स्वीकृत छात्रवृत्तियों में से क्रमशः 32.47% और 34.29% छात्रवृत्तियां छात्राओं को प्रदान की गईं; मैट्रिक–पूर्व छात्रवृत्ति योजना के तहत वर्ष 2008–09, 2009–10 और 2010–11 में स्वीकृत छात्रवृत्तियों में से क्रमशः 50.89%, 48.47% और 48.21% छात्रवृत्तियां छात्राओं को प्रदान की गईं तथा मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत वर्ष 2008–09, 2009–10 और 2010–11 में स्वीकृत छात्रवृत्तियों में से क्रमशः 55.12%, 55.10% और 51.00% छात्रवृत्तियां छात्राओं को प्रदान की गईं। वर्ष 2011–12 में 31.12.2011 तक जिन छात्राओं को छात्रवृत्तियां प्रदान की गयीं, उनकी प्रतिशतता इस प्रकार थी :–

मैट्रिक–पूर्व छात्रवृत्ति योजना	–	53.80%
मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना	–	55.65%
मेरिट–सह–साधन आधारित छात्रवृत्ति योजना	–	38.06%

मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान की योजनाओं में एक योजना मेधावी छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान करने की है जिसके तहत प्रतिष्ठान द्वारा 31 दिसम्बर, 2011 तक 59,303 छात्राओं को ₹ 68.99 करोड़ राशि की छात्रवृत्तियां संवितरित की गयीं।

19.5 देश में अल्पसंख्यकों के मध्य महिलाएं सबसे कमजोर कड़ी हैं। इस तथ्य के आलोक में एनएमडीएफसी महिलाओं की ऋण संबंधी जरूरतों पर विशेष ध्यान देता है। यह निगम अल्पसंख्यक समुदायों की निर्धन महिलाओं के लिए माइक्रो वित्त योजना चला रहा है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम के माइक्रो वित्त योजना का मुख्य उद्देश्य जरूरतमंद महिलाओं को अनौपचारिक ढंग से गैर–सरकारी संगठनों/स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराकर उन्हें सशक्त बनाना है। एनएमडीएफसी ने गठन के समय से (31 दिसम्बर, 2011 तक) 3,65,657 लाभार्थियों को ₹ 271.19 करोड़ का माइक्रो ऋण उपलब्ध कराया है, जिसमें से लगभग 90% लाभार्थी महिलाएं हैं।

19.6 एनएमडीएफसी ने महिला समृद्धि योजना भी लागू की है, जिसके माध्यम से महिलाओं को प्रशिक्षण के बाद माइक्रो ऋण उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना के तहत महिलाओं को छह माह का कौशल विकास प्रशिक्षण दिया जाता है और उसके बाद आय सृजन संबंधी कार्य शुरू करने के लिए 4% वार्षिक ब्याज की दर से ₹ 25,000 तक का माइक्रो ऋण उपलब्ध कराया जाता है।

19.7 मंत्रालय द्वारा अल्पसंख्यक महिलाओं के नेतृत्व–क्षमता विकास की एक योजना विशेषतः केवल महिलाओं के लिए कार्यान्वित की जाती है।

अध्याय–20

सूचना का अधिकार अधिनियम

20.1 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1) (ख) के प्रावधानों के अनुसरण में इस मंत्रालय ने सर्वसाधारण के मार्गदर्शन और सूचना के लिए एक पुस्तिका प्रकाशित की है। यह मंत्रालय की वेबसाइट www.minorityaffairs.gov.in पर उपलब्ध है। इस पुस्तिका में मंत्रालय के संगठनात्मक ढांचे, मंत्रालय के अधिकारियों और कर्मचारियों के कार्यकलाप और कर्त्तव्य, मंत्रालय में उपलब्ध अभिलेखों और प्रलेखों से संबंधित सूचना उपलब्ध है। पुस्तिका में मंत्रालय तथा इसके विभिन्न संगठनों द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं, परियोजनाओं और कार्यक्रमों से संबंधित सूचना भी उपलब्ध है।

20.2 बेहतर पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने की दृष्टि से मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित योजनाओं/कार्यक्रमों के तहत की उपलब्धियों के आकड़े तथा इन योजनाओं/कार्यक्रमों के संबंध में बार–बार पूछे जाने वाले प्रश्नों को मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाता है और उसे नियमित रूप से अद्यतन किया जाता है। विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत राज्य सरकारें छात्रवृत्ति प्रदत्त छात्रों के नामों की सूची अपनी वेबसाइट पर अपलोड करती हैं और उसे मंत्रालय की वेबसाइट से जोड़ती हैं। इसके अतिरिक्त, बहु–क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से यह अपेक्षित होता है कि वे पूर्ण हुए और चालू कार्यों के फोटोग्राफ प्रस्तुत करें, जिसे मंत्रालय की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित करना होता है। मंत्रालय ने अपनी योजनाओं/कार्यक्रमों से संबंधित लाभार्थियों की शंकाओं के समाधान और सूचनाएं उपलब्ध कराने के लिए एक हेल्प लाइन की भी व्यवस्था की है।

20.3 मंत्रालय द्वारा पारदर्शिता, जवाबदेही और सिविल समाज की भागीदारी की दिशा में किए गए सकारात्मक पहल के कारण ही मंत्रिमंडल सचिवालय ने 14 जनवरी, 2011 को भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के सचिवों से यह अनुरोध किया है कि वे भी मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित प्रक्रिया को अपनाएं।

20.4 अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत आठ केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी और तीन संयुक्त सचिवों को अपीलीय प्राधिकारी के रूप में पदनामित किया है। वर्ष 2011–12 में (31.12.2011 तक) इस अधिनियम के तहत 257 आवेदन और 14 अपील प्राप्त हुए थे, जिन्हें निस्तारित कर दिया गया। आर. टी. आई. अधिनियम के तहत प्राप्त आवेदनों और अपीलों से संबंधित तिमाही स्थिति रिपोर्ट केन्द्रीय सूचना आयुक्त को भेजी जाती है।

अध्याय–21

विकलांग व्यक्तियों के लाभार्थ वर्ष के दौरान लिए गए नीतिगत निर्णय और की गई कार्रवाई

21.1 अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय 29 जनवरी, 2006 को अल्पसंख्यकों से जुड़े मुद्दों पर अधिक ध्यान दिया जाना सुनिश्चित करने तथा अल्पसंख्यक समुदाय के लाभार्थ समग्र नीति एवं नियोजन की तैयारी, समन्वय, मूल्यांकन और विनियामक ढांचे की समीक्षा तथा विकास कार्यक्रम की तैयारी कार्य को सुगम बनाने के लिए अस्तित्व में आया। मंत्रालय एक छोटा संगठन है जिसमें स्वीकृत अधिकारियों और स्टाफ की संख्या केवल 93 है, जिसमें 1 सचिव, 1 संयुक्त सचिव–सह–वित्त सलाहकार (अतिरिक्त प्रभार) तथा 3 संयुक्त सचिव हैं। यह मंत्रालय विशेषकर अधिकारी उन्मुख है तथा मध्यम स्तर के अधिकांश अधिकारी डेस्क अधिकारी पैटर्न पर कार्य करते हैं।

21.2 मंत्रालय में अधिकारियों/कर्मचारियों के कुल स्वीकृत 93 पदों में से (जिनमें से अधिकांश संगठित सेवा से भरे हुए हैं) 64 पद भरे हुए हैं। मंत्रालय के गठन से अब तक सीधे तौर पर केवल 3 चपरासियों की ही भर्ती की गई है तथा प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त एक सहायक निदेशक को मंत्रालय में आमेलित किया गया है। शेष पद अल्पकालीन अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर भरे गए हैं। इसलिए विकलांग व्यक्तियों को अब तक आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सका है। तथापि, भविष्य में भर्ती करते समय विकलांग व्यक्तियों को आरक्षण देने संबंधी उपबंधों का अनुपालन किया जाएगा।

अध्याय–22

शासकीय लेखापरीक्षा

22.1 भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा मंत्रालय और एनएमडीएफसी के लेखाओं और कार्य–व्यवहारों, जिनमें उनकी आज की तारीख तक की स्थिति भी शामिल है, के संबंध में संसद में प्रस्तुत की गयी उनकी विभिन्न रिपोर्टों में दर्शाये गये लेखा–परीक्षा पैराओं का ब्यौरा नीचे दिया गया है :–

क्रम सं0	रिपोर्ट संख्या	पैरा सं0 और विषय	की गयी कार्रवाई
1.	2008–09 का 1	8.13 अनुपूरक अनुदान/ विनियोजन की तुलना में बचत अधिक।	की गयी कार्रवाई संबंधी टिप्पणियों का मसौदा डीजीएसीआर (व्यय) को पुनरीक्षण हेतु दिनांक 14.6.2011 को भेजा गया। कई बार अनुस्मारक देने के बावजूद की गयी कार्रवाई संबंधी पुनरीक्षित टिप्पणियां अब तक प्राप्त नहीं हुई हैं।
2.	भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा की आगामी रिपोर्ट में शामिल करने हेतु प्रस्तावित।	कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अंतर्गत गठित कंपनियों में (निधि प्रबंधन) के संबंध में थीमैटिक मसौदा पैराग्राफ।	उत्तर मुख्य निदेशक, वाणिज्यिक लेखा परीक्षा और पदेन सदस्य, लेखा परीक्षा बोर्ड–II नई दिल्ली को भेजा गया।

अध्याय–23

परिणाम–ढांचा दस्तावेज, नागरिक/सेवार्थियों के चार्टर और शिकायत निवारण तंत्र

23.1 4 जून, 2009 को संसद के दोनों सदनों को राष्ट्रपति के सम्बोधन में की गयी घोषणा के अनुसार प्रधानमंत्री ने 11 सितम्बर, 2009 को सरकारी विभागों के लिए निष्पादन निगरानी और मूल्यांकन प्रणाली की रूपरेखा के मसौदे को अनुमोदित कर दिया।

इस प्रणाली के अनुसार प्रत्येक विभाग से यह अपेक्षा की गयी है कि वह सरकार द्वारा समय–समय पर संसूचित घोषणा कार्यसूची, राष्ट्रपति के संबोधन, संबंधित मंत्री द्वारा निर्दिष्ट प्राथमिकताओं को शामिल करते हुए परिणाम ढांचा दस्तावेज तैयार करे। इस मंत्रालय ने 30 नवम्बर, 2009 को वर्ष 2009–10 के लिए अपना प्रथम परिणाम ढांचा दस्तावेज (आर एफ डी) तैयार करने का कार्य पूरा कर लिया। सरकार में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिए "सरकार की घटती राशि" से "सरकार की बढ़ती गुणवत्ता" में अंतरण की दिशा में इस कार्य की शुरूआत थी।

वर्ष 2009–10 के दौरान मंत्रालय के कार्य निष्पादन के मूल्यांकन के आधार पर मंत्रिमंडल सचिवालय ने इस मंत्रालय को 92.76% समग्र संयुक्त अंक प्रदान किया जो 59 सरकारी विभागों को प्राप्त 89.40% औसत संयुक्त अंकों की तुलना में अधिक रहा।

23.2 वर्ष 2011–12 के लिए मंत्रालय का नागरिक/सेवार्थियों का चार्टर जो 'सेवोत्तम' हेतु अनुवर्ती एवं अनिवार्य आवश्यकता है, तैयार कर लिया गया है और 2 मई 2011 को मंत्रिमंडल सचिवालय की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। वर्ष 2011–12 के लिए मंत्रालय का आरएफडी भी मंत्रिमंडल सचिवालय की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। आरडी 2011–12 के अधीन मध्यावधिक उपलब्धियां भी 16 दिसम्बर, 2011 को अपलोड कर दी गई हैं।

23.3 मंत्रिमंडल सचिवालय में निष्पादन प्रबंधन प्रभाग के परिवेदना निवारण तंत्र के लिए सीपीग्राम्स लिंक वाले एक स्क्रीन शॉट को मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है।

अनुलग्नक–I

क्र. सं.	पद / वेतन बैंड / ग्रेड वेतन / ग्रुप	स्वीकृत पदों की संख्या	भरे गए पदों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या
1.	सचिव / ₹ 80,000 / – निर्धारित / ग्रुप 'ए'	01	01	शून्य
2.	संयुक्त सचिव / ग्रे.वे. ₹ 10,000 / – ग्रुप 'ए'	03	03	शून्य
3.	निदेशक / उप सचिव / ग्रे.वे. ₹8,700 / – / 7,600 / ग्रुप 'ए'	07	05	02
4.	अवर सचिव / ग्रे.वे. ₹ 6,600 / – / ग्रुप 'ए'	10	10	शून्य
5.	सहायक निदेशक / ग्रे.वे. ₹5,400 / – / ग्रुप 'ए'	03	01	02
6.	अनुसंधान अधिकारी / ग्रे.वे. ₹ 5,400 / – / ग्रुप 'ए'	01	शून्य	01
7.	सहायक निदेशक (राजभाषा) / ग्रे.वे. ₹5,400 / – / ग्रुप 'ए'	01	01	शून्य
8.	अनुभाग अधिकारी / ग्रे.वे. ₹ 4,800 / –5400 / – / ग्रुप 'बी'	08	08	शून्य
9.	प्रधान निजी सचिव / ग्रे.वे. ₹ 7,600 / – /	01	शून्य	01
10.	सहायक / ग्रे.वे. ₹ 4,600 / – / ग्रुप 'बी' (अ0रा0)	10	09	01
11.	वरिष्ठ अनुसंधान अन्वेषक / ग्रे.वे. ₹4,600 / – / ग्रुप 'बी' (अ0रा0)	04	01	03
12.	वरिष्ठ अन्वेषक / ग्रे.वे. ₹4,200 / – / ग्रुप 'बी' (अ0रा0)	04	01	03
13.	लेखाकार / ग्रे.वे. ₹4,200 / – / ग्रुप 'बी' (अ0रा0)	01	01	शून्य
14.	निजी सचिव / ग्रे.वे. ₹4,800 / – / ग्रुप 'बी'	04	04	शून्य
15.	आशुलिपिक / ग्रे.वे. ₹4,600 / – / ग्रुप 'बी' (अ0रा0)	06	05	01
16.	वरिष्ठ हि न्दी अनुवादक / ग्रे.वे. ₹4,600 / – / ग्रुप 'बी' (अ0रा0)	01	01	भून्य
17.	आशुलिपिक / ग्रे .वे. ₹2,400 / – / ग्रेड 'डी'	05	03	02
18.	उच्च श्रेणी लिपिक / ग्रे .वे. ₹2,400 / – / ग्रेड 'सी'	01	शून्य	01
19.	स्टाफ कार चालक / ग्रे.वे. ₹ 1,900 / – / ग्रेड 'सी'	02	शून्य	02
20.	चपरासी ग्रेड / ग्रे.वे. ₹1,800 / – / 'डी'	14	09	05
21	सहायक निदेशक (उर्दू) / ग्रे.वे. ₹5,400 / –	01	शून्य	01
22.	अनुवादक (उर्दू) / ग्रे.वे. ₹4,200 / – / ग्रुप 'बी'	01	शून्य	01
23.	टाइपिस्ट (उर्दू) / ग्रे.वे. ₹ 1,900 / – / ग्रुप 'सी'	01	शून्य	01
योग		**93**	**64**	**29**

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का संगठनात्मक चार्ट

अनुलग्नक–II

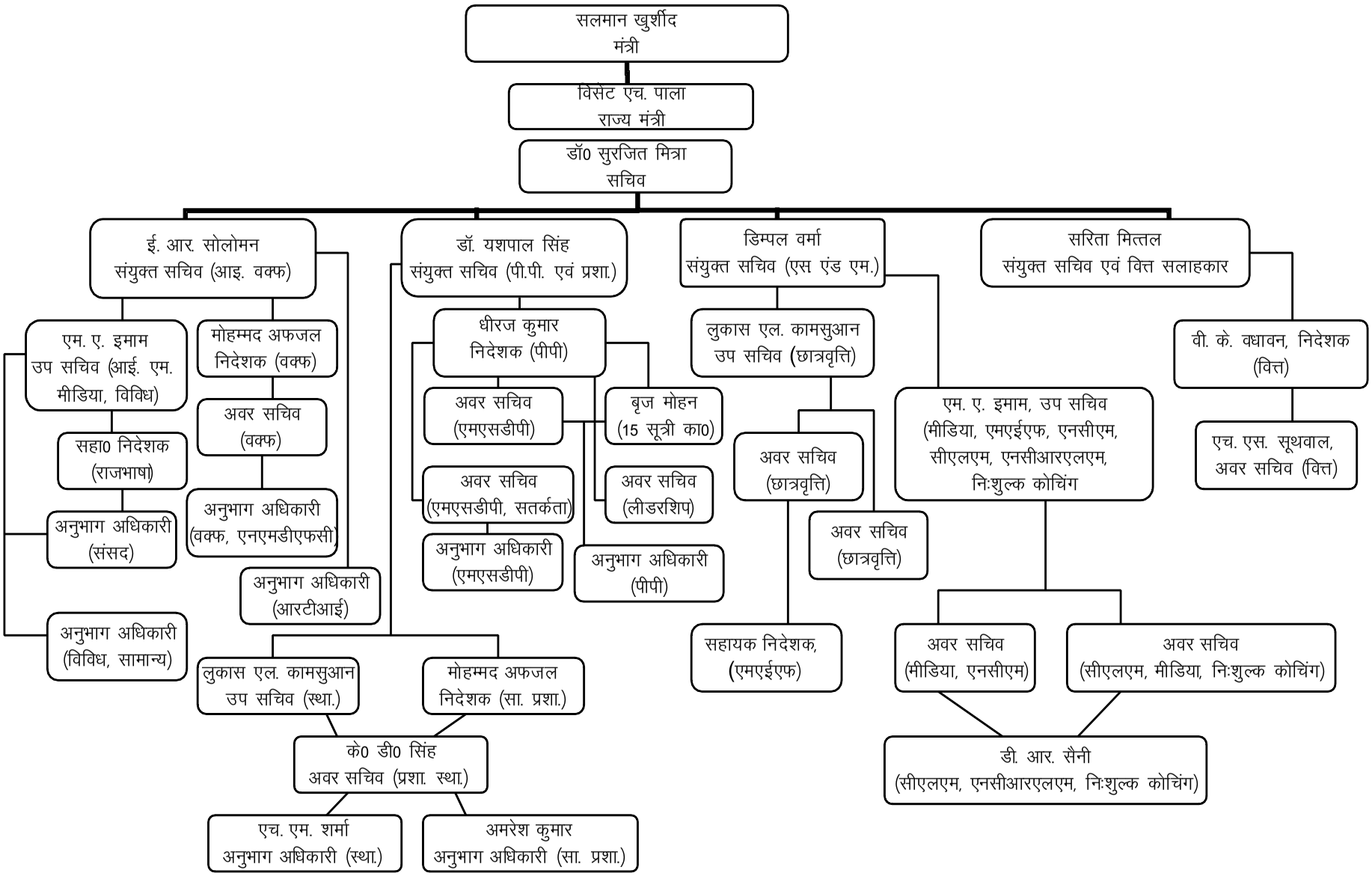

अनुलग्नक–III

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007–12) परिव्यय, वर्ष 2011–12 में बजट अनुमान, संशोधित अनुमान और वास्तविक व्यय (31.12.2011 तक) का योजनागत स्कीम/कार्यक्रम–वार ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	ग्यारहवीं योजन	बजट अनुमान 2011–12	संशोधित अनुमान 2011–12	वास्तविक व्यय 2011–12 (31.12.2011 तक)
क.	**केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं**				
1.	मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान के लिए सहायता–अनुदान	500.00	200.00	200.00	150.00
2.	अल्पसंख्यकों के लिए कोचिंग एवं संबद्ध योजना	45.00	16.00	16.00	3.99
3.	एनएमडीएफसी की इक्विटी में अंशदान	500.00	115.00	115.00	115.00
4.	अल्पसंख्यकों के लिए प्रचार सहित अनुसंधान/अध्ययन, निगरानी और विकास योजनाओं का मूल्यांकन	35.00	36.00	36.00	16.95
5.	एनएमडीएफसी कार्यक्रम के कार्यान्वयन में लगी राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों (एससीए) को सहायता–अनुदान	20.00	2.00	2.00	0.00
6.	अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व–क्षमता विकास की योजना	0.00	15.00	0.04	0.00
7.	अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	0.00	52.00	52.00	51.98
8.	राज्य वक्फ बोर्डों के अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण	0.00	5.00	2.00	0.34
	उप–योग (केन्द्रीय योजनाए)	**1100.00**	**441.00**	**423.04**	**338.26**

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	ग्यारहवीं योजना	बजट अनुमान 2011–12	संशोधितअनुमान 2011–12	वास्तविक व्यय 2011–12 (31.12.2011 तक)
ख.	**केन्द्र प्रायोजित योजनाएं**				
1.	स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर के व्यावसायिक एवं तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए मेरिट–सह–साधन आधारित छात्रवृत्ति	600.00	140.00	140.00	81.29
2.	अल्पसंख्यक बहुल चुनिंदा जिलों में अल्पसंख्यकों के लिए बहु–क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम	2750.00	1218.40	1136.36	432.37
3.	अल्पसंख्यकों के लिए मैट्रिक–पूर्व छात्रवृत्ति	1400.00	600.00	600.00	319.81
4.	अल्पसंख्यकों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	1100.00	450.00	450.00	248.11
5.	सचिवालय	0.00	0.60	0.60	0.42
	उप–योग (सीएसएस)	5900.00	2409.00	2326.96	1082.26
	सकल योग (क+ख)	**7000.00**	**2850.00**	**2750.00**	**1420.26**

अल्पसंख्यक बहुल जिलों की सूची (श्रेणी 'क' और 'ख')

श्रेणी 'क'			
उन जिलों की सूची जो सामाजिक–आर्थिक और आधारभूत सुविधा दोनों मानदंडों की दृष्टि से राश्ट्रीय औसत से नीचे हैं			
क्र.सं.	**उप–समूह क्र.सं.**	**राज्य**	**जिला**
1.	1	अरूणाचल प्रदेश	ईस्ट कामेंग
2.	2	अरूणाचल प्रदेश	लोवर सुबंसिरी
3.	3	अरूणाचल प्रदेश	चांगलांग
4.	4	अरूणाचल प्रदेश	तिरप
5.	5	असम	कोकराझार
6.	6	असम	धुबरी
7.	7	असम	गोलपारा
8.	8	असम	बोगांईगांव
9.	9	असम	बारपेटा
10.	10	असम	दारंग
11.	11	असम	मारीगांव
12.	12	असम	नागांव
13.	13	असम	कछार
14.	14	असम	करीमगंज
15.	15	असम	हैलाकांडी
16.	16	असम	कामरूप
17.	17	बिहार	अररिया
18.	18	बिहार	किशनगंज
19.	19	बिहार	पुर्णिया
20.	20	बिहार	कटिहार
21.	21	बिहार	सीतामढ़ी
22.	22	बिहार	पश्चिम चम्पारन
23.	23	बिहार	दरभंगा
24.	24	झारखंड	साहिबगंज
25.	25	झारखंड	पकौर
26.	26	महाराश्ट्र	परभनी
27.	27	मणिपुर	थौबल
28.	28	मेघालय	वेस्ट गारो हिल्स
29.	29	उड़ीसा	गजपती
30.	30	उत्तर प्रदेश	बुलन्दशहर
31.	31	उत्तर प्रदेश	बदायूं
32.	32	उत्तर प्रदेश	बराबंकी
33.	33	उत्तर प्रदेश	खीरी
34.	34	उत्तर प्रदेश	भााहजहांपुर
35.	35	उत्तर प्रदेश	मुरादाबाद
36.	36	उत्तर प्रदेश	रामपुर
37.	37	उत्तर प्रदेश	ज्योतिबा फूले नगर

क्र.सं.	उप–समूह क्र.सं.	राज्य	जिला
38.	38	उत्तर प्रदेश	बरेली
39.	39	उत्तर प्रदेश	पीलीभीत
40.	40	उत्तर प्रदेश	बहराइच
41.	41	उत्तर प्रदेश	श्रावस्ती
42.	42	उत्तर प्रदेश	बलरामपुर
43.	43	उत्तर प्रदेश	सिद्धार्थ नगर
44.	44	उत्तर प्रदेश	बिजनौर
45.	45	पश्चिम बंगाल	उत्तर दिनाजपुर
46.	46	पश्चिम बंगाल	दक्षिण दिनाजपुर
47.	47	पश्चिम बंगाल	मालदा
48.	48	पश्चिम बंगाल	मुर्शिदाबाद
49.	49	पश्चिम बंगाल	बीरभूम
50.	50	पश्चिम बंगाल	नादिया
51.	51	पश्चिम बंगाल	दक्षिण 24–परगना
52.	52	पश्चिम बंगाल	बर्धमान
53	53	पश्चिम बंगाल	कूच बिहार

श्रेणी 'ख'			
उप–श्रेणी 'ख 1'			
उन जिलों की सूची जो सामाजिक–आर्थिक मानदंड की दृष्टि से राष्ट्रीय औसत से नीचे हैं			
क्र.सं.	**उप–समूह क्र.सं.**	**राज्य**	**जिला**
54.	1	अरूणाचल प्रदेश	तावांग
55.	2	अरूणाचल प्रदेश	वेस्ट कामेंग
56.	3	अरूणाचल प्रदेश	पापम पारे
57.	4	दिल्ली	नॉर्थ ईस्ट
58.	5	हरियाणा	गुड़गांव
59.	6	हरियाणा	सिरसा
60.	7	कर्नाटक	गुलबर्गा
61.	8	कर्नाटक	बीदर
62.	9	मध्य प्रदेश	भोपाल
63.	10	उत्तर प्रदेश	लखनऊ
64.	11	उत्तर प्रदेश	सहारनपुर
65.	12	उत्तर प्रदेश	मेरठ
66.	13	उत्तर प्रदेश	मुजफ्फरनगर
67.	14	उत्तर प्रदेश	बागपत
68.	15	उत्तर प्रदेश	गाजियाबाद
69.	16	उत्तरांचल	उधम सिंह नगर
70.	17	उत्तरांचल	हरिद्वार
71.	18	पश्चिम बंगाल	हावड़ा
72.	19	पश्चिम बंगाल	उत्तर 24 परगना
73.	20	पश्चिम बंगाल	कोलकाता

उप–श्रेणी 'ख 2'			
उन जिलों की सूची जो आधारभूत सुविधा मानदंड की दृष्टि से राष्ट्रीय औसत से नीचे हैं			
क्र.सं.	**उप–समूह क्र.सं.**	**राज्य**	**जिला**
74.	1	अण्डमान	निकोबार
75.	2	असम	नॉर्थ कछार हिल्स
76.	3	जम्मू व कश्मीर	लेह (लद्दाख)
77.	4	झारखंड	रांची
78.	5	झारखंड	गुमला
79.	6	केरल	वेयानाद
80.	7	महाराष्ट्र	बुलदाना
81.	8	महाराष्ट्र	वाशिम
82.	9	महाराष्ट्र	हिंगोली
83.	10	मणिपुर	सेनापति
84.	11	मणिपुर	तमेंगलांग
85.	12	मणिपुर	चूड़चांदपुर
86.	13	मणिपुर	उखरूल
87.	14	मणिपुर	चंदेल
88.	15	मिजोरम	लांगटलाई
89.	16	मिजोरम	ममित
90.	17	सिक्किम	नॉर्थ

अनुलग्नक–V

अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को वर्ष 2011–12 (31.12.2011 तक) के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार और समुदायवार संवितरित मैट्रिक–पूर्व छात्रवृत्तियां

क्रम सं0	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	मुस्लिम		इसाई		सिक्ख		बौद्ध		पारसी		योग		पुरूष	महिला	महिला का %	स्वीकृत धनराशि (करोड़ ₹ में)
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि				
1	आंध्र प्रदेश	125291	107541	21080	13293	510	278	510	192	15	15	147406	121319	49192	72127	59.45	19.30
2	अरूणाचल प्रदेश	340		3570		46		2550		15		6521	0				
3	असम	147900		17680		340		850		15		166785	0				
4	बिहार	246160	157816	1020	56	340	77	340	24	15	0	247875	157973	72263	85710	54.26	21.54
5	छत्तीसगढ़	7310	7310	7140	920	1190	1038	1190	84	15	0	16845	9352	4506	4846	51.82	2.12
6	गोवा	1700		6461		46		31		102		8340	0				
7	गुजरात	82450		5100		850		340		102		88842	0				
8	हरियाणा	21930		510		21080		170		15		43705	0				2.03
9	हिमाचल प्रदेश	2210	2951	170	17	1360	730	1360	197	15	0	5115	3895	1983	1912	49.09	0.40
10	जम्मू और कश्मीर	121891		340		3740		2040		15		128026	0				11.10
11	झारखंड	66980	20850	19550	4059	1530	91	170	0	15	0	88245	25000	11571	13429	53.72	5.36
12	कर्नाटक	115941	159689	18021	24670	340	271	7140	1876	15	21	141457	186527	83915	102612	55.01	18.01
13	केरल	141101	324252	108538	248628	46	0	31	0	15	0	249731	572880	251066	321814	56.17	43.40
14	मध्य प्रदेश	69020		3060		2720		3740		15		78555	0				6.14
15	महाराष्ट्र	184281	460751	19041	26199	3910	7163	104550	206626	405	604	312187	701343	281259	420084	59.90	54.72
16	मणिपुर	3401	2000	13260	7421	46	0	31	17	15	0	16753	9438	4822	4616	48.91	1.19
17	मेघालय	1700		29240		46		31		15		31032	0				
18	मिजोरम	170	88	13942	12317	46	1080	1360	0	15	0	15533	13485	6480	7005	51.95	2.49
19	नागालैंड	680		32129		46		31		15		32901	0				
20	उड़ीसा	13770	16269	16150	8226	340	2	170	56	15	0	30445	24553	11861	12692	51.69	2.00
21	पंजाब	6800		5270		261152		680		15		273917	0				
22	राजस्थान	85851		1360		14790		170		15		102186	0				4.45
23	सिक्किम	171	0	681	754	46	0	2720	2515	15	0	3633	3269	1586	1683	51.48	0.61
24	तमिलनाडू	62221	121561	67831	113989	170	10	170	22	15	0	130407	235582	118555	117027	49.68	25.70
25	त्रिपुरा	4590		1870		46		1700		15		8221	0				
26	उत्तर प्रदेश'	551651	418877	3740	194	12240	3151	5440	998	15	1	573086	423221	248653	174568	41.25	59.73
27	उत्तराखंड	18190		510		3740		170		15		22625	0				0.23
28	पश्चिम बंगाल	363121	422961	9180	8214	1190	484	4420	3406	15	0	377926	435065	202609	232456	53.43	39.27
29	अंडमान एवं निकोबार	510		1359		46		31		15		1961	0				
30	चंडीगढ़	680		170		2550		31		15		3446	0				
31	दादर एवं नगर हेवली	170		170		46		31		15		432	0				
32	दमन एवं द्वीव	170		46		46		31		102		395	0				
33	दिल्ली	29070		2380		10031		510		15		42006	0				0.00
34	लक्षद्वीप	1020		46		46		31		15		1158	0				
35	पुडूचेरी	1020		1190		46		31		15		2302	0				
योग		**2479461**	**2222916**	**431805**	**468957**	**344757**	**14375**	**142801**	**216013**	**1176**	**641**	**3400000**	**2922902**	**1350321**	**1572581**	**53.80**	**319.80**

* वर्ष 2010–11 के स्पिल ओवर मामले मात्र

अनुलग्नक–VI

अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को वर्ष 2011–12 (31.12.2011 तक) के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार और समुदायवार संवितरित मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां

क्रम सं0	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	मुस्लिम		इसाई		सिक्ख		बौद्ध		पारसी		योग		छात्रवृत्तियों की संख्या			स्वीकृत धनराशि (करोड ₹ में)
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	पुरूष	महिला	महिला का %	
1	आंध्र प्रदेश	19346	19781	3255	733	79	32	79	2	2	2	22761	20550	6629	13921	67.74	17.28
2	बिहार	38011	40123	157	33	53	46	53	12	2	0	38276	40214	20074	20140	50.08	23.81
3	छत्तीसगढ़	1129		1102		184		184		2		2601	0				1.03
4	गोवा	262		997		11		9		20		1299	0				
5	गुजरात	12732		787		131		53		20		13723	0				5.71
6	हरियाणा	3386		79		3255		26		2		6748	0				1.48
7	हिमाचल प्रदेश	341		26		210		210		2		789	0				0.20
8	जम्मू और कश्मीर	18821		52		577		315		2		19767	0				2.13
9	झारखंड	10343	6062	3019	901	236	37	26	0	2	0	13626	7000	3766	3234	46.20	5.65
10	कर्नाटक	17903	24495	2782	4353	52	23	1103	129	2	0	21842	29000	8139	20861	71.93	11.12
11	केरल	21787	35616	16753	29789	11	0	9	8	2	3	38562	65416	24537	40879	62.49	18.70
12	मध्य प्रदेश	10657		473		420		578		2		12130	0				5.01
13	महाराष्ट्र	28455	33959	2940	1244	604	352	16097	1692	61	29	48157	37276	16916	20360	54.62	23.44
14	उड़ीसा	2126		2494		52		26		2		4700	0				
15	पंजाब	1050	832	814	71	40272	30332	105	38	2	0	42243	31273	7756	23517	75.20	22.66
16	राजस्थान	13256	16544	210	41	2284	1764	26	1	2	0	15778	18350	10330	8020	43.71	11.75
17	तमिलनाडू	9608	12842	10474	15030	26	0	26	0	2	0	20136	27872	9231	18641	66.88	13.12
18	उत्तर प्रदेश	85181	109624	578	369	1890	2420	840	629	2	2	88491	113044	54851	58193	51.48	58.86
19	उत्तराखंड	2809		79		578		26		2		3494	0			#DIV/0!	0.13
20	पश्चिम बंगाल	56070	47066	1418	671	184	75	682	627	2	0	58356	48439	32219	16220	33.49	24.51
21	दिल्ली	4489		367		1549		79		2		6486	0				
22	पुडूचेरी	157		184		11		9		2		363	0				
23	अंडमान एवं निकोबार	79		210		11		9		2		311	0				
24	चंडीगढ़	105		26		394		9		2		536	0				
25	दादर एवं नगर हेवली	26		26		11		9		2		74	0				
26	दमन एवं द्वीव	26		11		11		9		20		77	0				
27	लक्षद्वीप	157		11		11		9		2		190	0				
28	अरूणाचल प्रदेश	53		551		11		394		2		1011	0				
29	असम	22838		2730		52		131		2		25753	0				
30	मणिपुर	525		2048		11		9		2		2595	0				
31	मेघालय	262		4515		11		9		2		4799	0				
32	मिजोरम	26		2152		11		210		2		2401	0				1.24
33	नागालैंड	105		4961		11		9		2		5088	0				
34	सिक्किम	26		105		11		420		2		564	0				0.28
35	त्रिपुरा	709		289		11		262		2		1273	0				
योग		**382856**	**346944**	**66675**	**53235**	**53236**	**35081**	**22050**	**3138**	**183**	**36**	**525000**	**438434**	**194448**	**243986**	**55.65**	**248.12**

गुवाहाटी उच्च न्यायालय में दायर रिट नं0 315(एसएम) 09 के प्रत्युत्तर में 11 छात्रवृत्तियों अथवा इससे कम छात्रवृत्तियों के लक्ष्य वाले समुदाय/समुदायों को शामिल किया गया है।

अनुलग्नक–VII

वर्ष 2011–12 (31.12.2011 तक) के दौरान अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को मेरिट–सह–साधन आधारित छात्रवृत्ति योजना के तहत निर्धारित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र–वार और समुदाय–वार लक्ष्य (केवल 20,000 नई छात्रवृत्तियां) और उपलब्धि (नए और नवीकरण दोनो)

क्रम सं0	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	मुस्लिम		इसाई		सिक्ख		बौद्ध		पारसी		योग		पुरूष	महिला	महिला का %	स्वीकृत धनराशि (करोड़ ₹ में)
		लक्ष्य	उपलब्धि*	लक्ष्य	उपलब्धि*	लक्ष्य	उपलब्धि*	लक्ष्य	उपलब्धि*	लक्ष्य	उपलब्धि*	लक्ष्य	उपलब्धि*				
1	आंध्र प्रदेश	737	728	124	26	3		3		0		867	754	450	304	40.32	2.10
2	अरूणाचल प्रदेश	2		21		0		15		0		38	0			0.00	0.00
3	असम	870	973	104	35	2	3	5	5	0		981	1016	791	225	22.15	2.98
4	बिहार	1448	2020	6	7	2	2	2	1	0		1458	2030	1640	390	19.21	5.55
5	छत्तीसगढ़	43	55	42	46	7	10	7	2	0		99	113	47	66	58.41	0.36
6	गोवा	10	18	38	48	0		0		1		49	66	33	33	50.00	0.18
7	गुजरात	485	711	30	42	5	7	2	1	1	2	523	763	406	357	46.79	1.83
8	हरियाणा	129	176	3	3	124	142	1	1	0		257	322	216	106	32.92	0.93
9	हिमाचल प्रदेश	13	18	1		8	9	8	2	0		30	29	18	11	37.93	0.10
10	जम्मू और कश्मीर	717	717	2	1	22	22	12	3	0		753	743	385	358	48.18	2.39
11	झारखंड	394	529	115	58	9	13	1	1	0		519	601	485	116	19.30	1.74
12	कर्नाटक	682	1500	106	283	2	2	42	60	0		832	1845	762	1083	58.70	5.02
13	केरल	830	1441	639	1413	0		0		0		1469	2854	1131	1723	60.37	8.45
14	मध्य प्रदेश	406	603	18	28	16	30	22	4	0	0	462	665	272	393	59.10	1.79
15	महाराष्ट्र	1084	1895	112	250	23	71	617	91	4	6	1840	2313	1234	1079	46.65	6.25
16	मणिपुर	20	29	78	73	0		0		0		98	102	63	39	38.24	0.29
17	मेघालय	10	15	172	225	0		0		0		182	240	102	138	57.50	0.78
18	मिजोरम	1		82	101	0		8	3	0		91	104	56	48	46.15	0.29
19	नागालैंड	4	1	189	250	0		0		0		193	251	124	127	50.60	0.76
20	उड़ीसा	81	109	95	24	2	2	1	3	0		179	138	85	53	38.41	0.49
21	पंजाब	40	49	31	41	1540	1987	4	4	0		1615	2081	774	1307	62.81	6.71
22	राजस्थान	505	652	8	11	87	115	1	1	0		601	779	468	311	39.92	2.15
23	सिक्किम	1		4	8	0		16	16	0		21	24	10	14	58.33	0.09
24	तमिलनाडू	366	1002	399	779	1	1	1	91	0		767	1873	978	895	47.78	4.90
25	त्रिपुरा	27	46	11	2	0		10		0		48	48	30	18	37.50	0.14
26	उत्तर प्रदेश	3245	5372	22	25	72	80	32	27	0		3371	5504	4089	1415	25.71	13.17
27	उत्तराखंड	107	141	3	1	22	26	1		0		133	168	136	32	19.05	0.53
28	पश्चिम बंगाल	2136	3691	54	27	7	14	26	29	0		2223	3761	3283	478	12.71	10.29
29	अंडमान एवं निकोबार	3	6	8	1	0		0		0		11	7	4	3	42.86	0.04
30	चंडीगढ़	4	3	1		15	11	0		0		20	14	10	4	28.57	0.11
31	दादर एवं नगर हेवली	1		1		0		0		0		2	0			0.00	0.00
32	दमन एवं द्वीव	1	2	0		0		0		1		2	2	2		0.00	0.01
33	दिल्ली	171	264	14	3	59	87	3		0		247	354	231	123	34.75	0.86
34	लक्षद्वीप	6		0		0		0		0		6	0			0.00	0.00
35	पुडूचेरी	6	7	7	8	0		0		0		13	15	5	10	66.67	0.04
योग		**14585**	**22773**	**2540**	**3819**	**2028**	**2634**	**840**	**345**	**7**		**20000**	**29579**	**18320**	**11259**	**38.06**	**81.29**

* इसमें नवीकरण के मामले शामिल हैं

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वक्फ बोर्डों की सूची

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम
1.	पंजाब वक्फ बोर्ड
2.	कर्नाटक राज्य वक्फ बोर्ड
3.	छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड
4.	महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड
5.	तमिलनाडू वक्फ बोर्ड
6.	पश्चिम बंगाल वक्फ बोर्ड
7.	असम वक्फ बोर्ड
8.	उड़ीसा वक्फ बोर्ड
9.	त्रिपुरा वक्फ बोर्ड
10.	हिमाचल प्रदेश वक्फ बोर्ड
11.	यू0 पी0 सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड
12.	बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड
13.	बिहार राज्य शिया वक्फ बोर्ड
14.	पुडूचेरी राज्य वक्फ बोर्ड
15.	केरल राज्य वक्फ बोर्ड
16.	हरियाणा वक्फ बोर्ड
17.	मणिपुर वक्फ बोर्ड
18.	मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड
19.	दिल्ली वक्फ बोर्ड
20.	लक्षद्वीप राज्य वक्फ बोर्ड
21.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह वक्फ बोर्ड
22.	उत्तराखंड वक्फ बोर्ड
23.	राजस्थान मुस्लिम वक्फ बोर्ड
24.	झारखंड राज्य वक्फ बोर्ड
25.	मेघालय वक्फ बोर्ड
26.	यू0 पी0 शिया वक्फ बोर्ड
27.	आन्ध्र प्रदेश राज्य वक्फ बोर्ड
28.	दादर एवं नगर हवेली वक्फ बोर्ड
29.	चंडीगढ़ वक्फ बोर्ड
30.	गुजरात राज्य वक्फ बोर्ड

मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान

दिनांक 31.12.2011 तक स्वीकृत सहायता–अनुदान का राज्यवार सारांश

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	स्वीकृत राशि (₹ में)	गैर–सरकारी संगठनों की संख्या
1	अंडमान	35.00	3
2	आंध्र प्रदेश	1033.55	64
3	असम	266.00	18
4	बिहार	534.71	35
5	छत्तीसगढ़	25.00	1
6	दिल्ली	93.55	12
7	गोवा	53.00	3
8	गुजरात	948.12	65
9	हरियाणा	334.10	28
10	हिमाचल प्रदेश	1	1
11	जम्मू और कश्मीर	226.42	15
12	झारखंड	93.00	6
13	कर्नाटक	1317.16	88
14	केरल	1047.00	57
15	मध्य प्रदेश	434.78	41
16	महाराष्ट्र	1961.83	150
17	मणिपुर	188.00	15
18	मेघालय	15.00	1
19	नागालैंड	28.50	2
20	उड़ीसा	37.62	7
21	पंजाब	61.67	6
22	राजस्थान	272.50	18
23	तमिलनाडू	438.78	29
24	उत्तरांचल	110.00	8
25	उत्तर प्रदेश	4873.91	435
26	पश्चिम बंगाल	401.40	29
	योग	**14831.60**	**1137**

अनुलग्नक–X

दिनांक 31.12.2011 तक मेधावी छात्राओं को राज्यवार स्वीकृत छात्रवृत्ति के ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	2003-04			2004-05			2005-06			2006-07			2007-08			2008-09			2009-10		2010-11		योग	
		छात्रवृत्तियों की सं0	धनराशि (₹ में)	धनराशि (लाख ₹ में)	छात्रवृत्तियों की सं0	धनराशि (रु0 में)	धनराशि (लाख ₹ में)	छात्रवृत्तियों की सं0	धनराशि (रु0 में)	धनराशि (लाख ₹ में)	छात्रवृत्तियों की सं0	धनराशि (₹ में)	धनराशि (लाख ₹ में)	छात्रवृत्तियों की सं0	धनराशि (₹ में)	धनराशि (लाख ₹ में)	छात्रवृत्तियों की सं0	धनराशि (₹ में)	धनराशि (लाख ₹ में)	छात्रवृत्तियों की सं0	धनराशि (लाख ₹ में)	छात्रवृत्तियों की सं0	धनराशि (लाख ₹ में)	छात्रवृत्तियों की सं0	धनराशि (लाख ₹ में)
1	अंडमान एवं निकोबार	0	0	0	0	0	0	4	40000	0.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.12	2	0.24	7	0.76
2	आंध्र प्रदेश	53	530000	5.3	110	1100000	11	145	1450000	14.5	111	1110000	11.1	223	2676000	26.76	828	9936000	99.36	1072	128.64	924	110.88	3466	407.54
3	अरूणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
4	असम	2	20000	0.2	81	810000	8.1	131	1310000	13.1	115	1150000	11.5	128	1536000	15.36	419	5028000	50.28	346	41.52	429	51.48	1651	191.54
5	बिहार	2	20000	0.2	178	1780000	17.8	221	2210000	22.1	342	3420000	34.2	342	4104000	41.04	680	8160000	81.6	1159	139.08	1425	171.00	4349	507.02
6	छत्तीसगढ	8	80000	0.8	9	90000	0.9	12	120000	1.2	2	20000	0.2	2	24000	0.24	0	0	0	2	0.24	0	0	35	3.58
7	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	12000	0.12	2	24000	0.24	0	0	13	1.56	16	1.92
8	दिल्ली	7	70000	0.7	50	500000	5	48	480000	4.8	26	260000	2.6	51	612000	6.12	72	864000	8.64	171	20.52	0	0	425	48.38
9	दादर एवं नगर हेवली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
10	दमन एवं द्वीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	36000	0.36	6	0.72	228	27.36	237	28.44
11	गोवा	0	0	0	8	80000	0.8	6	60000	0.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0.36	5	0.6	22	2.36
12	गुजरात	0	0	0	505	5050000	50.5	77	77000	0.77	391	3910000	39.1	147	1764000	17.64	623	7476000	74.76	709	85.08	610	73.2	3062	341.05
13	हरियाणा	8	80000	0.8	5	50000	0.5	0	0	0	4	40000	0.4	2	24000	0.24	7	84000	0.84	7	0.84	28	3.36	61	6.98
14	हिमाचल प्रदेश	4	40000	0.4	0	0	0	0	0	0	4	40000	0.4	0	0	0	0	0	0	1	0.12	1	0.12	10	1.04
15	जम्मू और कश्मीर	0	0	0	319	3190000	31.9	34	340000	3.4	21	210000	2.1	55	660000	6.6	21	252000	2.52	25	3	7	0.84	482	50.36
16	झारखंड	2	20000	0.2	40	400000	4	62	620000	6.2	65	650000	6.5	119	1428000	14.28	670	8040000	80.4	691	82.92	556	66.72	2205	261.22
17	कर्नाटक	31	310000	3.1	137	1370000	13.7	838	8380000	83.8	122	1220000	12.2	127	1524000	15.24	355	4260000	42.6	913	109.56	546	65.52	3069	345.72
18	केरल	80	800000	8	150	1500000	15	159	1590000	15.9	229	2290000	22.9	462	5544000	55.44	2884	34608000	346.08	2402	288.24	2338	280.56	8704	1032.12
19	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
20	मध्य प्रदेश	17	170000	1.7	70	700000	7	64	640000	6.4	134	1340000	13.4	123	1476000	14.76	371	4452000	44.52	217	26.04	400	48	1396	161.82
21	महाराष्ट्र	53	530000	5.3	147	1470000	14.7	406	4060000	40.6	165	1650000	16.5	336	4032000	40.32	1390	16680000	166.8	1570	188.4	1394	167.28	5461	639.90
22	मणिपुर	11	110000	1.1	11	110000	1.1	12	120000	1.2	1	10000	0.1	2	24000	0.24	19	228000	2.28	14	1.68	11	1.32	81	9.02
23	मेघालय	0	0	0	0	0	0	2	20000	0.2	2	20000	0.2	1	12000	0.12	3	36000	0.36	1	0.12	4	0.48	13	1.48
24	मिजोरम	0	0	0	2	20000	0.2	13	130000	1.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	1.50
25	नागालैंड	8	80000	0.8	0	0	0	0	0	0	11	110000	1.1	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	19	1.90
26	उड़ीसा	12	120000	1.2	30	300000	3	13	130000	1.3	12	120000	1.2	24	288000	2.88	49	588000	5.88	41	4.92	43	5.16	224	25.54
27	पुडूचेरी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	12000	0.12	6	0.72	10	1.2	17	2.04
28	पंजाब	4	40000	0.4	14	140000	1.4	15	150000	1.5	0	0	0	13	156000	1.56	8	96000	0.96	83	9.96	1685	202.2	1822	217.98
29	राजस्थान	2	20000	0.2	41	410000	4.1	76	760000	7.6	135	1350000	13.5	162	1944000	19.44	408	4896000	48.96	470	56.40	561	67.32	1855	217.52
30	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
31	तमिलनाडू	34	340000	3.4	120	1200000	12	91	910000	9.1	21	210000	2.1	122	1464000	14.64	990	11880000	118.8	1188	142.56	1176	141.12	3742	443.72
32	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	3	30000	0.3	3	30000	0.3	2	24000	0.24	1	12000	0.12	0	0	3	0.36	12	1.32
33	उत्तर प्रदेश	174	1740000	17.4	452	4520000	45.2	727	7270000	72.7	1598	15980000	159.8	1016	12192000	121.92	839	10068000	100.68	2518	302.16	3676	441.12	11000	1260.98
34	उत्तराखंड	6	60000	0.6	11	110000	1.1	14	140000	1.4	7	70000	0.7	6	72000	0.72	35	420000	4.2	38	4.56	32	3.84	149	17.12
35	पश्चिम बंगाल	116	1160000	11.6	291	2910000	29.1	398	3980000	39.8	325	3250000	32.5	545	6540000	65.4	1386	16632000	166.32	1416	169.92	1219	146.28	5696	660.92
	योग	**634**	**6340000**	**63.4**	**2781**	**27810000**	**278.1**	**3571**	**35710000**	**357.1**	**3846**	**38460000**	**384.6**	**4011**	**48132000**	**481.32**	**12064**	**144768000**	**1447.68**	**15070**	**1808.40**	**17326**	**2079.12**	**59303**	**6899.72**

Contents

Chapter No.	Chapter Titles	Page No.
	Executive Summary	1-2
1	Introduction	3-7
2	Prime Minister's New 15-Point Programme for the welfare of Minorities	8-11
3	Sachar Committee Report and follow-up action	12-18
4	Identification of Minority Concentration Districts(MCDs)	19-20
5	Schemes of Multi-Sectoral Development Programme (MSDP)	21-24
6	Pre-Matric Scholarship Scheme	25-26
7	Post-Matric Scholarship Scheme	27
8	Merit-cum-means based Scholarship Scheme	28-29
9	Free Coaching and Allied Scheme	30-31
10	Research/ Studies, Monitoring and Evaluation of Development Schemes including Publicity	32-33
11	Implementation of Minorities Welfare programmes /schemes in North-Eastern States and Sikkim	34-35
12	Grant in-aid Scheme to State Channelising Agencies of National Minorities Development and Finance Corporation	36
13	Commissioner for Linguistic Minorities	37-38
14	National Commission for Minorities	39-41
15	Waqf Administration and Central Waqf Council	42-44
16	The Durgah Khwaja Sahab Act, 1955	45-46
17	National Minorities Development and Finance Corporation	47-48
18	Maulana Azad Education Foundation	49-51
19	Gender Specific Issues and Gender Budgeting	52-53
20	Right to Information Act, 2005	54
21	Policy decisions and activities undertaken during the year for the benefit of the persons with disabilities	55
22	Government Audit	56
23	Results-Framework Document, Citizen's Client's' Charters and Grievance Redressal mechanism	57
	Annexure I to X	**58-71**

EXECUTIVE SUMMARY

Significant achievements of Ministry of Minority Affairs

1. In pursuance with the recommendations of the National Commission for Religious and Linguistic Minorities (NCRLM), the Government have carved out a sub-quota of 4.5% effective from 1st January, 2012 for backward classes of minorities from out of 27% quota of Other Backward Classes (OBC). This reservation is available to those minority communities who are included in the Central list of OBC published by the Ministry of Social Justice & Empowerment from time to time. The reservation will be for the Central Government jobs and services and also admissions to Central Government educational institutions.

2. In order to bring utmost transparency and also to make the selection system faster, the Ministry of Minority Affairs introduced, on a pilot basis, a unique scheme called 'On-line Scholarship Management System' (OSMS) during the year 2011-12 for awarding Merit-cum-Means scholarships. This is the first time that in a Government Scholarship Scheme such a system has been introduced.

3. For educationally empowering minority communities, the Ministry of Minority Affairs within a short span of four years in the 11th Plan have awarded more than 1 crore scholarships to minorities, out of which 50.34% has been awarded to girls students.

Other achievements during the year 2011-12:-

- 29.23 lakh pre-matric scholarships awarded of which 53.80% went to girl students.
- 4.38 lakh post-matric scholarships awarded of which 55.65% went to girl students.
- 29579 Merit-cum- Means scholarships awarded of which 38.06 % went to girl students.
- Rs. 128.23 crore released to 33337 beneficiaries under term loan and micro finance by NMDFC.
- 76,000 wakf records have been entered in the Wakf Registration Module and preparation for digitization of 40,000 wakf records has been completed.
- An amount of Rs. 432.32 crore have been released to the State Governments, for implementation of Multi-sectoral Development Programme in Minority Concentration Districts.
- The Equal Opportunities Commission Bill 2011 is under consideration.
- The Wakf Amendment Bill 2010 was passed by the Lok Sabha on 7th May 2010. The Select Committee of the Rajya Sabha to which the Bill was referred, submitted its

report on 16th December, 2011 to the Rajya Sabha. The recommendations of the Select Committee are under examination in the Ministry.

- A discussion on the working of the Ministry was held on 14th and 15th March, 2011 in the Rajya Sabha.

- A short duration discussion under Rule 193 of the Lok Sabha on the need to help the social economic and educational status of minorities was held on 24th and 25th March, 2011 in the Lok Sabha. The formulation of 12th Five year Plan was initiated by the Working Group on Empowerment of Minorities in June 2011

- Ministry launched Mass Awareness Campaign through Doordarshan and All India Radio.

- Memorandum of Understanding signed between the Ministry and the National Minorities Development and Finance Corporation (NMDFC) for year 2011-12 and was laid in the Lok Sabha and Rajya Sabha on 18th and 29th August 2011 respectively.

CHAPTER 1

INTRODUCTION

1.1 The Ministry of Minority Affairs was created on 29th January, 2006 to ensure a more focused approach towards issues relating to the minorities and to facilitate the formulation of overall policy and planning, coordination, evaluation and review of the regulatory framework and development programmes for the benefit of the minority communities.

1.2 Shri Salman Khurshid the Minister of Law & Justice holds additional charge of the office of the Minister of Minority Affairs. Shri Vincent H. Pala the Minister of State in the Ministry of Minority Affairs holds additional charge of the office of the Minister of State in the Ministry of Water Resources. The Secretary of the Ministry is assisted by three Joint Secretaries and a Joint Secretary & Financial Adviser (additional charge). The Ministry has a sanctioned strength of 93 Officers/Staff. A statement indicating the sanctioned strength and men in position in the Ministry is at **Annexure-I.** The Organizational Chart of the Ministry is given at **Annexure-II.**

Shri Salman Khurshid, Minister of Minority Affairs in meeting with the press on 7th May 2011.

ALLOCATION OF BUSINESS

1.3 Subjects allocated to this Ministry as per Second Schedule to the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961 are:-

(i) Overall policy, planning, coordination, evaluation and review of the regulatory and development programmes of the minority communities.

(ii) All matters relating to minority communities except matters relating to law and order.

(iii) Policy initiatives for protection of minorities and their security in consultation with other Central Government Ministries and State Government.

(iv) Matters relating to Linguistic Minorities and of the Office of the Commissioner for Linguistic Minorities.

(v) Matters relating to National Commission for Minorities Act.

(vi) Work relating to the Evacuee Waqf properties under the Administration of Evacuee Property Act, 1950 (31 of 1950) (since repealed).

(vii) Representation of the Anglo-Indian community.

(viii) Protection and preservation of non Muslim shrines in Pakistan and Muslim shrines in India in terms of the Pant-Mirza Agreement of 1955, in consultation with the Ministry of External Affairs.

(ix) Questions relating to the minority communities in neighboring countries, in consultation with the Ministry of External Affairs.

(x) Charities and charitable institutions, charitable and religious endowments pertaining to subjects dealt with in the Department.

(xi) Matters pertaining to the socio-economic, cultural and educational status of minorities, minority organizations, including the Maulana Azad Education Foundation.

(xii) The Waqf Act, 1995 (43 of 1995) and Central Waqf Council.

(xiii) The Durgah Khawaja Saheb Act, 1955 (36 of 1955).

(xiv) Funding of programmes and projects for the welfare of minorities, including the National Minorities Development and Finance Corporation.

(xv) Employment opportunities for minorities in the Central and State public sector undertakings, as also in the private sector.

(xvi) Formulation of measures relating to the protection of minorities and their security in consultation with other concerned Central Ministries and State Governments.

(xvii) National Commission for Socially and Economically Backward Sections among Religious and Linguistic Minorities.

(xviii) Prime Minister's new 15-Point Programme for Minorities.

(xix) Any other issue pertaining to the minority communities.

CONSTITUTIONAL, STATUTORY AND AUTONOMOUS BODIES

1.4 The Ministry has the following constitutional/ statutory /autonomous bodies etc:-

i) Commissioner for Linguistic Minorities (CLM).

ii) National Commission for Minorities (NCM).

iii) Central Waqf Council (CWC).

iv) National Minorities Development & Finance Corporation (NMDFC).

v) Maulana Azad Education Foundation (MAEF).

vi) Durgah Khawaja Saheb, Ajmer

ADMINISTRATION OF ACTS

1.5 The Ministry is responsible for the administration and implementation of the following Acts:-

i) Durgah Khawaja Saheb Act, 1955.

ii) National Commission for Minorities Act, 1992.

iii) Waqf Act, 1995.

USE OF OFFICIAL LANGUAGE

1.6 The Ministry issued all important orders/notifications bilingually. The Ministry observed the Hindi fortnight from the 1st to 15th September, 2011. Several competitions were organized during the fortnight and the prizes were also distributed. The Hindi Salahkar Samiti has been constituted under the chairmanship of Hon'ble Minister of Minority Affairs on 29/11/2011.

VIGILANCE UNIT

1.7 Shri Dheeraj Kumar, Director has been appointed as part-time Chief Vigilance Officer (CVO) of the Ministry. He is assisted by an Under Secretary, who discharge these functions in addition to their other duties. The Ministry observed the Vigilance Awareness Week from 25th October to 1st November, 2011.

NATIONAL INTEGRATION WEEK

1.8 The Ministry observed the Quami Ekta Week (National Integration Week) from 19th to 25th November, 2011 to foster the spirit of patriotism, communal harmony and integration.

E-GOVERNANCE

1.9 The web-site of the Ministry is on URL www.minorityaffairs.gov.in. Basic information about the activities of the Ministry and its schemes/programmes, the Prime Minister's new 15- Point Programme for the Welfare of Minorities, report of the High Level Committee on the Social, Economic and Educational Status of the Muslim Community of India and the follow-up action taken thereon, report of the National Commission for Religious and Linguistic Minorities, report of the expert group on diversity index, report of the expert group on Equal Opportunity Commission, report of the inter-ministerial task force on implications of the geographical distribution of minorities in India, linked Organizations, tender notices, employment advertisements, press releases, photographs of the work done under Multi Sectoral Development Plan, progress reports and statistics etc. are available on the web-site. Names of the students who have been given scholarships under various schemes are also available on the website. In order to help the students, in addition to the details of the scholarship schemes, various Frequently Asked Questions (FAQs) have also been put on the website. The contents of the website are updated continuously.

RIGHT TO INFORMATION ACT, 2005

1.10 Under this Act, the Ministry of Minority Affairs has eight Officers designated as Central Public Information Officers (CPIO) with the three Joint Secretaries designated as Appellate Authorities.

BUDGET

1.11 An outlay of ₹ 7000 crore was allocated to this Ministry for the various schemes/programmes in the Eleventh Five Year Plan (2007-12). Plan budget provision of ₹ 2850 crore was made in the Budget Estimates 2011-12, which was reduced in the Revised Estimates for 2011-12 to ₹ 2750 crore. A non-plan provision of ₹ 16.00 crore was made in

the Budget Estimates for the year 2010-11, which was subsequently enhanced to ₹ 16.46 crore in the Revised Estimates 2011-12. A statement showing the plan scheme/programme-wise Eleventh Plan outlay, Budget Estimates, Revised Estimates and the actual expenditure during the year 2011-12 (up to 31st December, 2011) is at **Annexure-III.**

FILE TRACKING SYSTEM

1.12 In the Ministry, a File Tracking System has been functioning since November, 2010. The software for this system was developed by NIC. This software allows the monitoring of the movement of files throughout the Ministry, captures details of all receipts and disposals of all correspondence received in the Ministry and action taken on these correspondences.

CHAPTER 2

PRIME MINISTER'S NEW 15 POINT PROGRAMME FOR THE WELFARE OF MINORITIES

2.1 The Prime Minister's New 15 Point Programme for the Welfare of Minorities was announced in June, 2006. It provides programme specific interventions, with definite goals which are to be achieved in a specific time frame. The objectives of the programme are: (a) Enhancing opportunities for education; (b) Ensuring an equitable share for minorities in economic activities and employment, through existing and new schemes, enhanced credit support for self-employment, and recruitment to State and Central Government jobs; (c) Improving the conditions of living of minorities by ensuring an appropriate share for them in infrastructure development schemes; and (d) Prevention and control of communal disharmony and violence.

2.2 An important aim of the new programme is to ensure that the benefits of various government schemes for the underprivileged reach the disadvantaged sections of the minority communities. In order to ensure that the benefits of these schemes flow equitably to the minorities, the new programme envisages location of a certain proportion of development projects in minority concentration areas. It also provides that, wherever possible, 15% of targets and outlays under various schemes should be earmarked for the minorities.

2.3 The target group of the programme consists of the eligible sections among the minorities notified under Section 2 (c) of the National Commission for Minorities Act, 1992, viz. Muslims, Christians, Sikhs, Buddhists and Zoroastrians (Parsis). In States, where one of the minority communities notified under Section 2 (c) of the National Commission for Minorities Act, 1992 is, in a majority, the earmarking of physical/financial targets under different schemes will be only for the other notified minorities. These States /UT are Jammu & Kashmir, Punjab, Meghalaya, Mizoram, Nagaland and Lakshadweep.

2.4 The progress of implementation of the programme is monitored by each of the Ministries/Departments concerned on a monthly basis. At the Central level, Ministry of Minority Affairs reviews the overall progress on a quarterly basis with the Nodal officers of other Ministries. The progress is reviewed once in six months by the Committee of Secretaries, and thereafter, a report is submitted to the Union Cabinet. The Cabinet has already reviewed the progress of implementation six times since the new programme was launched in June, 2006. As envisaged in the guidelines, the States/UTs are required to constitute the State Level Committees to monitor the progress. Similar mechanism has also been envisaged at the district level.

2.5 The list of schemes included in the New 15 Point Programme, which are amenable to earmarking, is as under:-

- Integrated Child Development Services (ICDS) Scheme by providing services through Anganwadi Centres {Ministry of Women & Child Development}.
- Sarva Shiksha Abhiyan (SSA) and Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya Scheme (KGBV) {Ministry of Human Resources Development}
- Aajeevika{Ministry of Rural Development}
- Swarnajayanti Shahari Rojgar Yojana (SJSRY) {Ministry of Housing & Urban Poverty Alleviation}
- Industrial Training Institutes (ITIs) {Ministry of Labour & Employment}
- Bank credit under priority sector lending {Department of Financial Services}Indira Awas Yojana (IAY) {Ministry of Rural Development}

Achievements under schemes included in the Prime Minister's New 15 Point Programme considered amenable to earmarking during 2011-12 (for the period up to 31st December, 2011) are given below:-

Sl.No.	**Name of the scheme and Ministry /Dept. Concerned**	**Achievement (Physical)**
1.	Sarva Shiksha Abhiyan (SSA)D/o School Education & Literacy.	
(i)	No. of primary schools constructed.	797
(ii)	No. of upper primary schools constructed.	23
(iii)	No. of additional classrooms constructed.	20150
(iv)	No. of new primary schools opened.	733
(v)	No. of new upper primary schools opened.	272
(vi)	No. of teachers sanctioned.	2476
(vii)	No. of Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya (KGBV) sanctioned in educationally backward blocks having a substantial minority population.	70

Sl.No.	Name of the scheme and Ministry /Dept. Concerned	Achievement (Physical)
2.	Swarojgaris assisted under Aajeevika M/o Rural Development	55258*
3.	Below Poverty Line (BPL) families assisted under Indira Awas Yojana (IAY). M/o Rural Development.	330809
4.	Beneficiaries assisted under Swarn Jayanti Shahari Rojgar Yojana (SJSRY).M/o Housing & Urban Poverty Alleviation (HUPA).	
(i)	Individual enterprises Urban Self-Employment Programme (USEP).	3585
(ii)	Skill Training for Employment Promotion amongst Urban Poor (STEP-UP).	15642
5.	Operationalisation of Anganwadi Centres under ICDS. M/o Women & Child Development.	2837*

Sl. No	Name of the Scheme and Ministry/Dept. concerned	Achievement (Financial) (₹ in crore)
1.	Indira Awas Yojana (IAY): M/o Rural Development.	996.87
2.	Swarn Jayanti Shahari Rojgar Yojana (SJSRY): M/o Housing & Urban Poverty Alleviation (HUPA).	9.90
3.	Upgradation of Industrial Training Institute (ITIs) into Centres of Excellence. Ministry of Labour & Employment.	8.08
4.	Priority Sector Lending. D/o Financial Services.	154789.90

*Upto September, 2011

The achievements in 2011-12 under schemes included in the 15 Point Programme where the flow of funds/benefits to development projects in minority concentration areas is monitored, are given below:

Sl. No	Name of the Scheme and Ministry/Dept. concerned	Achievement (Financial) Project cost sanctioned and number of cities/towns covered having a substantial minority population.
1.	Basic Services for Urban Poor (BSUP): M/o Housing & Urban Poverty Alleviation (HUPA).	₹ 7086.47 crore for 17 towns.
2.	Integrated Housing & Slum Development Programme (IHSDP), M/o HUPA.	₹ 1897.69 crore for 101 cities /towns.
3.	Urban Infrastructure & Governance (UIG): M/o Urban Development (UD)	₹ 8798.06 crore for 17 cities
4.	Urban Infrastructure Development Scheme for Small & Medium Towns (UIDSSMT): M/o Urban Development (UD).	₹ 2672.34 crore for 88 towns /cities.
5.	National Rural Drinking Water Programme (NRDWP): D/o Drinking Water Supply (DWS).	₹ 5143.96 crore of the total sanctions covering 11245 habitations in districts having a substantial minority population.

2.6 It has been reported by Department of Personnel and Training that during 2010-11, 51 Ministries/Departments have recruited 21,118 minority candidates, which works out to 12.2% of the total recruitments made.

2.7 The monitoring mechanism for implementation of Prime Minister's New 15 Point Programme has been strengthened. In 2009, the Government approved inclusion of two Members of Parliament from Lok Sabha and one Member of Parliament from Rajya Sabha, two Members of the Legislative Assembly to be nominated by the State Government in the State Level Committees for implementation of the Prime Minister's New 15 Point Programme for the Welfare of Minorities. However, one of the Members included in the State Level Committee from Lok Sabha and Legislative Assembly should have been elected from any of the minority concentration districts in those states which have minority concentration districts (MCDs). In respect of District Level Committee for implementation of the Prime Minister's new 15 Point Programme, besides one Member of Parliament from Rajya Sabha representing the State to be nominated by the Central Government, all Members of Parliament and all Members of Legislative Assembly representing the district would be included in the District Committee.

CHAPTER 3

SACHAR COMMITTEE REPORT & FOLLOW UP ACTION

The Government took decisions on the recommendations of the Prime Minister's High Level Committee on Social, Economic and Educational status of the Muslim Community of India, pertaining to various Ministries/Departments. The status of implementation of the decisions taken by Government on the follow-up action on the recommendations of the Sachar Committee is as under:-

3.1 Department of Financial Services :

(i) All public sector banks have been directed to open more branches in districts having a substantial minority population. Since 2007-08, 3276 branches were opened in such districts. During 2011-12, up to 31st December, 2011, 619 branches have been opened.

(ii) RBI revised its Master Circular on 1st July, 2007 on priority sector lending (PSL) for improving credit facilities to minority communities. As on 31st December, 2011, ₹ 154789.90 crore, which is 14.83% of total PSL, was provided to minorities.

(iii) District Consultative Committees (DCCs) of lead banks are regularly monitoring the disposal and rejection of loan applications for minorities.

(iv) To promote micro-finance among women, 6,03,087 accounts have been opened for minority women with ₹ 6611.87 crore as micro-credit in 2011-12 upto September, 2011.

(v) All public sector banks are organizing awareness campaigns in blocks/districts/towns with substantial minority population. In 2011-12, 1658 awareness campaigns were organized in such areas upto September, 2011.

(vi) Lead banks have organized 618 entrepreneurial development programmes in blocks/districts/towns with substantial minority population upto September, 2011 and the number of beneficiaries is 9065.

3.2 Ministry of Human Resource Development:

A multi-pronged strategy to address the educational backwardness of the Muslim community, as brought out by the Sachar Committee, has been adopted, as given below:-

a) Under the Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya (KGBV) scheme, criteria of educationally

backward blocks has been revised with effect from 1st April, 2008 to cover blocks with less than 30% rural female literacy and in urban areas with less than national average of female literacy (53.67%: Census 2001). Under the scheme, 70 KGBVs have been operationalized for minority concentration districts against the target of 107 during the year 2011-12 upto December, 2011.

b) Universalization of access to quality education at secondary stage called Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan (RMSA) has been approved. The scheme envisages preference to minority concentration areas in opening of Government schools. State Governments have been advised to accord priority to setting up of new/upgraded schools in minority concentration areas while appraising proposals under this scheme. 158 New Secondary Schools have been approved in 2011-12 upto October, 2011.

c) One model college each would be set up in 374 educationally backward districts (EBDs) of the country. Of 374 EBDs, 67 are in identified minority concentration districts. During 2011-12, five model colleges have been sanctioned in MCDs, and funds of ₹ 2.67 crores have been released upto 30th September, 2011.

d) Under the sub-Mission on polytechnics, financial assistance is provided to the States/UTs for setting up of polytechnics in un-served and under-served districts. 57 districts out of 90 minority concentration districts are eligible for consideration under the scheme. So far, 46 minority concentration districts have been covered for setting up of polytechnics, and an amount of ₹ 222.66 crore have been released upto 30th September, 2011.

e) Preference is given by the University Grants Commission for provision of girls' hostels in universities and colleges in the areas where there is concentration of minorities especially Muslims. The UGC has sanctioned 284 Women's hostels and released ₹ 201.55 crore till 30th September, 2011 during 11th Plan in Minority Concentration Districts/area.

f) The Area Intensive & Madarsa Modernisation Programme has been revised and bifurcated into two schemes. A Scheme for Providing Quality Education in Madarsas (SPQEM) has been launched with an allocation of ₹ 325 crore for the Eleventh Five-Year Plan. It contains attractive provisions for better teachers' salary, increased assistance for books, teaching aids and computers and introduction of vocational subjects, etc. An amount of ₹ 92.77 crore has been released upto 31st December, 2011 against budget provision of ₹ 150 crore. The other scheme, which provides financial assistance for Infrastructure Development of Private aided/unaided Minority Institutes (IDMI), has been launched with an allocation of ₹ 125 crore for the Eleventh Five-Year Plan. During 2011-12, an amount of ₹ 21.88 crore has been released against budget outlay of ₹ 50.00 crore upto 31st December, 2011.

g) For subsequent access to higher education, the Certificates issued by the State Madarsa Boards, whose Certificates and qualifications have been granted equivalence by the corresponding State Boards, would be considered equivalent by the Central Board of Secondary Education (CBSE), Council of Board of School Education in India (COBSE) or/and by any other school examination board.

h) Academies for professional development of Urdu medium teachers have been set up at three Central Universities namely, Aligarh Muslim University, Jamia Milia Islamia University, New Delhi and Maulana Azad National Urdu University, Hyderabad. During 2011-12, 4718 Urdu Teachers have been trained under Refresher Courses/Workshops.

i) Under the revised scheme, financial assistance is given for appointment of Urdu teachers in a Government school in any locality where more than 25% of the population is from Urdu speaking community. The financial assistance would be based on the prevailing salary structure of Urdu teachers employed with schools of the State Government. Honorarium is also admissible to part-time Urdu teachers.

j) The States/UTs have been advised to undertake community based mobilization campaigns in areas having a substantial population of Muslims. Saakshar Bharat is being implemented in 372 districts out of 410 eligible districts where adult female literacy is 50% or below as per 2001 Census. Out of 88 Muslim dominated districts, 61 districts have been covered under Saakshar Bharat.

k) Jan Shikshan Sansthans (JSSs) are envisaged in the revised schemes. At present, JSSs are imparting vocational training in 33 out of the 88 Muslim dominated districts in the country.

l) The mid-day meal scheme has been extended to all areas in the country from the year 2008-09 and also covers upper primary schools. Blocks with a concentration of Muslim population are being covered under this scheme.

m) All State Governments/UT administrations have been advised for using existing school buildings and community buildings as study centres for school children.

n) National Council of Educational Research and Training (NCERT) has prepared text books for all classes in the light of the National Curriculum Framework-2005 (NCF). 14 States have revised their curriculum as per the NCF 2005 while 9 States are in the process of doing so. Ten States/UTs use textbooks of neighbouring States or NCERT textbooks.

o) Thirty five universities have started centers for studying social exclusion and inclusive policy for minorities and scheduled castes and scheduled tribes. Besides, 1280 Centres of Equal Opportunity (CEOs) have been established in 51 universities during 2009-10

and 1345 and 1367 such centres are proposed to be established during 2010-11 and 2011-12 respectively.

3.3 Ministry of Minority Affairs:

(a) An expert group, constituted to study and recommend the structure and functions of an Equal Opportunity Commission (EOC), submitted its report on 13th March, 2008, the concept of diversity index has been subsumed in the EOC. The draft Bill for EOC is under consultation with other Ministries/Departments concerned.

(b) The Waqf (Amendment) Bill, 2010 as passed by the Lok Sabha was referred to Select Committee of the Rajya Sabha on 31st August, 2010. The Report of the Select Committee of the Rajya Sabha on the Waqf (Amendment) Bill, 2010 was placed on the Table of the Rajya Sabha on 16th December, 2011.

(c) The Government has accorded 'in-principle' approval for restructuring of National Minorities Development and Finance Corporation (NMDFC). A consultancy firm which was appointed to study and work out the details for restructuring of NMDFC has submitted its Reports which are being examined in the Ministry.

(d) An inter-ministerial Task Force constituted to devise an appropriate strategy and action plan for developing 338 identified towns having substantial minority population, has submitted its report on 8th November, 2007. The concerned Ministries/Departments have been advised to give priority in the implementation of their schemes in these 338 towns.

(e) Three scholarship schemes for minority communities namely, pre-matric scholarship from class-I to X, post-matric scholarship from class XI to PhD and merit-cum-means scholarship for technical and professional courses at under-graduate and post-graduate levels have been launched. Under these schemes, ₹ 649.21 crore have been sanctioned for award of scholarships to 33.90 lakh students belonging to minority communities up to 31st December, 2011. Further, a fellowship scheme called Maulana Azad National Fellowship scheme for M.Phil and Ph.D. scholars has been under implementation. 756 fellowships and 3778 renewals have been sanctioned by University Grants Commission (UGC) and financial assistance for ₹ 51.98 crore has been released upto 31st December, 2011.

(f) The corpus of Maulana Azad Education Foundation (MAEF), which stood at ₹ 100 crore, was doubled to ₹ 200 crore in December, 2006. The corpus was, however, increased during 11th Plan Period to ₹ 700 crore. Under the schemes of MAEF, since 2007-08, 419 NGOs have been given grants-in-aid for infrastructure development of educational institutions and 48471 scholarships were awarded to meritorious girls in classes-XI and XII.

(g) A revised Coaching and Allied scheme was launched in 2006-07. Against the target of 6000 candidates for 2011-12, financial assistance has been given to 90 students/candidates belonging to minority communities. Under the Scheme ₹ 4.00 crore have been released against the budget provision of ₹ 16.00 crore, upto 31st December, 2011.

(h) A Multi-sectoral Development Programme (MsDP) was launched in 90 identified minority concentration districts in 2008-09. Plans of 90 minority concentration districts (fully in 63 and partly in 27 districts) in Haryana, Uttar Pradesh, West Bengal, Assam, Manipur, Bihar, Meghalaya, Jharkhand, Andaman & Nicobar Islands, Orissa, Maharashtra, Karnataka, Kerala, Uttrakhand, Mizoram, Jammu & Kashmir, Delhi Madhya Pradesh, Sikkim and Arunachal Pradesh have been approved and ₹ 2588.34 crore released to State Governments and Union Territory Administrations up to 31st December, 2011 since launching of the programme.

3.4 Ministry of Statistics and Programme Implementation :

A National Data Bank, to compile data on the various socio-economic and basic amenities parameters for socio-religious communities, has been set up in the Ministry of Statistics and Programme Implementation.

3.5 Planning Commission:

(a) An autonomous Assessment & Monitoring Authority (AMA), to analyse data collected for taking appropriate and corrective policy decisions, was set up in the Planning Commission. Since the term of the AMA ended on 15th January, 2011, the Planning Commission has reconstituted the AMA and the newly reconstituted AMA has held a few meetings.

(b) A comprehensive institutional structure for fostering skill development has been set up in Planning Commission to address the skill development needs of the country including minorities. It includes National Council on Skill Development, National Skill Development Coordination Board and a National Skill Development Corporation.

3.6 Department of Personnel and Training:

(a) Department of Personnel & Training has developed training modules for sensitization of government officials for the welfare of minorities. These modules have been sent to the Central/ State Training Institutes for training.

(b) State Governments and Union Territory Administrations have been advised by Department of Personnel & Training for posting of Muslim police personnel in Thanas

and Muslim health personnel and teachers in Muslim concentration areas. Guidelines have also been issued by Ministry of Home Affairs, Ministry of Human Resource Development and Ministry of Health & Family Welfare advising States/UTs for similar action.

3.7 Ministry of Home Affairs:

(a) A High Level Committee, set up to review the Delimitation Act, has considered the concerns expressed in the Sachar Committee report regarding anomalies with respect to reserved constituencies under the delimitation schemes and submitted its Report.

(b) A Working Group in the National Advisory Council (NAC) drafted a Bill titled "Prevention of Communal and Targeted Violence (Access to Justice & Reparations) Bill, 2011". The NAC sent the Bill to Ministry of Home Affairs on 25.07.2011. The draft Bill is under examination in Ministry of Home Affairs.

3.8 Ministry of Urban Development and Ministry of Housing & Urban Poverty Alleviation:

For facilitating the flow of funds under the Jawarharlal Nehru National Urban Renewal Mission (JNNURM), Urban Infrastructure Development Scheme for Small and Medium Towns (UIDSSMT), Integrated Housing & Slum Development Programme (IHSDP) and Basic Services for Urban Poor (BSUP) to towns and cities, having a substantial concentration of minority population, necessary steps have been taken to ensure that Detailed Project Reports (DPRs) for such towns and cities include adequate provisions for minorities.

(a) Under UIDSSMT, ₹ 2672.34 crore has been sanctioned for 88 towns having a substantial minority population.

(b) Under IHSDP, projects costing ₹ 1897.69 crore are for 101 towns having a substantial minority population.

(c) Under BSUP, ₹ 7086.47 crore has been sanctioned for 17 towns.

(d) Governments of Uttar Pradesh, Karnataka, Punjab, Chhatisgarh, Madhya Pradesh, Rajasthan, Lakshadweep, Puducherry and Kerala have given exemption to Waqf Board properties from Rent Control Act, while Arunachal Pradesh and Nagaland have informed that no Waqf property exists in these States.

3.9 Ministry of Labour and Employment :

An Act has been passed by the Parliament for providing social security to workers in the un-organized sector, which, inter- alia, includes home based workers.

3.10 Ministry of Culture :

Meetings of circles of Archeological Survey of India have been held with State Waqf Boards to review the list of waqf properties which are under the Archeological Survey of India.

3.11 Ministry of Health and Family Welfare :

Dissemination of information regarding health and family welfare schemes is being undertaken in regional languages in minority concentration areas.

3.12 Ministry of Panchayati Raj:

State Governments have been advised by Ministry of Panchayati Raj and Ministry of Urban Development to improve representation of minorities in local bodies.

As per information furnished by Ministry of Panchayati Raj, the States/UTs of Uttarakhand, Kerala, West Bengal and Lakshadweep have mentioned that provisions for ensuring representation of minorities in District and Panchayat level exist. The State Governments of Himachal Pradesh and Orissa have informed that the matter is under consideration.

Ministry of Urban Development has informed that the State Governments of Kerala, West Bengal and Haryana have implemented the guidelines.

3.13 Ministry of Information & Broadcasting :

The Ministry of Information & Broadcasting has been regularly releasing features of various themes associated with minority welfare covering issues such as scholarship schemes and initiatives taken in pursuance of the Sachar Committee Report.

CHAPTER 4

IDENTIFICATION OF MINORITY CONCENTRATION DISTRICTS (MCDs)

4.1 In 1987, a list of 41 minority concentration districts was drawn up based on a single criterion of minority population of 20 percent or more in a district as per 1971 Census for enabling focused attention of government programmes and schemes on these districts.

4.2 In order to ensure that the benefits of schemes and programmes of government reach the relatively disadvantaged segments of society, it was decided to identify districts on the basis of minority population of Census 2001 and backwardness parameters. A fresh exercise was, therefore, carried out based on population figures and the following backwardness parameters of 2001 Census:

Religion-specific socio-economic indicators at the district level:

(i) literacy rate;

(ii) female literacy rate;

(iii) work participation rate; and

(iv) female work participation rate.

Basic amenities indicators at the district level :

(i) percentage of households with pucca walls;

(ii) percentage of households with safe drinking water;

(iii) percentage of households with electricity; and

(iv) Percentage of households with water closet latrines.

4.3 Although female literacy and work participation are included in the overall literacy and work participation rates, these are important enough to be considered separately as they constitute independent indicators of the level of development, especially gender equity.

4.4 The process of identification of minority concentration districts has been carried out as follows:-

(i) (a) Districts with a 'substantial minority population' of at least 25% of the total population were identified in 29 States/UTs.

(b) Districts having a large absolute minority population exceeding 5 lakh and the percentage of minority population exceeding 20% but less than 25% were identified in 29 States/UTs.

(c) In the six States/UTs, where a minority community is in majority, districts having 15% of minority population, other than that of the minority community in a majority in that State/UT were identified.

(ii) Thereafter, the position of these districts in terms of "backwardness" was evaluated against the two sets of socio-economic and basic amenities indicators. 90 Minority Concentration Districts(MCDs) having a substantial minority population, which are relatively backward and falling behind the national average in terms of socio-economic and basic amenities indicators, have been identified in 2007 based on population data and the backwardness parameters of 2001 Census. Out of the 90 minority concentration districts, 53 districts have been classified in category 'A'. Category 'A' districts fall behind in both socio-economic and basic amenities parameters. The remaining 37 districts fall under category 'B' of which 20 districts fall behind in socio-economic parameters and 17 districts in basic amenities parameters These have been classified as sub-category 'B1' and 'B2' respectively. The lists of these districts are in **Annexure IV-A, IV-B and IV-C.**

4.5 The Government while approving the identification of 90 MCDs directed for implementation of a special area development programme.

5.6 A baseline survey was assigned to the Indian Council of Social Science Research (ICSSR), New Delhi to identify the 'development deficit' of these districts. The survey has been carried out by the research institutes affiliated to ICSSR, New Delhi.

CHAPTER 5

SCHEME OF MULTI-SECTORAL DEVELOPMENT PROGRAMME (MsDP)

5.1 The programme aims at improving the socio-economic and basic amenities parameters for improving the quality of life of the people and reducing imbalances in the Minority Concentration Districts (MCDs) during the Eleventh Five Year Plan period. Identified 'development deficits' are addressed through a district specific plan for provision of better infrastructure for school and secondary education, sanitation, pucca housing, drinking water and electricity supply, besides beneficiary oriented schemes for creating income generating activities. Absolutely critical infrastructure linkages like connecting roads, basic health infrastructure, ICDS centers, skill development and marketing facilities required for improving living conditions and income generating activities and catalyzing the growth process are eligible for inclusion in the plan. The focus of this programme is on rural and semi-rural areas of the identified 90 MCDs.

5.2 The programme is implemented by the line departments/agencies assigned projects by the Department in the State/UT dealing with minority affairs/welfare. Panchayati Raj Institutions/urban local bodies would be involved in the implementation of the MsDP Plan wherever the mechanism is established. The State may, however, decide to execute the project through any qualified, reputed, experienced agency, including renowned and widely accepted NGOs, justification for which should be mentioned in the proposal.

5.3 Creation of new posts under this programme is strictly prohibited. It is the responsibility of the State Government/UT administration to ensure that staff required for operationalization of assets proposed to be created under this programme is already available or will be provided by them.

5.4 There would be no change in guidelines of any existing Central or Centrally Sponsored Scheme under implementation in the said district for which this scheme provides additional funds. As far as possible, the focus of the programme is on providing appropriate social and economic infrastructure rather than targeting individual beneficiaries. In case schemes for individual benefits are taken up under the programme, there will be no divergence from existing norms for selection of beneficiaries from the list of BPL families in the district, so that benefits from the additional funds flow to all BPL families and not selectively to families of minority communities.

5.5 A baseline survey was assigned to the Indian Institute of Social Science Research (ICSSR), New Delhi to identify the 'development deficits' of these districts. The survey has been carried out by the research institutes affiliated with the ICSSR.

5.6 Financial assistance are sanctioned to the State Government/UT administration concerned on 100% grant basis in suitable installments linked with the satisfactory progress made as per approved Multi-sectoral Development Plan. Funds under the programme are released to the States/UTs only against the approved district development plans. Once the proposal is approved for support by the Ministry of Minority Affairs, the first installment is released. The release is subject to a commitment from the State Government/UT administration that they will do the following:-

(a) Constitute the State Level Committee for implementation of the 15 Point Programme for the Welfare of Minorities, if not already done.

(b) Constitute the District Level Committee for implementation of the 15 Point Programme for the Welfare of Minorities, if not already done.

(c) Notify a department in the State/UT to deal with clear responsibilities for schemes of minority welfare.

(d) Set up a cell in that department exclusively to look after the implementation, monitoring, reporting and evaluation of this programme. This cell will be IT enabled.

(e) Ensure that the funds provided for the MCDs are additional resources for these districts and do not substitute State Government funds already flowing to the districts. To prevent diversion of funds from MCDs, the flow of funds to the district concerned in the previous year will be taken as a benchmark.

(f) Agree to provide the State share in such central schemes/programmes, which are being topped up, to saturate the requirement in the district.

(g) Agree to operate and maintain the physical assets created under this programme.

Monitoring mechanism

5.7 The State Level Committee and the District Level Committee constituted for implementation of the Prime Minister's new 15 Point Programme for the Welfare of Minorities under the chairmanship of the Chief Secretary and the Deputy Commissioner/Collector respectively also serve as Committees for this programme. The District Committee prepares the development plan for MCD. Both the District and State Level Committees ensure that there is no duplication of schemes, funds are not diverted,

the level of funding is not less than that of the previous year, and funds under this programme are adequate for implementation of the plan.

5.8 A 'MsDP Empowered Committee' in the Ministry of Minority Affairs appraises and approves the projects in the plans. The Empowered Committee also serves as the Oversight Committee at the Centre and monitors the implementation of the programme. The State Level Committee constituted for implementation of the Prime Minister's New 15 Point Programme for the Welfare of Minorities headed by the Chief Secretary also serves as the Oversight Committee at the State/UT to monitor the implementation of the programme.

Status of Implementation

5.9 The Multi-sectoral Development Programme was launched in 2008-09. Plans of all the 90 MCDs districts have been considered, of which 63 districts plans have been approved in full and 27 plans in part. An amount of ₹ 2588.34 crore was released since 2008-09 till 31st December, 2011. During the year 2011-12, ₹ 432.32 crore has been released to States/UTs up to 31st December, 2011.

The details of budgetary provisions, funds released and expenditure reported by the States/UTs for implementation of MsDP in MCDs since October, 2008 when funds were first released are given in the table below:-

(₹ In Crore)

Year	RE	Actual release by Ministry	Expenditure reported by State/UT	% of expenditure by Ministry	% of expenditure by States/UTs
2008-09	280	270.85	268.75	96.73	99.22
2009-10	990	971.94	687.77	98.18	70.76
2010-11	1327.32	913.23	282.02	68.80	30.88
2011-12 (upto 31st December, 2011).	1218.40	432.32	—	35.48	—
Total	**3815.72**	**2588.34**	**1238.54**	**67.83**	**47.85**

The States/UTs under the programme are required to submit photographs of the ongoing and completed works from earlier releases while making request for release of subsequent instalment of funds to the Ministry. Photographs of completed and ongoing projects for MCDs in respect of Arunachal Pradesh, Assam, A&N Island, Bihar, Haryana, Jharkhand, J&K, Karnataka, Kerala, Manipur, Maharashtra, Madhya Pradesh, Meghalaya, Orissa, U.P., Uttrakhand, and West Bengal, States have been received and the same are uploaded on the website of the Ministry.

Meeting chaired by Secretary, Minority Affairs to review implementation of OSMS and Multi-sectoral Development Programme with representatives of States / UTs held on 22nd September, 2011.

CHAPTER 6

PRE-MATRIC SCHOLARSHIP SCHEME

6.1 The Pre-matric scholarship scheme for students belonging to the Minority Communities was approved on 30th January, 2008. The objective of 'Pre-matric Scholarship Scheme' is to encourage parents to send their children to schools lighten their financial burden on their education and sustain their efforts to support their children to complete their education. This scheme was launched on 1st April, 2008 as a Centrally Sponsored Scheme (CSS) on a 75:25 fund sharing ratio between the Centre and States. 100% financial assistance is provided to Union Territories. The Scheme is implemented through the State Governments/ Union Territory Administrations.

6.2 Students with not less than 50% marks in the previous final examination, whose parents'/ guardians' annual income does not exceed ₹ 1.00 lakh, are eligible for award of the Pre-matric scholarship under the scheme. Not more two children in a family would be entitled to a scholarship under this scheme. Under the scheme 30% of these scholarships are earmarked for girl students. This can be utilized by boy students if adequate numbers of eligible girl students are not available, then the balance earmarked scholarships may be awarded to eligible boy students. Inter-se selection weightage is to be given poverty rather than marks.

6.3 Scholarship is provided for the entire course. However, maintenance allowance is given for a period not exceeding 10 months only in an academic year.

6.4 Distribution of Pre-matric scholarships to students belonging to the five notified minority communities viz. Muslim, Christian, Sikh, Buddhist and Parsi in States/UTs is done on the basis of population of minorities in the States/UTs of Census 2001.

6.5 An outlay of ₹ 1400 crores has been provided in the XI Five Year Plan to award 25 lakh scholarships during the plan period (2007-12). An amount of ₹ 319.80 crore was released and 29.23 lakh scholarships were awarded during the year 2011-12 upto 31st December, 2011. Of this 53.80% scholarships catered to girl students.

6.6 It has been a constant endeavour of the Ministry to improve transparency in scholarship schemes namely Pre-matric, Post-matric and Merit-Cum-Means based scholarships for this purpose, Frequently Asked Questions (FAQs) pertaining to each scholarship scheme has been uploaded on the website of the Ministry. Similarly, the list of scholarships awarded in the States/UTs are being uploaded on their websites. Hyperlinks

have been provided to the websites of the States/ Union Territories on the Ministry's website i.e. www.minorityaffairs.gov.in. The information on the Ministry's websites is regularly updated. To assist the students, a helpline (Tel. No. 011- 24364282) has been established which remains functional during the office hours.

6.7 The state-wise, community-wise achievement both physical and financial may be seen at **Annexure -V.**

CHAPTER 7

POST-MATRIC SCHOLARSHIP SCHEME

7.1 The scheme of Post-matric scholarship for students belonging to the minority communities was launched in November, 2007. The objective of 'Post-matric Scholarship Scheme' is to award scholarships to meritorious students belonging to economically weaker sections of minority communities so as to provide them better opportunity for higher education, increase their rate of attainment in higher education and enhance their employability. This is a Central Sponsored Scheme (CSS) with 100% central funding and is implemented through the State Governments/Union Territory Administrations. Scholarship is awarded for studies in India in a government higher secondary school/college including residential government higher secondary school/college and eligible private institutes selected and notified in a transparent manner by the State Governments/Union Territory Administrations concerned.

7.2 Students with not less than 50% in the previous year's final examination, whose parents'/guardians' annual income does not exceed ₹ 2 lakh are eligible for award of scholarship. In case sufficient number of girl students are not available, then eligible boy students are to be given these scholarships. Not more two children in a family would be entitled to a scholarship under this scheme. Not more two children in a family would be entitled to a scholarship under this scheme. Under the scheme 30% of these scholarships are earmarked for girl students. This can be utilized by boy students if adequate numbers of eligible girl students are not available, then the balance earmarked scholarships may be awarded to eligible boy students. Students from Below Poverty Line (BPL) families, having the lowest income shall be given preference in the ascending order.

7.3 Scholarship is provided for the entire course. However, maintenance allowance is given for a period not exceeding 10 months only in an academic year.

7.4 Distribution of Post-matric scholarships to students belonging to the five notified minority communities viz. Muslim, Christian, Sikh, Buddhist and Parsi in States/UTs is done on the basis of population of minorities in the States/UTs of Census 2001.

7.5 An outlay of ₹ 1150 crore has been provided for the 11th Five Year Plan to award 15 lakh scholarships during the plan period (2007-12). An amount of ₹ 248.12 crore was released to award 4.38 lakh scholarships during the year 2011-12 (upto 31.12.2011). Of this 55.65% catered to for girl students.

7.6 The state-wise, community-wise achievement both physical and financial is at **Annexure -VI.**

CHAPTER 8

MERIT-CUM-MEANS BASED SCHOLARSHIP SCHEME

8.1 The merit-cum-means scholarship scheme is a Centrally Sponsored Scheme launched in 2007. It is being implemented through State Governments/Union Territory Administrations. The entire expenditure is being borne by the Central Government. Scholarships are available for pursuing professional and technical courses, at graduate and post-graduate levels, in institutions recognized by appropriate authority Under the scheme 20,000 scholarships are proposed to be awarded every year in addition to the renewals.

8.2 30% of these scholarships are earmarked for girl students, which may be utilized by eligible boy students, if adequate number of eligible girl students are not available.

8.3 70 institutes for professional and technical courses have been listed in the scheme. Eligible students from the minority communities admitted to these institutions are reimbursed full course fee. A course fee of ₹ 20,000/- per annum is reimbursed to students studying in other institutions.

8.4 To be eligible, a student should have secured admission in any technical or professional institution, recognized by an appropriate authority. In case of students admitted without a competitive examination, students should have secured not less than 50% marks. The annual income of the family from all sources should not exceed ₹ 2.50 lakhs.

On-line Scholarship Management System (OSMS)

8.5 An Online Scholarship Management System (OSMS) for Merit-cum Means Based scholarship scheme has been introduced as a pilot project from the current financial year i.e. 2011-12. Depending on its success, the system would be extended to other scholarship schemes. Prior to launch of the project, a series of meetings were held with the States to conceptualize the scheme and reach a consensus. The work was entrusted to National Informatics Centre (NIC).

The dedicated website for online scholarship can be accessed through URL www.momascholarship.gov.in. A link to the same is also available in the website of this Ministry i.e. www.minorityaffairs.gov.in.

A total number of 1,05,046 online scholarship applications, of which 77,046 were for fresh scholarships and 28,000 for renewal.

The OSMS has proved to be useful both from the user and the stakeholder point of view.

It's user friendliness can be gauged from the fact that through this system, applications have been forwarded by students from across the country. An applicant can monitor the progress of his/her application form and this brings in transparency in the process. It also improves accountability as each application is accounted for and the reason for a decision can be traced to a stakeholder. Since Management Information System (MIS) is generated on real-time basis, the OSMS also helps in improving the process of monitoring.

Achievement

8.6 The financial and physical achievement since the inception of the Scheme and till 31st December, 2011 are as under:-

Year	**Target**	**No. of scholarships actually sanctioned**				**Amount (₹ In crore)**
		Fresh	**Renewal**	**Total**	**Scholarships released to female students (%)**	
2007-08 (launched)	20,000	17258	0	17258	5009(29.02%)	40.90
2008-09	35,000	17099	9096	26195	8660(33.06%)	64.73
2009-10	42,000	19285	16697	35982	11684(32.47%)	97.51
2010-11	55,000	19518	21538	41056	14077(34.29%)	108.75
2011-12*	55,000	19435	10144	29579	11259(38.06%)	81.29

* Figures as on 31st December, 2011. Detailed state-wise/community-wise achievement is at **Annexure- VII.**

CHAPTER 9

FREE COACHING AND ALLIED SCHEME

9.1 The "Free Coaching and Allied Scheme for the candidates belonging to minority communities" was launched by this Ministry w.e.f. 17.7.2007. It was modified w.e.f. 16.10.2008 for a wider coverage.

9.2 The objective of the scheme is to enhance skills and knowledge of students and candidates from minority communities to get employment in Government Sector/Public Sector Undertakings, jobs in private sector, and admission in reputed institutions in technical and professional courses at under-graduate and post-graduate levels and remedial coaching in such institutions to complete courses successfully.

9.3 Under the Scheme, financial assistance is provided to coaching institutes in Government and private sector for imparting free coaching/training to candidates belonging to minority communities.

9.4 To avail benefits under this scheme candidates/students should belong to a minority community. The annual income of parents/guardians from all sources should not exceed ₹ 2.50 lakh. Candidates/students should have the requisite educational qualifications for coaching training course they want to persue.

9.5 An outlay of ₹ 45 crore has been provided in the Eleventh Five Year Plan (2007-12) to cover 20,000 students. During the year 2011-12 (up to 31.12.2011), an amount of ₹ 4.00 crore was released to 2 institutes in 1 State benefitting 90 students. The Selection Committee of this Ministry has selected 61 institutes and decided on a number of 9350 students/candidates to benefit under the Scheme in financial year 2011-12. The release of Ist installment to all these institutes are under process.

9.6 All information pertaining to this Scheme is available on the website of this Ministry at www.minorityaffairs.gov.in.

9.7 The Table given below indicates types of coaching and financial assistance provided under the Scheme.

Sl. No.	Type of Coaching/ training/remedial coaching	Coaching/ training/ remedial coaching fee	Amount of Stipend per month
1.	Group 'A' Services	As fixed by the institute, subject to a maximum ceiling of ₹ 20,000/-	₹1500 /- for outstation candidates, ₹ 750/-for local candidates

2.	Group 'B' Services	As fixed by the institute, subject to a maximum ceiling of ₹ 15,000/-.	-Do-
3.	Group 'C' Services	As fixed by the institute, subject to a maximum ceiling of ₹ 10,000/-.	-Do-
4.	Entrance examination for technical/professional courses	As fixed by the institute, subject to a maximum ceiling of ₹ 20,000/-.	-Do-
5.	Coaching/Training for jobs in Private Sectors	As fixed by the institute, subject to a maximum ceiling of ₹ 20,000/-.	-Do-
6.	Remedial Coaching/Tuition for the students pursuing technical/professional courses	As charged by the institute where the student is admitted to pursue technical/ professional course, for the extra tuition classes.	Not Applicable
7.	Coaching for recruitment of constables and equivalent in police/security forces and railways. (For a period not exceeding five days)	At nominal rates, as proposed by the institute and fixed by the committee.	₹ 100/- per day for outstation candidates, ₹ 50/- per day for local candidates.

Secretary, Minority Affairs addressing representatives of States / UTs at the meeting held to review implementation of the Online Scholarship Management System held on 17th December, 2011.

CHAPTER 10

RESEARCH/STUDIES, MONITORING and EVALUATION OF DEVELOPMENT SCHEMES INCLUDING PUBLICITY

10.1 The Central Sector Scheme of Research/Studies, Monitoring and Evaluation of Development Schemes including Publicity, launched in November, 2007 provides for professional charges to institutions/organizations to undertake purposeful studies on the problems and requirement of minorities including surveys and concurrent monitoring of the schemes of this Ministry.

10.2 The scheme also provides for a multi-media campaign using the print, broadcast and electronic media as well as outdoor publicity for dissemination of information to generate awareness relating to various schemes and programmes for the welfare of minorities.

10.3 An MoU was signed with National Productivity Council (NPC) to monitor the schemes of the Ministry through National Level Monitors. This has been executed by NPC.

10.4 Indian Institute of Public Administration (IIPA) which was assigned special study on Low Representation of Muslims in the Ministry of Railways and Department of Posts. The Final Report has been submitted.

10.5 ICSSR has been entrusted with the evaluation study on scholarship schemes run by Ministry of Minority Affairs. This study has been conducted in 14 districts in 14 States/U.Ts. MsDP has been evaluated in 24 districts in 17 States. Final report will be published/posted on the website of the Ministry after comments of other Ministries and experts are received.

10.6 Advertisements on schemes of the Ministry were released in 138 English, 190 Hindi, 455 Urdu and 306 in other languages during the March, 2011 to December, 2011. The objective was to reach the people and make them aware of the programmes/Schemes of the Ministry.

10.7 Five Radio jingles were broadcasted through All India Radio in National News, Vividh Bharati, FM and Regional Stations from 13.6.2011 to 20.8.2011 in the first phase. The second phase campaigning through AIR has started from 15.12.2011. 27 North Eastern Stations have also been included in this phase.

10.8 Doordarshan has telecast five video spots in Hindi and in vernacular languages on National Network (DD-1), DD News, DD-Bharti, DD-Sports and Regional Kendras channels

from 10th Feb, 2011 to 22nd March, 2011 on various schemes of the Ministry and again from 15.7.2011 to 07.10.2011.

10.9 To carry out vigorous media campaign for greater awareness among the masses, the budgetary support for media was enhanced to ₹ 32 crore as against allocation of ₹ 18 crore during FY 2010-11. FAQs, Posters and Leaflets were got printed English, Hindi, Urdu and other languages through DAVP for mailing it to the 20,000 addresses in selected areas including schools in the Minority Concentration Districts (MCDs).

10.10 The aim is to achieve wider coverage of the Ministry's activities so that target groups are reached in MCDs and in remote areas.

CHAPTER 11

IMPLEMENTATION OF MINORITIES WELFARE PROGRAMMES/SCHEMES IN NORTH-EASTERN STATES AND SIKKIM

11.1 The Ministry has been allocated an outlay of ₹ 2850 crore in B.E. 2011-12 for various plan schemes which has been reduced to ₹ 2750 crore in R.E. 2011-12.

The scheme-wise earmarked allocation for North Eastern States and Sikkim is given below :-

Sl. No.	Name of Schemes	Amount Earmarked (₹ In Crore)	
		BE 2011-12	RE 2011-12
1.	Free Coaching & Allied Schemes for Minorities	1.50	1.50
2.	Grant-in-aid to State Channelising Agencies (SCA) engaged for implementation in NMDFC programme	0.20	0.20
3.	Research/studies, monitoring & evaluation of development Schemes, for Minorities including publicity (Professional Services)	0.30	0.30
4.	National Fellowship for Students from the Minority Community	5.00	5.00
5.	Computerisation of records of State Waqf Boards	0.20	0.02
6.	Scheme for Leadership Development of Minority Women	1.50	0.01
7.	Pre-Matric Scholarships for Minorities	60.00	60.00
8.	Post-Matric Scholarships for Minorities	45.00	45.00
9.	Multi Sectoral Development Programme for Minorities in selected minority concentration districts	140.80	138.00
10.	Merit-cum-Means scholarship for professional and technical courses of undergraduate and post-graduate	14.00	14.00
11.	Contribution to the Equity of NMDFC	11.50	11.50
	Total	**280.00**	**275.53**

11.2 NMDFC gives special focus to availability of credit to the Minorities residing in North Eastern Region. NMDFC schemes are operational in the North Eastern States through SCA with the exception of Arunachal Pradesh, Meghalaya and Sikkim. Under Term Loan & Micro credit schemes, out of ₹ 1750.07 Crores provided to the minorities all over the country till 31/12/2011, the share of North Eastern States has been ₹126.51 Crores (7.22%) for 41,433 beneficiaries. In the current year out of total allocation of ₹ 352.52 Crores in the country, an allocation of ₹ 33.70 Crores (9.55%) has been made for the North Eastern Region and up to 31st December 2011, an amount of ₹ 6.50 Crores has been released.

CHAPTER 12

GRANT IN-AID SCHEME TO STATE CHANNELISING AGENCIES OF NATIONAL MINORITIES DEVELOPMENT & FINANCE CORPORATION

12.1 The National Minorities Development & Finance Corporation implements its schemes through the State Channelising Agencies (SCAs). These are agencies so designated by the concerned State Governments which identify the beneficiaries, channelise the lendings and also make recoveries from the beneficiaries. However, most of the State Channelising Agencies have a very weak infrastructure leading to a weak delivery system. Consequently, the performance and the ambit of coverage of NMDFC may not improve unless the infrastructure of these agencies is improved.

12.2 The Ministry launched a scheme of Grants-in-Aid for improvement of the infrastructure of the SCAs during 2007-08. Under the scheme, 90% of the expenditure is to be borne by the Central Government and the State Government make matching contribution of 10%. Out of ₹ 4 crore sanctioned for this scheme for the financial year 2010-11, ₹ 3.83 crore was released. For 2011-12, ₹ 2.00 crore has been sanctioned under the scheme and proposals for release are being considered.

CHAPTER 13

COMMISSIONER FOR LINGUISTIC MINORITIES

13.1 The Office of the Commissioner for Linguistic Minorities (CLM) was established in July, 1957, in pursuance of the provision of Article 350-B of the Constitution, which came into existence as a result of the Constitution (7th Amendment) Act, 1956 consequent upon the recommendations of the States Reorganization Commission. As per Article 350-B, it shall be the duty of the CLM to investigate all matters relating to the safeguards provided for the linguistic minorities in India under the Constitution and report to the President upon these matters at such intervals as the President may direct, and the President shall cause all such reports to be laid before each House of Parliament and sent the Government/ Administrations of the States/UTs concerned. The CLM has its headquarters at Allahabad with three Zonal Offices at Belgaum, Chennai and Kolkata. The CLM takes up all the matters pertaining to the grievances arising out of non- implementation of the Constitutional provisions and Nationally Agreed Scheme of Safeguards provided to linguistic minorities at the highest political and administrative levels of the State Governments and Union Territory Administrations and recommends remedial action. So far, 47 Reports of the CLM have been laid in Parliament and the 48th Report is under preparation.

13.2 Under the Constitution of India, certain safeguards have been granted to the religious and linguistic minorities. Articles 29 and 30 of the Constitution seek to protect the interests of minorities and recognize their right to conserve their distinct language, script or culture and to establish and administer educational institutions of their choice. Article 347 makes provision for presidential direction for official recognition of any language spoken by a substantial proportion of the population of a State or any part thereof for such purpose as the President may specify. Article 350 gives the right to submit representation for redress of grievances to any authority of the Union or a State in any of the languages used in the Union/States. Article 350 A provides for instruction in the mother tongue at the Primary stage of education to children belonging to linguistic minority groups. Article 350-B provides for a Special Officer designated as Commissioner for Linguistic Minorities to investigate all matters relating to the safeguards provided for linguistic minorities under the Constitution.

13.3 The present Commissioner for Linguistic Minorities is Shri Nandlal Jotwani, Wing Commander (Retd.)

13.4 The 47th Report of the Commissioner for Linguistic Minorities has been laid on the table of the Lok Sabha and the Rajya Sabha on 18.08.2011 and 29.08.2011 respectively.

13.5 To promote and preserve linguistic minority groups, the Ministry of Minority Affairs has requested the State/UT Governments to give wide publicity to the constitutional

safeguards provided to linguistic minorities and to take necessary administrative measures. The State/UT Governments were urged to accord priority to the implementation of the scheme of safeguards for linguistic minorities. CLM launched a 10 point programme to lend fresh impetus to Government efforts towards the preservation of the language and culture of linguistic minorities.

13.6 The Commissioner for Linguistic Minorities organized the National Conference cum Workshop of Nodal Officers' on Monday, February 21, 2011 at Govind Ballabh Pant Social Science Institute, Allahabad wherein the importance of the mother languages in imparting education and promotion of the minority languages in India was duly emphasized.

13.7 Hindi Diwas was organized on 14th September, 2011 in the office of the CLM.

13.8 The CLM participated in the XIX Annual General Meeting of National Council for Promotion of Urdu Languages on 3rd October, 2011 at India International Centre, New Delhi.

13.9 The CLM addressed the functionaries of the Minority Languages Academies on 18.10.2011 at the Delhi Secretariat.

13.10 The CLM delivered the Keynote Address in an International Seminar on "Revisiting & Emphasizing Tagore's Pioneering Contribution on Gender Inequalities" organized by Maathru Bhoomi Foundation and sponsored by Ministry of Culture Government of India on 23rd October, 2011 at New Delhi.

13.11 The CLM participated in the Meetings of the Sub-group, Working Group and the Steering Committee constituted by the Planning Commission, Government of India on 'Empowerment of Minorities' for formulation of the 12th Five Year Plan (2012-17) for the Ministry of Minority Affairs.

CHAPTER 14

NATIONAL COMMISSION FOR MINORITIES

14.1 In January, 1978, the Government of India vide an executive order, set up a "Minorities Commission" to safeguard the interests of the minorities. With the enactment of the National Commission for Minorities Act, 1992, the Minorities Commission became a statutory body and was renamed as the "National Commission for Minorities".

14.2 The first statutory commission was constituted on 17th May, 1993. The Government of India vide Notification dated 23rd October, 1993 notified five religious communities viz. Muslims, Christians, Sikhs, Buddhists and Zoroastrians (Paris) as minority communities under Section 2 (c) of the NCM Act, 1992.

14.3 In terms of Section 3(2) of NCM Act, 1992, the Commission shall consist of a Chairperson, a Vice Chairperson and five members to be nominated by the Central Government from amongst persons of eminence, ability and integrity provided that five members including the Chairperson shall be from amongst the minority communities. In accordance with Section 4(1) of the NCM Act, 1992, each member including the Chairperson shall hold office for a period of three years from the date of assumption of office.

14.4 The main functions of the Commission are to evaluate the progress of the development of minorities, monitor the working of the safeguards provided in the Constitution and in the laws enacted by the Central Government/State Governments for the protection of the interests of the minorities and look into specific complaints regarding deprivation of the rights of minorities. It also causes studies, research and analysis to be undertaken on the issues relating to the socio- economic and educational development of minorities and make recommendations for the effective implementation of the safeguards for the protection of the interests of minorities.

14.5 The present Commission consists of the following persons:-

1.	Shri Wajahat Habibullah	Chairperson
2.	Dr. H.T. Sangliana	Vice-Chairperson
3.	Smt. Spalzes Angmo	Member (tenure ended on 5.3.2012)
4.	Shri Harvendra Singh Hanspal	Member (tenure ended on 5.3.2012)
5.	Shri Vinod Sharma	Member
6.	Ms. Syeda Bilgrami Imam	Member
7.	Shri Keki N. Daruwalla	Member

14.6 The National Commission for Minorities, in accordance with section 12 of the National Commission for Minorities Act, 1992, prepares and submits its Annual Report to the Ministry. In accordance with Section 13 of the NCM Act, 1992, the annual report of the Commission, together with a memorandum of action taken on the recommendations contained therein, in so far as they relate to the Central Government, and the reasons for non-acceptance, if any, of any such recommendation, is to be laid before each House of Parliament. Recommendations pertaining to various State Governments/Union Territory Administrations are forwarded to them for taking necessary action in accordance with section 9(3) of the NCM Act, 1992.

14.7 Till the 31st December, 2011, fourteen (14) Annual Reports of erstwhile Minorities Commission for the period 1978-79 to 1992-93 and seventeen (17) Reports of the statutory Commission for the years 1993-94 to 2009-10 have been laid in Parliament. The first three Annual reports of the National Commission for Minorities, along with the Action taken Memoranda, were laid in both the Houses of Parliament before this Ministry was created. After the creation of this Ministry, thirteen Annual Reports along with Action Taken Memoranda on recommendations contained therein, were tabled in Parliament.

14.8 State Governments of Andhra Pradesh, Assam, Bihar, Chhatisgarh, National Capital Region of Delhi, Jharkhand, Karnataka Maharashtra, Madhya Pradesh, Rajasthan, Uttar Pradesh Tamil Nadu and West Bengal have set up statutory State Minorities Commissions. The State Governments of Manipur and Uttarakhand have set up non-statutory Commissions. The Ministry has also requested the remaining State Governments/Union Territory Administrations to set up such Commissions.

14.9 The Constitution (One Hundred and Third Amendment) Bill, 2004, to confer constitutional status on the National Commission for Minorities and the National Commission for Minorities (Repeal) Bill, 2004 were introduced in the Lok Sabha in December, 2004. It was referred to the Standing Committee of Parliament. The Committee in its report had recommended that the Government should keep in view the observations made by the Supreme Court, in the case of Bal Patil Vrs UOI in its entirety, while finalizing the Constitution One Hundred and Third (Amendment) Bill, 2004.

14.10. The Supreme Court of India in its judgment on this case delivered on 08/08/2005, inter-alia, held:

"Henceforth, before the Central Government takes decision on claims of Jains as a 'minority' under Section 2(c) of the Act, the identification has to be done on a state basis."

In light of the above judgement, the report of the Standing Committee was examined in consultation with various other Ministries including the Ministry of Law & Justice. Thereafter official amendments to the Bill were prepared. Notice for moving official amendments, and for consideration and passing of these Bills, was initially given to the Lok Sabha on 11.05.2007. This lapsed with the conclusion of the Budget Session, 2007.

In the meantime certain representations were received expressing concern on proposed official amendments to the Constitution (One Hundred and Third Amendment) Bill, 2004. These representations were examined in consultation with the Ministry of Law and Justice. After consideration of representations notice for moving official amendments, and for consideration and passing of these Bills, was once again given to the Lok Sabha on 05.02.2009. However, with the dissolution of the 14th Lok Sabha, this notice could not be taken up and both these Bills together with the official amendments lapsed.

The petitioners in the Bal Patil case had filed a review petition in the Supreme Court. In the meantime, in September, 2010, this stands referred to a three judge bench of the Supreme Court. All these legal issues are at present under examination.

CHAPTER 15

WAQF ADMINISTRATION AND CENTRAL WAQF COUNCIL

15.1 Ministry of Minority Affairs is responsible for implementation of the Wakf Act, 1995, (erstwhile The Wakf Act, 1954) which came into force with effect from 1st January, 1996. The Act extends to whole of India except the State of Jammu and Kashmir. Thirty States have constituted Waqf Boards under this Act, excluding J & K, which has its own Act. List of States Waqf Boards constituted under the Wakf Act, 1995 is at **Annexure -VIII.**

Scheme for computerization of the records of the State Waqf Boards

15.2 The Waqf properties are spread out all over the country but effective survey of waqf properties has not been carried out in most States. There is scope for large scale development of waqf properties to ensure substantial income for the welfare schemes of the community.

15.3 The Joint Parliamentary Committee on Waqf in its 9th Report recommended computerization of the records of the State Waqf Boards.

15.4 In order to streamline record keeping of the waqf lands, introduce transparency and social audit and to computerize the various functions/processes of the Waqf Boards and to develop a single web based centralized application, computerization of the records of the State Waqf Boards with the help of Central financial assistance to these Boards, including that of J & K was recommended by Joint Parliamentary Committee on Waqf. The proposal was approved on 25th November, 2009.

15.5 The broad objectives of the scheme for computerization and Management of Waqf properties are as follows:-

Properties Registration Management.

Muttawalli Returns Management.

Leasing of Properties Management.

Litigations Tracking Management.
Documents Archiving & Retrieval Management.

GIS of Waqf Properties. Funds Management to Mosques, Durgah, Kabristan, Imams, Muazzins, widows, girls marriages, scholarships, schools, hospitals, dispensaries, musafirkhanas, skill development centres etc.

Loans Management for development of Urban Waqf properties.

15.6 The scheme of computerization is to be applicable uniformly across all the 29 State Waqf Boards including Waqf Board of Jammu & Kashmir, making a special request for funding subject to availability of funds. The project also encompasses a handholding support period of 2 years with minimal financial support to hire some computer personnel by State Waqf Boards to stabilize the new system and train Waqf Board officials. An amount of ₹ 12.03 crore has been released under the scheme to 26 SWBs, CWC & NIC. The Central Computing Facility has been set up in 19 SWBs and data entry in the WAMSI software is in progress. About 76,000 wakf records have been entered in the Wakf Registration Module. Preparation for digitization of about 40,000 wakf records has also been completed. In the remaining 7 SWBs the setting up of the Central Computing Facility is nearing completion.

Central Wakf Council

15.7 The Central Wakf Council, a statutory body under the aegis of the Ministry of Minority Affairs (Government of India) was established in December, 1964, under the provision of Section 8A of the Wakf Act, 1954 (now read as sub-section 1 of the section 9 of the Wakf Act, 1995) for the purpose of advising the Government of India on matters pertaining to working of the State Wakf Boards and proper administration of the Wakf in the country. The Union Minister of Minority Affairs is the Ex-officio Chairperson of the Central Wakf Council. The council has been re-constituted with 20 members on 12.02.2011 & 01.11.2011

15.8 Apart from taking up the issues as per the objectives of the Council, it has also been participating in the development process of the society by way of implementing the following schemes:

(i) Schemes for Development of urban waqf Properties:

With a view to protect vacant waqf land from encroachers, and to augment the resources of the waqfs for enlarging the welfare activities, the Central Wakf Council has been implementing a non-Plan scheme as captioned above with yearly grant-in-aid from the Central Government since 1974-75. Under the scheme, loan is extended to various waqf institutions in the country for taking up economically viable buildings on the waqf land like commercial complexes, marriage halls, hospitals, cold storage etc. Under the scheme the Govt. of India has released total grant-in-aid amounting to ₹ 35.84 crore since inception up to December, 2011. An amount of ₹ 1.19 crore was earmarked during 2011-12 under the scheme and out of which ₹ 1.18 crore has been released to Central Wakf Council.

The grant released by the Ministry of Minority Affairs has been utilized by the CWC for sanctioning of loans for eight development projects.

(ii) Minor Projects:

The loan amount disbursed by the Council to the waqf institutions in repayable in 20 half yearly installments with a moratorium of two year. The amount thus repaid forms a revolving fund of the Council, which is again utilized for the Minor Projects on the waqf land. Under this scheme, the Council had advanced the loan amounting to ₹ 4.97 crores to 90 projects since 1986-87 out of which 68 projects have so far been completed and work on 22 projects is in progress.

(iii) Educational Schemes:

The grants-in-aid received by the Central Waqf Council is released to the waqfs in the form of interest free loans for the development of urban waqf properties. While the Council bears the entire expenditure on the staff working in the Scheme as well as other expenses, the council receives 4% donation (up to 31st December, 2009 the donation was 6%) for its Education Fund, from the loanee waqfs on reducing balance till the loan is repaid. The Education Fund of the Council is formed out of this donation. Moreover, the interest accrued on the Bank deposits of the Revolving Fund (meant for financing Minor Schemes) is also credited to the Education Fund. Thus, out of this Education Fund, the Council is running various educational programmes, which include establishment of I.T.I.s etc. The Education and Women Welfare Committee of the Council examines all the cases received under the scheme and makes recommendations accordingly.

During the year 2011-12, (upto December, 2011) a grant of ₹ 41.60 lakhs was released as grants-in-aid for financial assistance to ITIs, Vocational Training Centres, book banks/ libraries and providing matching grants to State Wakf Boards for scholarships.

(iv) In-service training to the staff of the State Wakf Boards

The necessity for in-service training to the staff of State Wakf Boards had always been felt. The Central Wakf Council after realizing the importance of having such training decided to launch this programme in collaboration with RCVP Noronha Academy of Administration and Management, Bhopal, which is functioning since 1966 as a focal point of all training activities in the State of Madhya Pradesh and has staff, infrastructure and other facilities for the purpose. It would be a regular programme to be organized off and on every year on various aspects of Wakf Management and the problem faced by the Board Officials in their day-to-day activities.

Accordingly, the Council had financed and organized a training programme of three days each at RCVP Noronha Academy of Administration and Management, Bhopal on 26th-28th September, 2011.

CHAPTER 16

THE DURGAH KHWAJA SAHAB ACT, 1955

16.1 The Durgah of Khwaja Moin-ud-din Chishti at Ajmer in Rajasthan is a waqf of international fame. The Durgah Khwaja Saheb Act, 1955, provides for the administration, control and management of the Durgah Endowment of the Durgah Khwaja Moinuddin Chishty (R.A.). Under this Central Act the administration, control and management of the Durgah Endowment has been vested in a representative Committee known as the Durgah Committee appointed by the Central Government. The said Act and Bye Laws are available on the website: www.gharibnawaz.in

Administration of Durgah Khawaja Saheb Act, 1955

16.2 The Durgah of Khawaja Moin-ud-din Chishti at Ajmer in Rajasthan is of international fame. The Durgah is being administered under the Durgah Khawaja Saheb Act, 1955. The administration, control and management of the Durgah Endowment vests in the Durgah Committee. A new committee of the Durgah was constituted on 24th August, 2007. At present the following are the members of the Committee:

1.	Janab Prof. Sohail Ahmad Khan	President
2.	Janab Badruddin Ghulam Mohiyuddin Sheikh	Vice President
3.	Janab A.H. Khan Choudhury	Member
4.	Janab Ghole Ismail Muallim	Member
5.	Janab Prof. (Dr.) Ibraheem	Member
6.	Janab Hafiz Vakil Ahmed Sahab	Member
7.	Janab Mohammed Ilyas Qadri	Member
8.	Janab Nawab Mohammed Abdul Ali	Member
9.	Janab Mohammed Suhel Mohiyuddin Tirmizi	Member

16.3 **Powers and Duties of the Durgah Committee**

- To administer, control and manage the Durgah Endowment.
- To keep the buildings within the boundaries of the Durgah Sharif and all buildings, houses and shops comprised in the Durgah Endowment in proper order and in a state of good repair.

- To receive all moneys and other income of the Durgah Endowment.
- To see that the Endowment funds are spent in the manner desired by the donors.
- To pay salaries, allowances and perquisites and make all other payments due out of, or charged on, the revenues or income of the Durgah Endowment.
- To determine the privileges of the Khadims and to regulate their presence in the Durgah by the grant of them licenses in that behalf, if the Committee thinks it necessary so to do.
- To determine the powers and duties of the Advisory Committee.
- To determine the functions and powers, if any, which the Sajjadanashin may exercise in relation to the Durgah.
- To appoint, suspend or dismiss servants of the Dargah Endowment.
- To make such provision for the education and maintenance of the indigent descendants of Khawaja Moin-ud-din Chishti and their families and the indigent Khadims and their families residing in India as the Committee considers expedient consistently with the financial position of the Durgah.
- To delegate to the Nazim such powers and functions as the Committee may think fit.
- To do all other such things as may be incidental or conducive to the efficient administration of the Durgah.

16.4 **Management of Urs and Congregations:**

The Annual Urs in June, 2011 and Mini Urs (Muharram) in December, 2011 were arranged successfully. Infrastructural arrangements were made by the Durgah Committee, Government of Rajasthan and the district administration, Ajmer.

The Ministry is working in close collaboration with the Government of Rajasthan and the Ministries of Tourism and Urban Development of Government of India for the development of Durgah, Ajmer for celebration of 800th Urs which is likely to be held in May, 2012.

CHAPTER 17

NATIONAL MINORITIES DEVELOPMENT AND FINANCE CORPORATION (NMDFC)

17.1 The National Minorities Development & Finance Corporation (NMDFC) was incorporated on 30th September, 1994, with the objective to promote economic and developmental activities for backward sections among minorities. To achieve its objective, NMDFC is providing concessional finance for self-employment activities to eligible beneficiaries belonging to minority communities having family income below double the poverty line which at present is ₹ 55,000 p.a. and ₹ 40,000 p.a. in urban and rural areas respectively.

17.2 NMDFC has two channels to reach the ultimate beneficiaries (i) through the State Channelising Agencies (SCAs) nominated by the respective State/UT Government and (ii) through Non Governmental Organizations (NGOs). Under SCA programme, projects costing up to ₹ 5.00 lakhs to the individual beneficiaries are financed. Funds for this purpose are made available to the SCAs at interest rate of 3% for further loaning to the beneficiaries at 6%. The Corporation is also implementing schemes of Vocational Training & Educational Loan through the SCAs for capacity building of the target groups for self as well as wage employment.

17.3 Under micro financing scheme, micro-credit up to ₹ 25,000 is being given to each of the members of the Minority Self Help Groups (SHGs) through the NGOs. Funds for this purpose are made available to the NGOs at 1 % for further loaning at an interest rate of 5% per annum. In addition to loaning activity, NMDFC assists the targeted group in training for skill upgradation and marketing assistance. Under NGOs programme, there is also a provision of interest free loan (adjustable as grant) for promotion and stabilization of SHGs.

17.4 NMDFC is implementing the Educational Loan Scheme through the State Channelizing Agencies. Under this scheme, NMDFC provides ₹ 2,50,000 to the candidates belonging to minority communities at a concessional interest rate of 3% p.a. for pursuing professional and technical education.

17.5 To implement its programmes, NMDFC has authorized share capital of ₹ 1500 crores out of which, the share of Govt. of India is ₹ 975.00 crores (65%) and the share of State Govts. is ₹ 390.00 crores (26%) while the remaining ₹ 135.00 crores (9%) is to be contributed by institutions/individuals having interest in minorities. Govt. of India has so far contributed ₹ 875.36 crores (89.78%) in the equity of NMDFC while ₹ 193.79 crores (49.69%) has been contributed by the various State Governments/UTs. An amount of ₹ 55000 has been contributed by institutions/individuals having interest in minorities.

17.6 Under SCA programme since inception till 31/12/2011, NMDFC has given Term Loan assistance to 3,65,111 beneficiaries spread over twenty five States and three Union Territories with an amount of ₹ 1478.91 crore. In 2011-12 (up to 31st December, 2011) an amount of ₹ 194.23 crore has been disbursed to 14,445 beneficiaries.

17.7 Micro Financing is being implemented by NMDFC since 1998-99 initially through NGOs. Later, SCAs were also involved in implementation. Since inception till 31st December, 2011, disbursement to the tune of ₹ 275.91 crore has been made under the micro financing scheme for 3,65,656 beneficiaries. In the current financial year (2011-12) up to 31st December, 2011, micro-credit loan of ₹ 34.00 crore has been disbursed to NGOs/ SCAs for 18889 beneficiaries.

17.8 Till 31st December, 2011, since inception NMDFC has disbursed a consolidated amount of ₹ 1750.109 crore benefiting 7,30,767 beneficiaries under the above two programmes. During the current financial year till 31st December, 2011 a consolidated amount of ₹ 128.239 crore has been disbursed for assisting 33,337 beneficiaries.

17.9 A scheme for giving grants-in-aid to State Channelising Agencies for strengthening of their infrastructure had been launched by the Ministry of Minority Affairs during 2007-08. Assistance is being provided for awareness campaigns, improvement in delivery systems, training of manpower, debt recovery etc. Under the scheme, 90% of the expenditure is borne by the Central Government and the State Governments have to make contribution of 10%. Out of ₹ 4 crore sanctioned for this scheme for the financial year 2010-11, ₹ 3.83 crore was released. For 2011-12, ₹ 2 crore have been sanctioned for this scheme.

17.10 The Annual Report and audited Accounts of the NMDFC for the year 2010-11 was laid in the Lok Sabha on 21st December, 2011 and in the Rajya Sabha on the 19th December, 2011.

17.11 A consultancy firm which was appointed to study and work out the details for restructuring of NMDFC has submitted its Reports which are being examined in the Ministry.

Inauguration of new office premises of the National Minorities Development and Finance Corporation by Minister of Minority Affairs in the presence of Minister of State, Minority Affairs on 27th May 2011.

CHAPTER 18

MAULANA AZAD EDUCATION FOUNDATION

18.1 The Maulana Azad Education Foundation (MAEF) was established in 1989 as a voluntary, non-political, non-profit making society registered under the Societies Registration Act, 1860.

18.2 The main objectives of MAEF are to formulate and implement educational schemes and plans for the benefit of the educationally backward minorities in particular and weaker sections in general, to facilitate establishment of residential schools, especially for girls, in order to provide modern education to them and to promote research and encourage other efforts for the benefit of educationally backward minorities.

18.3 The General Body of the Foundation has 15 Members - six Ex-Officio Members and nine nominated members. The latter are nominated by the President of the Foundation - Union Minister for Minority Affairs is the Ex-Officio President of the Foundation - for a period of three years.

18.4 The Schemes of the Foundation are mainly of two types, Viz. Grants-in-aid to NGOs for construction and expansion of schools/hostels, technical/vocational training centres with emphasis on girl students and Scholarships to meritorious girl students. The various schemes run by the Foundation are as under:

(a) Financial assistance to establish/expand schools/residential schools/colleges;

(b) Financial assistance for purchase of laboratory equipment and furniture etc;

(c) Financial assistance for setting up/strengthening vocational/technical training centre/institutes;

(d) Financial assistance for construction of hostel buildings;

(e) Maulana Azad National Scholarships for meritorious girl students;

(f) Maulana Abdul Kalam Azad Literacy Awards.

18.5 The Foundation is implementing its schemes out of the interest earned on its Corpus Fund, which is its main source of income. The Corpus Fund has been provided to the Foundation as part of plan assistance. The Corpus fund, which stood at ₹ 100 crore in the year 2006-07 now stands at ₹ 700.00 crore.

18.6 The total approved plan outlay of ₹ 500 crore to augment the Corpus Fund of the MAEF during the 11th Plan period has already been released to the MAEF. An additional provision of ₹ 50 crore was made in the Budget Estimate for the year 2011-12. This would take the corpus to ₹ 750 crore .

18.7 Since its inception, MAEF has sanctioned ₹ 148.31 crores to 1137 NGOs throughout the country for construction/expansion of schools/colleges/girls hostels/polytechnics/ITIs and for the purchase of equipment/machinery/furniture etc and has distributed scholarships to 59303 girl students amounting to ₹ 68.99 crores. State-wise achievement details in respect of Grants-in-aid to NGOs are at A**nnexure-IX** and that of scholarship scheme is at **Annexure-X.**

18.8 In the year 2011-12 (up to 31st December 2011) the MAEF has sanctioned grants in aid to 139 NGOs amounting to ₹ 17.64 crore. Applications for scholarships to meritorious girl students are under process .

Steps Taken to Revamp the Organization

18.9 To ensure smooth functioning, increased accountability and transparency and to revamp system the following steps have been taken:-

(i) Recruitment Rules (RRs) of all the existing posts were finalized and notified during April, 2011.

(ii) A Senior Administrative Grade (SAG) level Officer of the Central Government has been posted on deputation, as Secretary to the Foundation to ensure better management and accountability.

(iii) All important information with regard to grants-in-aid to NGOs and scholarship to girl child are available in the website of MAEF i.e.www.maef.nic.in.

(iv) The resources of MAEF have been distributed in State wise manner in order to make sure that every State/UT is covered under the scheme and programme of the Foundations. Prior to 2008-09, no physical and financial targets were set by the MAEF for its Grants-in-aid scheme to NGOs. From the year 2008-09 the MAEF has started setting targets for this scheme.

(v) Review meetings on the schemes and programmes of MAEF are being held at periodic intervals at the level of Secretary, Ministry of Minority Affairs.

18.10 An evaluation cum asset verification study on the schemes and programmes of the Foundation was carried out by Indian Social Institute in 2009-10. Broadly, three agency, inter alia, recommended enhancement of corpus fund of MAEF, computerization of vital data, proper utilization of funds etc.

18.11 Based on these recommendations, the size of the corpus fund of the Foundation has been enhanced, the major activities in the organization have been computerized and monitoring and inspecting procedure has been streamlined.

CHAPTER 19

GENDER SPECIFIC ISSUES AND GENDER BUDGETING

19.1 Hon'ble Supreme Court in its judgments in the case of Vishaka Vs. State of Rajasthan (AIR 1997 SUPREME COURT 3011) laid down certain guidelines for instituting an anti-sexual harassment policy at the work place. Hon'ble Supreme Court stated that all employers and persons in charge of work place whether in public or in private sector, should take appropriate steps to prevent sexual harassment and without prejudice to the generality of this obligation, the organizations, be it public or private, should take certain steps to prevent and enquire any complaint based on sexual harassment received from the women workforce in the Ministry/Department/Organization.

19.2 In pursuance of the directions given by Hon'ble Supreme Court, an Internal Complaint Committee has been set up in the Ministry on 31.8.2009. This Committee is presently under re- constitution.

19.3 The Gender Budgeting Cell of the Ministry was re-constituted in December, 2010. The cell consists of two male and two lady officers. The cell is intended to bring about gender responsive budget in the Ministry. The Cell has held meetings to review the schemes /programmes of the Ministry to ascertain the flow of benefits to the women and girl beneficiaries. The Cell is supervised by the Joint Secretary (Administration) of the Ministry.

19.4 Three exclusive scholarship schemes for students belonging to the minority communities have been approved viz. a Merit-cum- means based scholarship scheme, a Post- matric scholarship scheme and a Pre-matric scholarship scheme. All three schemes provide for earmarking 30% of the available scholarships for girl students from the minority communities. Under the Merit-cum-means based scholarship scheme 32.47% and 34.29% of the scholarships sanctioned in the years 2009-10, 2010-11 respectively were awarded to girl students; under Pre-matric scholarship scheme, 50.89%, 48.47% and 48.21% of scholarships sanctioned for 2008-09, 2009-10 and 2010-11 respectively were awarded to girl students while 55.12%, 55.10% and 51.00% of scholarships sanctioned in 2008-09, 2009-10 and 2010-11 respectively were awarded to girl students under Post-matric scholarship scheme. In 2011-12 upto 31st December, 2011, the percentage of girl students awarded scholarships was as follows :

Pre-Matric Scholarship Scheme - 53.80%

Post Matric Scholarship scheme	-	55.65%
Merit-cum-Means based scholarship scheme	-	38.06%

Under one of the schemes of the Maulana Azad Education Foundation (MAEF) viz. award of scholarships to meritorious girl students, the MAEF has disbursed scholarships to 59303 girl students amounting to ₹ 68.99 crore up to 31st December 2011.

19.5 In view of the fact that women are the weakest link among minorities in the country, NMDFC provides special focus to the credit needs of women. It has been operating the micro financing scheme mainly focusing on poor minority women. The micro-financing scheme of NMDFC mainly aims on empowerment of women by way of meeting their credit needs in an informal manner through NGOs/SHGs. NMDFC has so far (up to 31/12/2011) assisted around 3,65,657 beneficiaries with micro credit of ₹ 271.19 crore, out of which over 90% of the beneficiaries are women.

19.6 Further, NMDFC has introduced the Scheme of Mahila Samridhi Yojana which links micro credit to the women after training. Under this scheme, women are provided skill development training for duration of six months followed by requisite micro credit up to ₹ 25000 with an interest rate of 4% p.a. for starting their income generation activities.

19.7 A scheme for Leadership Development of Minority women is implemented by the Ministry exclusively for women.

CHAPTER 20

RIGHT TO INFORMATION ACT 2005

20.1 In accordance with the provisions of Section 4(1) (b) of the Right to information Act, 2005 this Ministry has brought out a handbook for information and guidance of the general public. This is available at the Ministry's website www.minorityaffairs.gov.in. This provides information about the Ministry's organizational set-up, functions and duties of its officers and employees, records and documents available in the Ministry, etc. This also provides information about the schemes, projects and programmes being implemented by the Ministry and its various organizations.

20.2 To promote greater transparency and accountability, all the details, Frequently Asked Questions, Statistics of achievements under each scheme/Programme implemented by the Ministry are hosted on the website of the Ministry and updated regularly. Under the various scholarship schemes, the State Governments display the lists of the names of students awarded scholarships on their websites to which a hyperlink is provided in the website of the Ministry. Further under the MsDP, the States/UTs are required to submit photographs of the ongoing and completed works which are also hosted on the Ministry's website. The Ministry also has a dedicated helpline to provide information and address the doubts of beneficiaries about the schemes/programmes in the Ministry.

20.3 Because of the affirmative actions taken by the Ministry to bring about transparency, responsiveness and greater participation of civil society, the Cabinet Secretariat on 14th January, 2011 has requested all Secretaries of all Ministries/ Departments of the Government of India for adoption of the procedures implemented by the Ministry.

20.4 The Ministry of Minority Affairs has designated eight CPIOs and the three Joint Secretaries as Appellate Authorities under this Act. In 2011-12(upto 31st December, 2011), 257 applications and 14 appeals under the RTI Act were received and disposed of. A quarterly Report of status of RTI applications and appeals is sent to the Central Information Commissioner.

CHAPTER 21

POLICY DECISIONS AND ACTIVITIES UNDERTAKEN DURING THE YEAR FOR THE BENEFIT OF THE PERSONS WITH DISABILITIES

21.1 The Ministry of Minority Affairs came in to existence on 29th January, 2006 to ensure more focused approach towards the issues relating to the minorities and to facilitate the formulation of overall policy and planning, coordination, evaluation and review of regulatory framework and development programmes for the benefit of the minority communities. The Ministry has a small set up consisting of sanctioned strength of only ninety three officers and staff with one Secretary, three Joint Secretaries and one Joint Secretary-cum Financial Advisor (additional charge). The Ministry essentially is officer oriented and most of the middle level officers work on the Desk Officers' pattern.

21.2 Out of 93 sanctioned strength of officers/staff (most of which are filled from organized services) 64 posts have been filled up in the Ministry. Since inception of the Ministry only 3 posts of Peon have been filled up from open market and one post of Assistant Director has been filled by absorption of the officer on deputation. Rest of the posts have been filled up through short- term deputation. The benefits of reservation, therefore, could not be given to the persons with disabilities so far. Provisions regarding reservation for persons with disabilities will, however, be complied with during recruitment in future.

CHAPTER 22

GOVERNMENT AUDIT

22.1 The Audit paragraphs of the C & AG which have appeared in its various Reports laid in Parliament relating to the accounts and transactions of the Ministry and NMDFC together with their status as on date are shown in the table below :-

S. No.	Report No.	Paragraph number and subject	Action taken
1.	1 of 2008-09	8.13 Savings were more than the Supplementary Grant.	Draft Action Taken Notes have been sent to Director General of Audit, Central Revenues (Expenditure) for vetting on 14.6.2011. Despite several reminders vetted ATN has not been received so far.
2.	Proposed to be included in the next report of C & AG of India.	Thematic draft paragraph on "Fund Management" in Government companies the Companies Act, 1956	Reply sent to Principal Director of Commercial Audit and ex-officio Member, Audit formed under section 25 of Board-II, New Delhi.

CHAPTER 23

RESULTS-FRAMEWORK DOCUMENT, CITIZENS'/ CLIENTS' CHARTER AND GRIEVANCE REDRESSAL MECHANISM

23.1 Pursuant to the announcement made in the President's address to both Houses of Parliament on 4th June, 2009, the Prime Minister approved the outline of the Performance Monitoring and Evaluation System for the Government Departments on 11th September, 2009.

According to this system, each Department is required to prepare a Results Framework Document consisting of priorities set out by the Minister concerned, President's address and announcements, agenda as spelt out by the Government from time to time. This Ministry completed the preparation of its first RFD for the year 2009-10 on 30th November, 2009. This was the beginning of an exercise to bring about transparency and accountability in the Government with a shift from "reducing quantity of government" to "increasing quality of government".

Based on the evaluation of the performance of the Ministry during the year 2009-10, the Cabinet Secretariat has awarded the Ministry an overall composite score of 92.76% which was higher than the average composite score of 89.40 % for 59 Departments of the Government.

23.2 The Citizen's/Clients Charter of the Ministry for the year 2011-2012 which is Sevottam compliant and a mandatory requirement was prepared and uploaded on the Cabinet Secretariat's website on 2nd May, 2011. The RFD of the Ministry for the year 2011-12 has also been uploaded on the Cabinet Secretariat's website. The mid-term achievements under RFD 2011-12 were uploaded on 16th December, 2011.

23.3 A screen shot showing the CPGRAMS link for grievance redressal mechanism of the Performance Management Division of the Cabinet Secretariat has been uploaded on the Ministry's website.

Annexure-I

S.NO.	POST/Pay Band/Grade Pay/Group	Sanctioned Strength	Men in position	Vacancies
01.	SECRETARY/ ₹80,000/-Fixed/Gr. 'A'	01	01	Nil
02.	JOINT SECRETARY/G.P. 10000/-/ Gr. 'A'	03	03	Nil
03.	DIRECTOR/DEPUTY SECRETARY/G.P. 8700/-/7600/- Gr. 'A'	07	05	02
04.	UNDER SECRETARY/G. P. 6600/-/ Gr. 'A'	10	10	Nil
05.	ASSISTANT DIRECTOR/G.P. 5400/-/Gr. 'A'	03	01	02
06.	RESEARCH OFFICER/5400/-/Gr. 'A'	01	NIL	01
07.	ASSISTANT DIRECTOR ₹ 5400/ (OFFICIAL LANGUAGE)/G.P.	01	01	Nil
08.	SECTION OFFICER/G. P. 4800/-5400/-/Gr. 'B'	08	08	NIL
09.	SR. PRINCIPAL PRIVATE SECY., G.P. 7600/-/	01	NIL	01
10.	ASISTANT/G.P. 4600/-/ Gr. 'B' (NG)	10	09	01
11.	SR. RESEARCH INVESTIGATOR/G.P. 4600/-/Gr. 'B' (NG)	04	01	03
12.	SENIOR INVESTIGATORS/G.P. 4200/-/ Gr. 'B'	04	01	03
13.	ACCOUNTANT/ G.P. 4200/-/ Gr. 'B' (NG)	01	01	Nil
14.	PRIVATE SECRETARIES/G.P. 4800/-/ Gr. 'B'	04	04	Nil
15.	STENOGRADE 'C'/G.P. 4600/-/ Gr. 'B' (NG)	06	05	01
16.	SENIOR HINDI TRANSLATOR/G.P. 4600/-/Gr. 'B' (NG)	01	01	Nil
17.	STENOGRADE 'D'/G.P. 2400/-Gr. 'C'	05	03	02
18.	UDC. G.P. 2400/Gr. 'C'	01	Nil	01
19.	STAFF CAR DRIVER/G.P. 1900/-/Gr. 'C'	02	Nil	02
20.	PEONS/G.P. 1800/-/Gr. 'D'	14	09	05
21.	ASSISTANT DIRECTOR (URDU)/G.P. 5400/-	01	Nil	01
22.	TRANSLATOR (URDU)/G.P. 4200/-/Gr. 'B'	01	Nil	01
23.	TYPIST (URDU)/G.P. 1900/-/ Gr. 'C'	01	Nil	01
	Total	**93**	**64**	**29**

Organizational Chart of Ministry of Minority Affairs

Annexure-II

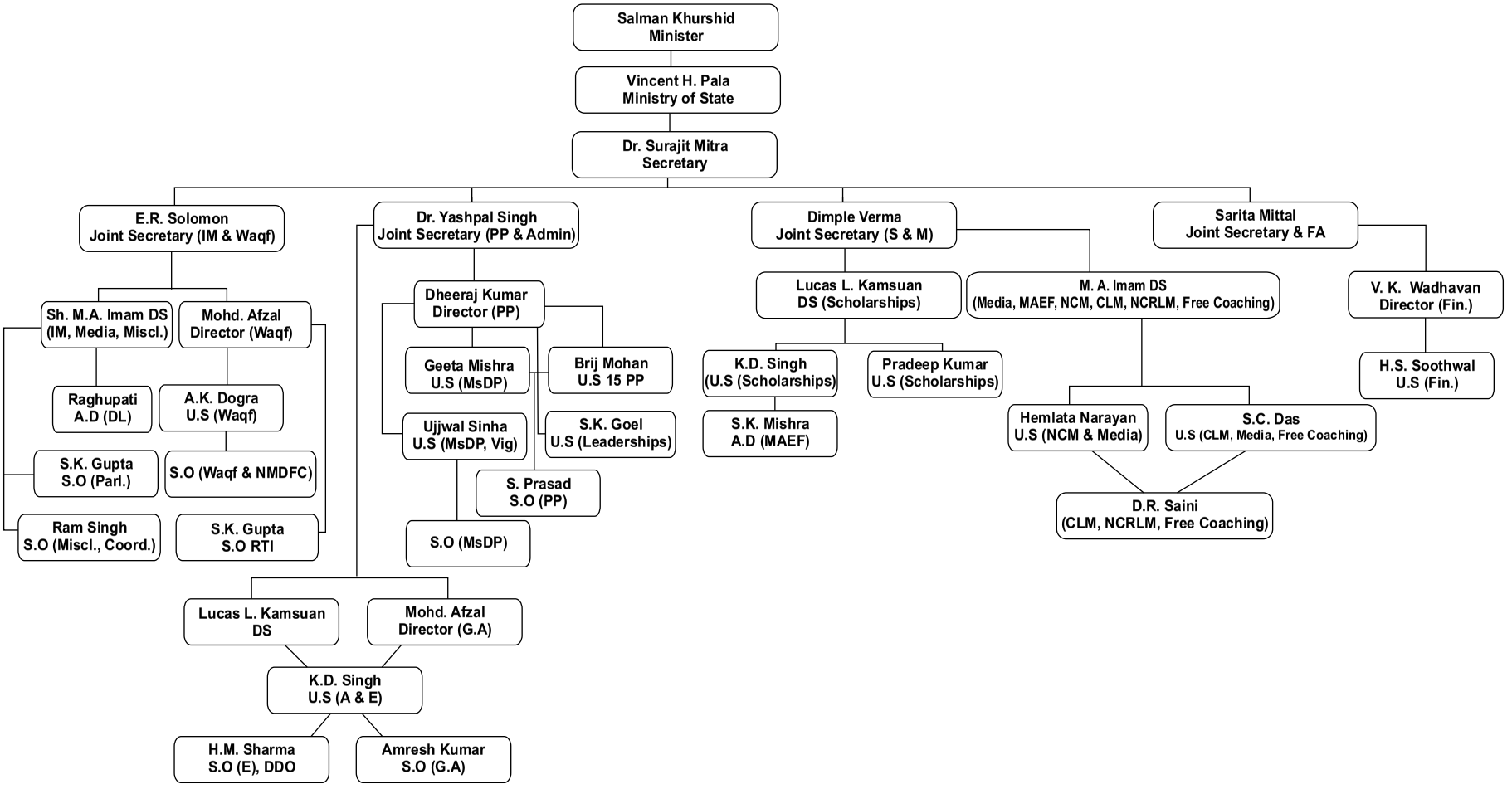

Admin	:	Administration
A.D	:	Asst. Director
B & C	:	Budget and Cash
Coord.	:	Coordination
CLM	:	Commission for Linguistic Minorities
DDO	:	Drawing & Disbursing Officer
Estt.	:	Establishment
Fin.	:	Finance
FA	:	Financial Advisor
Gen	:	General
S	:	Scholarships
IM	:	Institution Media
MCM	:	Merit-Cum-Means Scholarships
MAEF	:	Maulana Azad Education Foundation
Miscl.	:	Miscellaneous
NCRLM	:	National Commission For Religious and Linguistic Minorities
NCM	:	National Commission for Minorities
PP	:	Policy and Planning
Parl.	:	Parliament
RO	:	Research Officer
Vig	:	Vigilance

Annexure-III

STATEMENT SHOWING SCHEME/PROGRAMME-WISE ELEVENTH FIVE YEAR PLAN (2007-12) OUTLAY, BUDGET ESTIMATES, REVISED ESTIMATES, AND ACTUAL EXPENDITURE DURING 2011-12 (UPTO 31st DECEMBER, 2011)

(₹ in crore)

S. No.	Name of Scheme/Programme	Eleventh Plan Outlay	Budget Estimates 2011-12	Revised Estimates 2011-12	Actual Expenditure 2011-12 (Upto 31.12.2011)
A.	**Central Sector Schemes**				
1	Grant-in-aid to Maulana Azad Education Foundation	500.00	200.00	200.00	150.00
2	Coaching & Allied Scheme for Minorities	45.00	16.00	16.00	3.99
3	Contribution to the Equity of NMDFC	500.00	115.00	115.00	115.00
4	Research/Studies, monitoring & evaluation of development schemes for Minorities including publicity	35.00	36.00	36.00	16.95
5	Grant-in-aid to State Channelising Agencies(SCAs) engaged for implementation of NMDFC programme	20.00	2.00	2.00	0.00
6.	Scheme for Leadership Development of Minority Women	0.00	15.00	0.04	0.00
7.	Maulana Azad National Fellowship for minority students	0.00	52.00	52.00	51.98
8.	Computerization of records of State Waqf Boards	0.00	5.00	2.00	0.34
	Sub-Total (CS)	**1100.00**	**441.00**	**423.04**	**338.26**

S. No	Name of Scheme/Programme	Eleventh Plan Outlay	Budget Estimates 2011-12	Revised Estimates 2011-12	Actual Expenditure 2011-12 (Upto 31.12.2011)
B.	**Centrally Sponsored Schemes**				
1	Merit-cum-Means scholarship for professional and technical courses of undergraduate and post-graduate	600.00	140.00	140.00	81.29
2	Multi-Sectoral Development Programme for Minorities in selected minority concentration districts.	2750.00	1218.40	1136.36	432.37
3	Pre-matric Scholarships for Minorities	1400.00	600.00	600.00	319.81
4	Post-matric Scholarships for Minorities	1100.00	450.00	450.00	248.11
5	Secretariat	0.00	0.60	0.60	0.42
	Sub-total (CSS)	5900.00	2409.00	2326.96	1082.26
	GrandTotal (A+B)	**7000.00**	**2850.00**	**2750.00**	**1420.26**

Annexure-IV(A)

LIST OF MINORITY CONCENTRATION DISTRICTS (CATEGORY 'A' & 'B')

CATEGORY - 'A'			
List of districts which have both socio-economic and basic amenities parameters below national average			
Sl. No.	**Sub-group Sl. No.**	**States**	**Districts**
1	1	Arunachal Pradesh	East Kameng
2	2	Arunachal Pradesh	Lower Subansiri
3	3	Arunachal Pradesh	Changlang
4	4	Arunachal Pradesh	Tirap
5	5	Assam	Kokrajhar
6	6	Assam	Dhubri
7	7	Assam	Goalpara
8	8	Assam	Bongaigaon
9	9	Assam	Barpeta
10	10	Assam	Darrang
11	11	Assam	Marigaon
12	12	Assam	Nagaon
13	13	Assam	Cachar
14	14	Assam	Karimganj
15	15	Assam	Hailakandi
16	16	Assam	Kamrup
17	17	Bihar	Araria
18	18	Bihar	Kishanganj
19	19	Bihar	Purnia
20	20	Bihar	Katihar
21	21	Bihar	Sitamarhi
22	22	Bihar	Pashchim Champaran
23	23	Bihar	Darbhanga
24	24	Jharkhand	Sahibganj
25	25	Jharkhand	Pakaur
26	26	Maharashtra	Parbhani

Sl. No.	Sub-group Sl. No.	States	Districts
27	27	Manipur	Thoubal
28	28	Meghalaya	West Garo Hills
29	29	Orissa	Gajapati
30	30	Uttar Pradesh	Bulandshahar
31	31	Uttar Pradesh	Budaun
32	32	Uttar Pradesh	Barabanki
33	33	Uttar Pradesh	Kheri
34	34	Uttar Pradesh	Shahjahanpur
35	35	Uttar Pradesh	Moradabad
36	36	Uttar Pradesh	Rampur
37	37	Uttar Pradesh	Jyotiba Phule Nagar
38	38	Uttar Pradesh	Bareilly
39	39	Uttar Pradesh	Pllibhlt
40	40	Uttar Pradesh	Bahraich
41	41	Uttar Pradesh	Shrawasti
42	42	Uttar Pradesh	Balrampur
43	43	Uttar Pradesh	Siddharthnagar
44	44	Uttar Pradesh	Bijnor
45	45	West Bengal	Uttar Dinajpur
46	46	West Bengal	Dakshin Dinajpur
47	47	West Bengal	Maldah
48	48	West Bengal	Murshidabad
49	49	West Bengal	Birbhum
50	50	West Bengal	Nadia
51	51	West Bengal	South 24-Parganas
52	52	West Bengal	Barddhaman
53	53	West Bengal	Koch Blhar

Annexure-IV(B)

	CATEGORY - 'B'		
	Sub-category 'B 1'		
	List of districts which have socio-economic parameters below national average		
Sl. No.	**Sub-group Sl. No.**	**States**	**Districts**
54	1	Arunachal Pradesh	Tawang
55	2	Arunachal Pradesh	West Kameng
56	3	Arunachal Pradesh	Papum Pare
57	4	Delhi	North East
58	5	Haryana	Mewat
59	6	Haryana	Sirsa
60	7	Karnataka	Gulbarga
61	8	Karnataka	Bidar
62	9	Madhya Pradesh	Bhopal
63	10	Uttar Pradesh	Lucknow
64	11	Uttar Pradesh	Saharanpur
65	12	Uttar Pradesh	Meerut
66	13	Uttar Pradesh	Muzaffarnagar
67	14	Uttar Pradesh	Baghpat
68	15	Uttar Pradesh	Ghaziabad
69	16	Uttaranchal	Udham Singh Nagar
70	17	Uttaranchal	Hardwar
71	18	West Bengal	Haora
72	19	West Bengal	North 24 Parganas
73	20	West Bengal	Kolkata

Annexure-IV(C)

	Sub-category 'B 2' List of districts which have basic amenities parameters below national average		
Sl. No.	**Sub-group Sl. No.**	**States**	**Districts**
74	1	Andamans	Nicobars
75	2	Assam	North Cachar Hills
76	3	Jammu & Kashmir	Leh (Ladakh)
77	4	Jharkhand	Ranchi
78	5	Jharkhand	Gumla
79	6	Kerala	Wayanad
80	7	Maharashtra	Buldana
81	8	Maharashtra	Washim
82	9	Maharashtra	Hingoli
83	10	Manipur	Senapati
84	11	Manipur	Tamenglong
85	12	Manipur	Churachandpur
86	13	Manipur	Ukhrul
87	14	Manipur	Chandel
88	15	Mizoram	Lawngtlai
89	16	Mizoram	Mamit
90	17	Sikkim	North

Annexure-V

State/UT- wise & Community- wise distribution of Pre-matric scholarships for students belonging to the minority communities for the year 2011- 12 (As on 31/12/2011)

S.No.	States/UTs	Muslim		Christian		Sikh		Buddhist		Parsi		Total		Male	female	% of female	Amount sanctioned (in cr.)
		T	A	T	A	T	A	T	A	T	A	T	A				
1	Andhra Pradesh	125291	107541	21080	13293	510	278	510	192	15	15	147406	121319	49192	72127	59.45	19.30
2	Arunachal Pradesh	340		3570		46		2550		15		6521	0				
3	Assam	147900		17680		340		850		15		166785	0				
4	Bihar	246160	157816	1020	56	340	77	340	24	15	0	247875	157973	72263	85710	54.26	21.54
5	Chhattisgarh	7310	7310	7140	920	1190	1038	1190	84	15	0	16845	9352	4506	4846	51.82	2.12
6	Goa	1700		6461		46		31		102		8340	0				
7	Gujarat	82450		5100		850		340		102		88842	0				
8	Haryana	21930		510		21080		170		15		43705	0				2.03
9	Himachal Pradesh	2210	2951	170	17	1360	730	1360	197	15	0	5115	3895	1983	1912	49.09	0.40
10	Jammu & Kashmir	121891		340		3740		2040		15		128026	0				11.10
11	Jharkhand	66980	20850	19550	4059	1530	91	170	0	15	0	88245	25000	11571	13429	53.72	5.36
12	Karnataka	115941	159689	18021	24670	340	271	7140	1876	15	21	141457	186527	83915	102612	55.01	18.01
13	Kerala	141101	324252	108538	248628	46	0	31	0	15	0	249731	572880	251066	321814	56.17	43.40
14	Madhya Pradesh	69020		3060		2720		3740		15		78555	0				6.14
15	Maharashtra	184281	460751	19041	26199	3910	7163	104550	206626	405	604	312187	701343	281259	420084	59.90	54.72
16	Manipur*	3401	2000	13260	7421	46	0	31	17	15	0	16753	9438	4822	4616	48.91	1.19
17	Meghalaya	1700		29240		46		31		15		31032	0				
18	Mizoram	170	88	13942	12317	46	1080	1360	0	15	0	15533	13485	6480	7005	51.95	2.49
19	Nagaland	680		32129		46		31		15		32901	0				
20	Orissa	13770	16269	16150	8226	340	2	170	56	15	0	30445	24553	11861	12692	51.69	2.00
21	Punjab	6800		5270		261152		680		15		273917	0				
22	Rajasthan	85851		1360		14790		170		15		102186	0				4.45
23	Sikkim	171	0	681	754	46	0	2720	2515	15	0	3633	3269	1586	1683	51.48	0.61
24	Tamil Nadu	62221	121561	67831	113989	170	10	170	22	15	0	130407	235582	118555	117027	49.68	25.70
25	Tripura	4590		1870		46		1700		15		8221	0				
26	Uttar Pradesh*	551651	418877	3740	194	12240	3151	5440	998	15	1	573086	423221	248653	174568	41.25	59.73
27	Uttarakhand	18190		510		3740		170		15		22625	0				0.23
28	West Bengal	363121	422961	9180	8214	1190	484	4420	3406	15	0	377926	435065	202609	232456	53.43	39.27
29	Andaman & Nicobar	510		1359		46		31		15		1961	0				
30	Chandigarh	680		170		2550		31		15		3446	0				
31	Dadra & Nagar Haveli	170		170		46		31		15		432	0				
32	Daman & Diu	170		46		46		31		102		395	0				
33	Delhi	29070		2380		10031		510		15		42006	0				0.00
34	Lakshadweep	1020		46		46		31		15		1158	0				
35	Puducherry	1020		1190		46		31		15		2302	0				
Total:		2479461	2222916	431805	468957	344757	14375	142801	216013	1176	641	3400000	2922902	1350321	1572581	53.80	319.80

T= Target A= Achievement * Only Spill over cases of 2010-11.

Annexure-VI

State/UT- wise & community wise distribution of Post-matric Scholarships for Students belonging to the minority communities for the year 2011-12 (as on 31.12.2011)

Sl. No.	State/UT	Muslim		Christan		Sikh		Buddhist		Parsi		Total		No. of scholarships			Amount released (Rs.in crore)
		T	A	T	A	T	A	T	A	T	A	T	A	Male	Female	% age female	
1	Andhra Pradesh	19346	19781	3255	733	79	32	79	2	2	2	22761	20550	6629	13921	67.74	17.28
2	Bihar	38011	40123	157	33	53	46	53	12	2	0	38276	40214	20074	20140	50.08	23.81
3	Chhattisgarh	1129		1102		184		184		2		2601	0				1.03
4	Goa	262		997		11		9		20		1299	0				
5	Gujarat	12732		787		131		53		20		13723	0				5.71
6	Haryana	3386		79		3255		26		2		6748	0				1.48
7	Himachal Pradesh	341		26		210		210		2		789	0				0.20
8	Jammu & Kashmir	18821		52		577		315		2		19767	0				2.13
9	Jharkhand	10343	6062	3019	901	236	37	26	0	2	0	13626	7000	3766	3234	46.20	5.65
10	Karnataka	17903	24495	2782	4353	52	23	1103	129	2	0	21842	29000	8139	20861	71.93	11.12
11	Kerala	21787	35616	16753	29789	11	0	9	8	2	3	38562	65416	24537	40879	62.49	18.70
12	Madhya Pradesh	10657		473		420		578		2		12130	0				5.01
13	Maharashtra	28455	33959	2940	1244	604	352	16097	1692	61	29	48157	37276	16916	20360	54.62	23.44
14	Orissa	2126		2494		52		26		2		4700	0				
15	Punjab	1050	832	814	71	40272	30332	105	38	2	0	42243	31273	7756	23517	75.20	22.66
16	Rajasthan	13256	16544	210	41	2284	1764	26	1	2	0	15778	18350	10330	8020	43.71	11.75
17	Tamil Nadu	9608	12842	10474	15030	26	0	26	0	2	0	20136	27872	9231	18641	66.88	13.12
18	Uttar Pradesh	85181	109624	578	369	1890	2420	840	629	2	2	88491	113044	54851	58193	51.48	58.86
19	Uttarakhand	2809		79		578		26		2		3494	0				0.13
20	West Bengal	56070	47066	1418	671	184	75	682	627	2	0	58356	48439	32219	16220	33.49	24.51
21	Delhi	4489		367		1549		79		2		6486	0				
22	Puducherry	157		184		11		9		2		363	0				
23	Andaman & Nicobar	79		210		11		9		2		311	0				
24	Chandigarh	105		26		394		9		2		536	0				
25	Dadra & Nagar Haveli	26		26		11		9		2		74	0				
26	Daman & Diu	26		11		11		9		20		77	0				
27	Lakshdweep	157		11		11		9		2		190	0				
28	Arunachal Pradesh	53		551		11		394		2		1011	0				
29	Assam	22838		2730		52		131		2		25753	0				
30	Manipur	525		2048		11		9		2		2595	0				
31	Meghalaya	262		4515		11		9		2		4799	0				
32	Mizoram	26		2152		11		210		2		2401	0				1.24
33	Nagaland	105		4961		11		9		2		5088	0				
34	Sikkim	26		105		11		420		2		564	0				0.28
35	Tripura	709		289		11		262		2		1273	0				
Total		**382856**	**346944**	**66675**	**53235**	**53236**	**35081**	**22050**	**3138**	**183**	**36**	**525000**	**438434**	**194448**	**243986**	**55.65**	**248.12**

Community/ies with the target of 11 or less scholarships has been inserted in response to Writ No. 315 (SM) 09 in Guwahati High Court.

As on 31/12/2011

Annexure -VII

State/UT- wise & Community- wise target (for fresh 20000 scholarships only) and achievement (both fresh & renewals) of Merit-cum means based scholarship scheme for students belonging to the minority communities for the year 2011-12

S.No.	States/Uts	Muslim		Christian		Sikh		Buddhist		Parsi		Total		Male	female	% of female	Amount sanctioned (Rs. in Crore)
		T	A*	T	A*	T	A*	T	A*	T	A*	T	A*				
1	Andhra Pradesh	737	728	124	26	3		3		0		867	754	450	304	40.32	2.10
2	Arunachal Pradesh	2		21		0		15		0		38	0			0.00	0.00
3	Assam	870	973	104	35	2	3	5	5	0		981	1016	791	225	22.15	2.98
4	Bihar	1448	2020	6	7	2	2	2	1	0		1458	2030	1640	390	19.21	5.55
5	Chhattisgarh	43	55	42	46	7	10	7	2	0		99	113	47	66	58.41	0.36
6	Goa	10	18	38	48	0		0		1		49	66	33	33	50.00	0.18
7	Gujarat	485	711	30	42	5	7	2	1	1	2	523	763	406	357	46.79	1.83
8	Haryana	129	176	3	3	124	142	1	1	0		257	322	216	106	32.92	0.93
9	Himachal Pradesh	13	18	1		8	9	8	2	0		30	29	18	11	37.93	0.10
10	Jammu & Kashmir	717	717	2	1	22	22	12	3	0		753	743	385	358	48.18	2.39
11	Jharkhand	394	529	115	58	9	13	1	1	0		519	601	485	116	19.30	1.74
12	Karnataka	682	1500	106	283	2	2	42	60	0		832	1845	762	1083	58.70	5.02
13	Kerala	830	1441	639	1413	0		0		0		1469	2854	1131	1723	60.37	8.45
14	Madhya Pradesh	406	603	18	28	16	30	22	4	0	0	462	665	272	393	59.10	1.79
15	Maharashtra	1084	1895	112	250	23	71	617	91	4	6	1840	2313	1234	1079	46.65	6.25
16	Manipur	20	29	78	73	0		0		0		98	102	63	39	38.24	0.29
17	Meghalaya	10	15	172	225	0		0		0		182	240	102	138	57.50	0.78
18	Mizoram	1		82	101	0		8	3	0		91	104	56	48	46.15	0.29
19	Nagaland	4	1	189	250	0		0		0		193	251	124	127	50.60	0.76
20	Orissa	81	109	95	24	2	2	1	3	0		179	138	85	53	38.41	0.49
21	Punjab	40	49	31	41	1540	1987	4	4	0		1615	2081	774	1307	62.81	6.71
22	Rajasthan	505	652	8	11	87	115	1	1	0		601	779	468	311	39.92	2.15
23	Sikkim	1		4	8	0		16	16	0		21	24	10	14	58.33	0.09
24	Tamil Nadu	366	1002	399	779	1	1	1	91	0		767	1873	978	895	47.78	4.90
25	Tripura	27	46	11	2	0		10		0		48	48	30	18	37.50	0.14
26	Uttar Pradesh	3245	5372	22	25	72	80	32	27	0		3371	5504	4089	1415	25.71	13.17
27	Uttarakhand	107	141	3	1	22	26	1		0		133	168	136	32	19.05	0.53
28	West Bengal	2136	3691	54	27	7	14	26	29	0		2223	3761	3283	478	12.71	10.29
29	Andaman & Nicobar	3	6	8	1	0		0		0		11	7	4	3	42.86	0.04
30	Chandigarh	4	3	1		15	11	0		0		20	14	10	4	28.57	0.11
31	Dadra & Nagar Haveli	1		1		0		0		0		2	0			0.00	0.00
32	Daman & Diu	1	2	0		0		0		1		2	2	2		0.00	0.01
33	Delhi	171	264	14	3	59	87	3		0		247	354	231	123	34.75	0.86
34	Lakshadweep	6		0		0		0		0		6	0			0.00	0.00
35	Puducherry	6	7	7	8	0		0		0		13	15	5	10	66.67	0.04
Total		**14585**	**22773**	**2540**	**3819**	**2028**	**2634**	**840**	**345**	**7**		**20000**	**29579**	**18320**	**11259**	**38.06**	**81.29**

* This includes renewals

T= Target (only for fresh scholarships)

A= Achievement

BE = BE for 2011-12 Rs.140 crore

Annexure-VIII

List of States Wakf Boards

S.No	Name of State/UT
1.	Punjab Wakf Board
2.	Karnataka State Board of Wakf
3.	Chhattisgarh State Waqf Board
4.	Maharashtra State Board of Wakfs
5.	Tamilnadu Wakf Board
6.	Board of Wakfs, West Bengal
7.	Assam Board of Wakfs
8.	Orissa Board of Wakf
9.	Tripura Board of Wakf
10.	Himachal Pradesh Wakf Board
11.	UP Sunni Central Waqf Board
12.	Bihar State Sunni Wakf Board
13.	Bihar State Shia Wakf Board
14.	Puducherry State Wakf Board
15.	Kerala State Wakf Board
16.	Haryana Wakf Board
17.	Wakf Board Manipur
18.	Madhya Pradesh Wakf Board
19.	Delhi Wakf Board
20.	Lakshadweep State Wakf Board
21.	Andaman and Nicobar Islands Wakf Board
22.	Uttarakhand Wakf Board
23.	Rajasthan Board of Muslim Wakf
24.	Jharkhand State Waff Boards
25.	Meghalaya Board of Wakfs
26.	UP Shia Wakf Board
27.	Andhra Pradesh State Wakf Board
28.	Dadra & Nagar Haveli Wakf Board
29.	Chandigarh Wakf Board
30.	Gujarat State Wakf Board

Annexure-IX

MAULANA AZAD EDUCATION FOUNDATION

Statewise Summary of Grant-in-Aid sanctioned upto 31.12.2011

S.No.	State/U.Ts	Amount Sanctioned (₹ in Lakh)	No. of NGOs
1	Andaman	35.00	3
2	Andhra Pradesh	1033.55	64
3	Assam	266.00	18
4	Bihar	534.71	35
5.	Chattisgarh	25.00	1
6	Delhi	93.55	12
7	Goa	53.00	3
8	Gujarat	948.12	65
9	Haryana	334.10	28
10	Himachal Pradesh	1	1
11	Jammu & Kashmir	226.42	15
12	Jharkhand	93.00	6
13	Karnataka	1317.16	88
14	Kerala	1047.00	57
15	Madhya Pradesh	434.78	41
16	Maharashtra	1961.83	150
17	Manipur	188.00	15
18	Meghalaya	15.00	1
19	Nagaland	28.50	2
20	Orissa	37.62	7
21	Punjab	61.67	6
22	Rajasthan	272.50	18
23	Tamil Nadu	438.78	29
24	Uttaranchal	110.00	8
25	Uttar Pradesh	4873.91	435
26	West Bengal	401.40	29
	TOTAL	**14831.60**	**1137**

Annexure -X

Statement showing state-wise scholarship sanctioned to Meritorious Girls Students upto 31.12.2011

Sl.No.	Name of State/UT	2003-04			2004-05			2005-06			2006-07			2007-08			2008-09			2009-10		2010-11		Total	
		No of scholarship	amount (In Rs.)	amount (Rs. In lakhs)	No of scholarship	amount (In Rs.)	amount (Rs. In lakhs)	No of scholarship	amount (In Rs.)	amount (Rs. In lakhs)	No of scholarship	amount (In Rs.)	amount (Rs. In lakhs)	No of scholarship	amount (In Rs.)	amount (Rs. In lakhs)	No of scholarship	amount (In Rs.)	amount (Rs. In lakhs)	No of scholarship	amount (Rs in Lakh)	No of scholarship	amount (Rs in Lakh)	No of scholarship	amount (Rs. In lakhs)
1	Andaman & Nicobar	0	0	0	0	0	0	4	40000	0.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.12	2	0.24	7	0.76
2	Andhra Pradesh	53	530000	5.3	110	1100000	11	145	1450000	14.5	111	1110000	11.1	223	2676000	26.76	828	9936000	99.36	1072	128.64	924	110.88	3466	407.54
3	Arunachal Pradesh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
4	Assam	2	20000	0.2	81	810000	8.1	131	1310000	13.1	115	1150000	11.5	128	1536000	15.36	419	5028000	50.28	346	41.52	429	51.48	1651	191.54
5	Bihar	2	20000	0.2	178	1780000	17.8	221	2210000	22.1	342	3420000	34.2	342	4104000	41.04	680	8160000	81.6	1159	139.08	1425	171.00	4349	507.02
6	Chhattisgarh	8	80000	0.8	9	90000	0.9	12	120000	1.2	2	20000	0.2	2	24000	0.24	0	0	0	2	0.24	0	0	35	3.58
7	Chandigarh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	12000	0.12	2	24000	0.24	0	0	13	1.56	16	1.92
8	Delhi	7	70000	0.7	50	500000	5	48	480000	4.8	26	260000	2.6	51	612000	6.12	72	864000	8.64	171	20.52	0	0	425	48.38
9	Dadar & Nagar Haveli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
10	Daman & Diu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	36000	0.36	6	0.72	228	27.36	237	28.44
11	Goa	0	0	0	8	80000	0.8	6	60000	0.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0.36	5	0.6	22	2.36
12	Gujarat	0	0	0	505	5050000	50.5	77	77000	0.77	391	3910000	39.1	147	1764000	17.64	623	7476000	74.76	709	85.08	610	73.2	3062	341.05
13	Haryana	8	80000	0.8	5	50000	0.5	0	0	0	4	40000	0.4	2	24000	0.24	7	84000	0.84	7	0.84	28	3.36	61	6.98
14	Himachal Pradesh	4	40000	0.4	0	0	0	0	0	0	4	40000	0.4	0	0	0	0	0	0	1	0.12	1	0.12	10	1.04
15	Jammu & Kashmir	0	0	0	319	3190000	31.9	34	340000	3.4	21	210000	2.1	55	660000	6.6	21	252000	2.52	25	3	7	0.84	482	50.36
16	Jharkhand	2	20000	0.2	40	400000	4	62	620000	6.2	65	650000	6.5	119	1428000	14.28	670	8040000	80.4	691	82.92	556	66.72	2205	261.22
17	Karnataka	31	310000	3.1	137	1370000	13.7	838	8380000	83.8	122	1220000	12.2	127	1524000	15.24	355	4260000	42.6	913	109.56	546	65.52	3069	345.72
18	Kerala	80	800000	8	150	1500000	15	159	1590000	15.9	229	2290000	22.9	462	5544000	55.44	2884	34608000	346.08	2402	288.24	2338	280.56	8704	1032.12
19	Lakshadweep	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
20	Madhya Pradesh	17	170000	1.7	70	700000	7	64	640000	6.4	134	1340000	13.4	123	1476000	14.76	371	4452000	44.52	217	26.04	400	48	1396	161.82
21	Maharashtra	53	530000	5.3	147	1470000	14.7	406	4060000	40.6	165	1650000	16.5	336	4032000	40.32	1390	16680000	166.8	1570	188.4	1394	167.28	5461	639.90
22	Manipur	11	110000	1.1	11	110000	1.1	12	120000	1.2	1	10000	0.1	2	24000	0.24	19	228000	2.28	14	1.68	11	1.32	81	9.02
23	Meghalaya	0	0	0	0	0	0	2	20000	0.2	2	20000	0.2	1	12000	0.12	3	36000	0.36	1	0.12	4	0.48	13	1.48
24	Mizoram	0	0	0	2	20000	0.2	13	130000	1.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	1.50
25	Nagaland	8	80000	0.8	0	0	0	0	0	0	11	110000	1.1	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	19	1.90
26	Orissa	12	120000	1.2	30	300000	3	13	130000	1.3	12	120000	1.2	24	288000	2.88	49	588000	5.88	41	4.92	43	5.16	224	25.54
27	Puducherry	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	12000	0.12	6	0.72	10	1.2	17	2.04
28	Punjab	4	40000	0.4	14	140000	1.4	15	150000	1.5	0	0	0	13	156000	1.56	8	96000	0.96	83	9.96	1685	202.2	1822	217.98
29	Rajasthan	2	20000	0.2	41	410000	4.1	76	760000	7.6	135	1350000	13.5	162	1944000	19.44	408	4896000	48.96	470	56.40	561	67.32	1855	217.52
30	Sikkim	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
31	Tamil Nadu	34	340000	3.4	120	1200000	12	91	910000	9.1	21	210000	2.1	122	1464000	14.64	990	11880000	118.8	1188	142.56	1176	141.12	3742	443.72
32	Tripura	0	0	0	0	0	0	3	30000	0.3	3	30000	0.3	2	24000	0.24	1	12000	0.12	0	0	3	0.36	12	1.32
33	Uttar Pradesh	174	1740000	17.4	452	4520000	45.2	727	7270000	72.7	1598	15980000	159.8	1016	12192000	121.92	839	10068000	100.68	2518	302.16	3676	441.12	11000	1260.98
34	Uttarakhand	6	60000	0.6	11	110000	1.1	14	140000	1.4	7	70000	0.7	6	72000	0.72	35	420000	4.2	38	4.56	32	3.84	149	17.12
35	West Bengal	116	1160000	11.6	291	2910000	29.1	398	3980000	39.8	325	3250000	32.5	545	6540000	65.4	1386	16632000	166.32	1416	169.92	1219	146.28	5696	660.92
	TOTAL	**634**	**6340000**	**63.4**	**2781**	**27810000**	**278.1**	**3571**	**35710000**	**357.1**	**3846**	**38460000**	**384.6**	**4011**	**48132000**	**481.32**	**12064**	**144768000**	**1448**	**15070**	**1808.40**	**17326**	**2079.12**	**59303**	**6899.72**